VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

मई 2021 से मार्च 2022

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH GUWAHATI

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं (मई 2021 से मार्च 2022)

विषय-सूची

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare)..........9

1.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)..........9

1.1.1. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम (National Mission on Edible Oils – Oil Palm (NMEO-OP)#..........9

1.1.2. हाल ही में आरंभ की गई अन्य पहलें (Other Recently Launched Initiatives)..........10

1.2. संशोधित योजनाएं (Modified Schemes)..........10

1.2.1. कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund - AIF)#..........10

1.3. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)..........11

1.3.1. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन {Formation and Promotion of 10,000 New Farmer Producer Organizations (FPOs)}*..........11

1.3.2. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana)#..........13

1.3.3. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana: PMKSY)#..........15

1.3.4. एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture: MIDH)#..........17

1.3.5. किसान क्रेडिट कार्ड योजना {Kisan Credit Card (KCC) Scheme}*..........18

2. आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush)..........20

2.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)..........20

2.1.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)..........20

3. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers)..........21

3.1. हाल ही में आरंभ की गई योजना (Newly Launched Scheme)..........21

3.1.1. फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत बनाने की योजना (SPI) {Scheme Strengthening of Pharmaceutical Industry (SPI)}..........21

3.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)..........22

3.2.1. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana: PM-BJP)..........22

3.2.2. चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन संबंधी योजना (Scheme for Promotion of Medical Devices Park)*..........23

3.2.3. महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री/औषधि मध्यवर्ती और सक्रिय औषध सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive Scheme for Promotion of Domestic Manufacturing of Critical KSMS (Key Starting Materials)/Drug Intermediates and APIS (Active pharmaceutical ingredients)}..........24

4. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry)..........26

4.1. संशोधित योजनाएं (Modified Schemes)..........26

4.1.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)..........26

4.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)..........26

VISION IAS

4.2.1. भारत में व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर्स और एल.ई.डी. लाइट्स) के विनिर्माताओं के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {Production Linked Incentive Scheme (PLI) For White Goods (Air Conditioners And Led Lights) Manufacturers In India} 26

4.2.2. स्टार्टअप इंडिया (Startup India) 27

4.2.3. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 29

5. संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) 30

5.1. संशोधित योजनाएं (Modified Schemes) 30

5.1.1. भारत नेट (Bharat Net) 30

5.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 31

5.2.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 31

6. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution) 32

6.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 32

6.1.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम {National Food Security Act (NFSA), 2013} 32

6.1.2. अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana: AAY) 33

6.1.3. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System: TPDS) 33

6.1.4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (Integrated Management of Public Distribution System: IM-PDS) 34

6.1.5. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card: ONORC) 35

7. सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) 37

7.1. नई शुरू की गई योजना (Newly Launched Scheme) 37

7.1.1. डेयरी सहकार योजना (Dairy Sahakar Scheme) 37

8. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (Ministry of Development of North Eastern Region) 39

8.1. नई शुरू की गई योजना (Newly Launched Scheme) 39

8.1.1 विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 39

9. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences: MOES) 40

9.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 40

9.1.1. वायुमंडल तथा जलवायु अनुसंधान-प्रतिरूपण, प्रेक्षण प्रणालियां एवं सेवाएं (Atmosphere and Climate Research – Modelling, Observing Systems and Services: ACROSS) 40

9.1.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 41

10. शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education: MOE) 42

10.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes) 42

10.1.1. निपुण {'बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल {National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy (NIPUN Bharat) Mission} 42

10.1.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 43

VISION IAS

10.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 45
10.2.1. स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना {Samagra Shiksha Scheme (SSS) For School Education}# 45
10.2.1.1. सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyaan)# 46
10.2.1.2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan: RMSA)# 47
10.2.2. मध्याह्न भोजन योजना या स्कूलों में प्रधान मंत्री पोषण के लिए राष्ट्रीय योजना (Mid Day Meal Scheme or National Scheme for PM POSHAN in Schools)# 48
10.3. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 50

11. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology: MeitY) 51
11.1. हाल ही में शुरू की गई नई योजनाएं (Newly Launched Scheme) 51
11.1.1. उत्पाद नवाचार, विकास और संवृद्धि के लिए MeitY का स्टार्टअप एक्सलरेटर (समृद्ध) कार्यक्रम {Start-up Accelerators of MeitY for Product Innovation, Development and Growth (SAMRIDH) Programme} 51
11.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 51
11.2.1. व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing) 51
11.2.2. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India Programme) 52
11.3. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 53
11.3.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 53

12. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change: MOEFCC) 55
12.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 55
12.1.1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme: NCAP)* 55
12.1.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 56

13. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) 57
13.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes) 57
13.1.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 57
13.2. संशोधित योजनाएं (Modified Schemes) 57
13.2.1. विविध योजना (Miscellaneous Initiatives) 57
13.3. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes In News) 58
13.3.1. अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana: APY)* 58
13.3.2. प्रधान मंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana: PMJDY)* 59
13.3.3. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 60

14. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying) 61
14.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 61
14.1.1. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) Scheme)*/# 61

© Vision IAS

14.1.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 62

15. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries: MOFPI)........63

15.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 63

15.1.1. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना {Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME)}# 63

15.1.2. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana)* 64

15.1.3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLISFPI)}* 66

15.1.4. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 67

16. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare: MOHFW)........68

16.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)........ 68

16.1.1. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन {Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (ABHIM)}*/# 68

16.1.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 69

16.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 70

16.2.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM)# 70

16.2.2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission)# 72

16.2.3. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission)# 73

16.2.4. आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat)# 74

16.2.5. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 75

17. भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) 76

17.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme)........ 76

17.1.1. ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile & Auto Components} 76

18. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry Of Housing And Urban Affairs) 77

18.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)........ 77

18.1.1. स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0)#........ 77

18.1.2. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) {Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation – AMRUT 2.0}# 81

18.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 83

18.2.1. प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY)*/#........ 83

18.2.2. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission)# 84

18.2.3 विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 86

19. जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jalshakti)........87

19.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)........ 87

19.1.1. विविध योजनाएं (Miscellaneous Schemes)........ 87
19.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 87
19.2.1. नमामि गंगे योजना (Namami Gange Yojana)* 87
19.2.2. जल जीवन मिशन-ग्रामीण {Jal Jeevan Mission (JJM)-RURAL}# 89
20. श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry For Labour and Employment) 91
20.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 91
20.1.1. प्रधान मंत्री श्रम-योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram-Yogi Maandhan: PMSYM) 91
20.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 91
21. विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law & Justice) 93
21.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 93
22. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises) 94
22.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme) 94
22.1.1. MSME इनोवेटिव स्कीम (इनक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर) {Msme Innovative Scheme (Incubation, Design And IPR)} 94
22.2. संशोधित योजनाएं (Modified Schemes) 96
22.2.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 96
23. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) 97
23.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme) 97
23.1.1. प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना {Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan (PM Vikas) Scheme}* 97
23.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 98
23.2.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 98
24. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy: MNRE) 99
24.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 99
24.1.1. ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना (द्वितीय चरण) {Grid Connected Rooftop Solar Programme (Phase-II)} 99
25. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) 100
25.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes) 100
25.1.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 100
26. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) 101
26.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 101
26.1.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana-PMUY) 101
26.1.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 102

VISION IAS

© Vision IAS

27. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) 103
27.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes) 103
27.1.1. प्रधान मंत्री गति शक्ति - बहुविध कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti - National Master Plan for Multi-modal Connectivity) 103
27.1.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 104
28. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) 105
28.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 105
28.1.1. पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) 105
28.1.2. विविध योजनाएं (Miscellaneous schemes) 106
29. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) 109
29.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme) 109
29.1.1. विविध योजनाएं (Miscellaneous Scheme) 109
30. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) 110
30.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 110
30.1.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 110
31. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) 111
31.1. संशोधित योजनाएं (Modified Schemes) 111
31.1.1. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) {Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin (PMAY-G)}# 111
31.2. सुर्ख़ियों में अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) 112
31.2.1. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-III (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III: PMGSY-III)# 112
31.2.2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA) (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005) 113
31.2.3. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission: DAY-NRLM)# 115
31.2.4. सांसद आदर्श ग्राम योजना {Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)} 117
32. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) 119
32.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme) 119
32.1.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 119
32.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes In News) 119
32.2.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 119
33. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) 120
33.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes) 120
33.1.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 120
33.2. सुर्ख़ियों में अन्य योजनाएं (Other Schemes In News) 121

VISION IAS

33.2.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) ... 121

34. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) ... 122

34.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) ... 122

34.1.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS) ... 122

35. इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel) ... 124

35.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes) ... 124

35.1.1. विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Specialty Steel} ... 124

36. वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textiles) ... 126

36.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) ... 126

36.1.1. वस्त्रों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles} ... 126

36.1.2. प्रधान मंत्री – मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क (पीएम मित्र) योजना {Pradhan Mantri - Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks Scheme (PM MITRA)} ... 127

36.2. अन्य पहलें (Miscellaneous Initiative) ... 128

37. जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs: MoTA) ... 129

37.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) ... 129

38. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) ... 130

38.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme) ... 130

38.1.1. पी.एम. केयर्स-फॉर चिल्ड्रन योजना (PM CARES for Children Scheme) ... 130

38.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News) ... 131

38.2.1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Padhao Beti Bachao: BBBP) ... 131

38.2.2. पोषण अभियान (समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना) {POSHAN ABHIYAN (Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition)}# ... 132

नोट:

पढ़ना आसान बनाने और अभ्यर्थियों को अपने समय का सबसे कुशल तरीके से उपयोग करने में मदद करने के लिए, इस वर्ष हम सरकारी योजनाओं के डॉक्यूमेंट के दो सेट जारी करेंगे।

- **सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं:** इस डॉक्यूमेंट में वे सभी योजनाएं शामिल हैं, जो पिछले एक साल में सुर्ख़ियों में थीं।
- **सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव:** इसमें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शुरू की गई सभी योजनाएं शामिल हैं।

साथ ही, महत्वपूर्ण बिंदुओं को बेहतर तरीके से याद रखने के लिए, **सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं** डॉक्यूमेंट में सरकारी योजनाओं को आगे तीन उप प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।

- **हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं**: वे योजनाएं जिन्हें मई, 2021 से मार्च, 2022 तक शुरू किया गया था।

© Vision IAS

* **संशोधित/पुनर्गठित योजनाएं:** इस श्रेणी में, हमने योजनाओं में किये गए हाल के संशोधनों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है।
* **सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं:** इसमें मौजूदा योजनाओं को शामिल किया गया है, जो योजना के मूल्यांकन या अवधि के पूरा होने आदि जैसे विविध कारणों से सुर्ख़ियों में थीं। योजना के सुर्ख़ियों में रहने के कारण का अलग से उल्लेख किया गया है।

* '*' और '#' क्रमशः **केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाओं** और **केंद्र प्रायोजित योजनाओं** को दर्शाते हैं।
* '*/#' इंगित करता है कि कुछ घटक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाएं** हैं, जबकि अन्य **केंद्र प्रायोजित** हैं।

* अभ्यर्थियों के हित में इस पत्रिका की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु हमने इसमें निम्नलिखित नए तत्वों को शामिल किया है:
  * अभ्यर्थी द्वारा सीखी और समझी गई अवधारणाओं के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।
  * विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare)

1.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

1.1.1. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम (National Mission on Edible Oils – Oil Palm (NMEO-OP)#

स्मरणीय तथ्य	क्यों?	पाम ऑयल के क्षेत्र और उत्पादकता में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके **खाद्य तेल आयात पर निर्भरता को कम** करना।
	प्रकार	यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
	NFSM- ऑयल पाम कार्यक्रम	NMEO-OP वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-ऑयल पाम कार्यक्रम (ताड़-तेल कार्यक्रम) को **समाहित** करेगा।
	विशेष ध्यान	**उत्तर पूर्व तथा अंडमान और निकोबार** द्वीपसमूह पर।

उद्देश्य
पाम ऑयल (ताड़ के तेल) से खाद्य तेल उत्पादन में वृद्धि
• **पाम ऑयल क्षेत्र के विस्तार का उपयोग** करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन और तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना। साथ ही, वर्तमान पाम ऑयल उत्पादन में वृद्धि करना। • खाद्य तेलों पर **आयात बोझ को कम** करना। यह पाम ऑयल से खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

मुख्य विशेषताएं (Salient Features)	
लक्ष्य	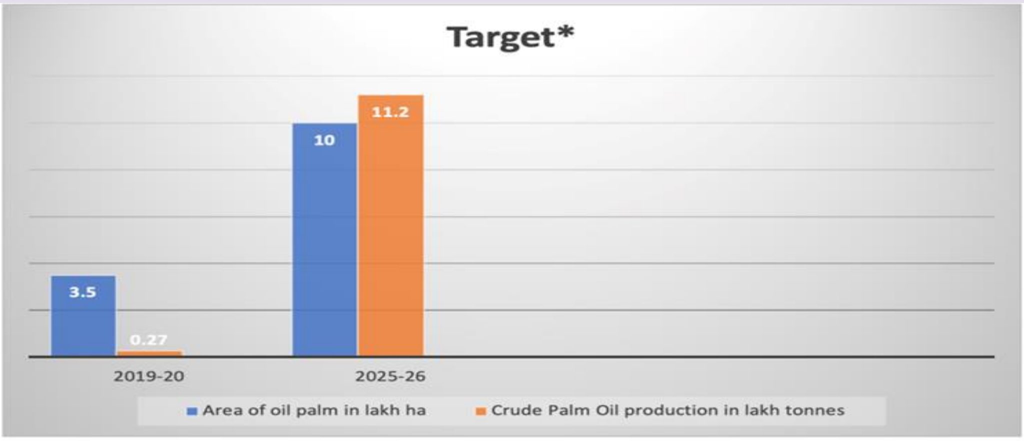 * Increase consumer awareness to maintain consumption level of 19.00 kg/person/annum till 2025-26
व्यवहार्यता मूल्य (VP)	• **व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के रूप में किसानों को आश्वासन:** उद्योग को कच्चे पाम ऑयल मूल्य का 14.3% का भुगतान करना अनिवार्य है, अंततः 15.3% के स्तर तक जाएगा। • पूर्वोत्तर और अंडमान-निकोबार को प्रोत्साहन देने के लिए **सरकार कच्चे पाम ऑयल मूल्य का अतिरिक्त 2% भी वहन करेगी।**

© Vision IAS

	• **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** पाम ऑयल किसानों को मूल्य अंतराल का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा।
किसानों को आर्थिक सहायता	• किसानों को, घरेलू अंकुरणों के लिए 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और आयातित अंकुरणों के लिए 29,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की **रोपण सामग्री** सहायता प्रदान की जाएगी। यह पहले के 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की तुलना में अधिक है। • **रखरखाव और अंतर-फसल हस्तक्षेपों** के लिए सहायता में पर्याप्त वृद्धि। • पुराने बगीचों के कायाकल्प और **पुराने बगीचों को फिर से लगाने के लिए 250 रुपये प्रति पौधे** की दर से **एक विशेष सहायता राशि**। • उत्तर-पूर्व और अंडमान क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें एकीकृत खेती के साथ-साथ **हाफ मून टैरेस खेती, बायो फेंसिंग और भूमि साफ़-सफाई के लिए विशेष प्रावधान** किए जा रहे हैं।
रोपण सामग्री की आपूर्ति	• देश में रोपण सामग्री की कमी की समस्या को दूर करने के लिए **उत्तर-पूर्व और अंडमान क्षेत्रों में 15 हेक्टेयर के लिए 1 करोड़ रुपये और शेष भारत में 15 हेक्टेयर के लिए 80 लाख रुपये** तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
केंद्र और राज्यों के बीच वित्त साझाकरण	• **अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, बीज उद्यानों, नर्सरी और व्यवहार्यता अंतराल भुगतान (100% भारत सरकार का हिस्सा)** को छोड़कर सभी घटकों में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच सामान्य श्रेणी के **राज्यों के मामले में वित्तपोषण पैटर्न 60:40 तथा पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90:10 है।** • **इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय किया गया है।** इसमें से 8,844 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा और 2,196 करोड़ रुपये राज्य द्वारा खर्च किया जाएगा। इसमें व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण भी शामिल है।
मिशन की अवधि	• इस योजना के लिए सनसेट क्लॉज़ (अर्थात जिस अवधि के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगी) **1 नवंबर 2037 है।**
संचालन क्षेत्र	• इसे **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च (IIOPR) की रिपोर्ट या राज्य की सिफारिशों के अनुसार** विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किया जाना है।

1.1.2. हाल ही में आरंभ की गई अन्य पहलें (Other Recently Launched Initiatives)

बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम	• हाल ही में, केंद्रीय कृषि मंत्री ने बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए **बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम** (CDP) का शुभारंभ किया है। • यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है। इसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कार्यान्वित कर रहा है। इसे **11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 10 लाख किसानों को शामिल करते हुए 12 बागवानी क्लस्टरों (कुल 53 क्लस्टरों में से)** में प्रायोगिक चरण में आरंभ किया गया है। • यह कार्यक्रम भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा। साथ ही, एकीकृत और बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देगा और भारतीय बागवानी क्लस्टरों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

1.2. संशोधित योजनाएं (Modified Schemes)

1.2.1. कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund - AIF)#

स्मरणीय तथ्य	**क्यों?**	इसे वर्ष 2020 में कोविड संकट से निपटने के लिए आरंभ किया गया था।
	प्रकार	यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
	कोष	एक लाख करोड़ रुपये।
	वित्तीय सहायता	फसल कटाई उपरांत प्रबंधन (Post Harvest Management: PHM) परियोजनाओं की स्थापना के लिए **ब्याज सहायता और क्रेडिट गारंटी** के रूप में।

उद्देश्य				
फसल कटाई उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु **एक मध्यम - दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा जुटाना।** यह वित्त **देश में कृषि अवसंरचना में सुधार करने** के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से जुटाया जायेगा।				
हितधारक विशिष्ट उद्देश्य				
किसान	सरकार	कृषि उद्यमी और स्टार्टअप्स	बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र	उपभोक्ता
• **फसल कटाई उपरांत नुकसान में कमी, बिचौलियों की कम संख्या और बाजार तक बेहतर पहुंच।** • **बेहतर मूल्य प्राप्ति और आय** • बेहतर उत्पादकता और आगतों के इष्टतमीकरण के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां।	• **वर्तमान में अव्यवहार्य परियोजनाओं में प्रत्यक्ष प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देना।** • कृषि अवसंरचना में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए **व्यवहार्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाएं।** • **राष्ट्रीय खाद्य अपव्यय** प्रतिशत को कम करना।	• इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आदि सहित नए युग की **प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना।** • **उद्यमियों और किसानों के बीच सहयोग के लिए बेहतर विकल्प।**	• **बड़ा ग्राहक आधार।** • **कम जोखिम के साथ उधार देना।** • **सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए बड़ी भूमिका।**	• **अक्षमताओं में कमी आने के कारण बेहतर गुणवत्ता और कीमतें।**

मुख्य विशेषताएं	
लाभार्थी	"सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों" व "फसल कटाई उपरांत कृषि अवसंरचना" के निर्माण के लिए किसान, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS), किसान उत्पादक संगठन (FPOs), स्वयं सहायता समूह (SHGs), राज्य एजेंसियां/ कृषि उपज विपणन समितियां (APMCs) और अन्य।
पात्र सामुदायिक संपत्ति परियोजना	• निर्यात क्लस्टरों सहित फसलों के क्लस्टरों के लिए **आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान** करने हेतु चिन्हित परियोजनाएं; • सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण या फसल कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत **केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा** प्रोन्नत परियोजनाएं; • **जैविक आगतों का उत्पादन; जैव उद्दीपक उत्पादन इकाइयां; स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए अवसंरचना।**
कार्यान्वयन	• **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD/नाबार्ड)** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इस पहल का संचालन करेगा।
हालिया संशोधन	योजना की समग्र अवधि को वर्ष 2032-33 तक बढ़ा दिया गया है। प्रारंभ में यह वर्ष 2020 से वर्ष 2029 के लिए थी।

1.3. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

1.3.1. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन {Formation and Promotion of 10,000 New Farmer Producer Organizations (FPOs)}*

सुर्ख़ियों में क्यों?

नाबार्ड की सहायक कंपनी NAB संरक्षण ने **किसान उत्पादक संगठनों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGFTFPO)** के लिए एक न्यास विलेख (trust deed) पर हस्ताक्षर किए हैं। 1,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड FPOs के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में रखा जाएगा।

© Vision IAS

स्मरणीय तथ्य	क्यों?	**FPOs का संवर्धन उत्पादन क्लस्टर क्षेत्र दृष्टिकोण** और **विशेषीकृत जिंस आधारित दृष्टिकोण** पर आधारित है।
	प्रकार	यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
	लाभार्थी	**लघु एवं सीमांत किसान तथा भूमिहीन किसान** इसके लाभार्थी होंगे।
	लक्ष्य	उत्पाद विशेषज्ञता के विकास के लिए **"एक जिला एक उत्पाद"।**

उद्देश्य	
FPOs का गठन	FPOs को समर्थन
आगामी पांच वर्षों की अवधि (वर्ष 2019-20 से 2023-24) में **10,000 FPOs का गठन किया जाएगा,** ताकि किसानों के लिए आकारिक मितव्ययिता का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।	**प्रत्येक FPO को अपनी स्थापना से लेकर 5 वर्षों तक व्यापक समर्थन प्रदान किया जाएगा।**

प्रमुख विशेषताएं	
FPOs क्या हैं?	• FPOs में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक कंपनियां (Farmer Producer Companies: FPCs) तथा साथ ही राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसान सहकारी समितियां शामिल हैं।
आकांक्षी जिलों के लिए विशेष प्रावधान	• प्रस्तावित FPO में से **कम से कम 15 प्रतिशत आकांक्षी जिलों में गठित** किए जाएंगे। ऐसे जिलों के प्रत्येक ब्लॉक (प्रखंड) में कम से कम एक FPO की स्थापना की जाएगी।
पात्रता के लिए FPOs में सदस्यता मानदंड	• **FPOs के सदस्यों की न्यूनतम संख्या** मैदानी क्षेत्रों में 300 तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी। • अनुभव/आवश्यकता के आधार पर संख्या को संशोधित किया जा सकता है।
FPOs को वित्तीय सहायता	• FPOs को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति FPO **18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी। • 15 लाख रूपये प्रति FPO की सीमा के साथ FPO के प्रति किसान सदस्य को 2,000 रूपये तक के समतुल्य इक्विटी अनुदान सहायता का उल्लेख भी किया गया है। • FPOs की संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋण देने वाली संस्था से क्रेडिट गारंटी की सुविधा के साथ प्रति FPO 2 करोड़ रूपये के परियोजना ऋण का भी प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (National Project Management Agency: NPMA)	• **NPMA** समग्र परियोजना मार्गदर्शन, समन्वय, FPOs से संबंधित सूचनाओं के संकलन, प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के रखरखाव और निगरानी के उद्देश्य के लिए अधिदेशित है।
अन्य विशेषताएं	(see table below)

कार्यान्वयन एजेंसियां (Implimenting Agencies: IAs)	IAs की भूमिका	CBBOs की भूमिका	क्रेडिट गारंटी फंड (CGF)
इन्हें **लघु किसान कृषि-व्यापार संकाय** (SFAC)[1], **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम** (NCDC) और	इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्लस्टर/राज्य	इन CBBOs में **विशेषज्ञ सम्मिलित**	इनका रखरखाव और प्रबंधन

[1] Small Farmers Agri-business Consortium

	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड/NAFED), उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन संघ लिमिटेड (NERAMAC), तमिलनाडु-SFAC, हरियाणा-SFAC, वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (WDD)- कर्नाटक तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ रूरल वैल्यू चेन्स (FDRVC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।	स्तर पर **क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन (CBBO)** की स्थापना की जाएगी।	**होंगे तथा FPOs के संवर्धन से संबंधित सभी मुद्दों हेतु सभी स्तरों पर जानकारी के लिए एक मंच** के रूप में कार्य करेंगे।	नाबार्ड और NCDC द्वारा किया जाएगा।

1.3.2. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana)#

सुर्ख़ियों में क्यों?

कई राज्यों द्वारा इस योजना को छोड़ने के बाद, सरकार ने अब स्थायी, वित्तीय और परिचालन मॉडलों का सुझाव देकर योजना को सुधारने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है।

स्मरणीय तथ्य	**उद्देश्य**	**बुवाई-पूर्व से लेकर कटाई के बाद की अवधि के लिए स्वैच्छिक व्यापक फसल बीमा।**
	प्रकार	यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
	लाभार्थी	बटाईदारों / काश्तकार किसानों सहित सभी किसान।
	प्रीमियम की दर	**खरीफ के लिए 2 प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत तथा बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत।**

उद्देश्य

इसका उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से **कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन** का समर्थन करना है:

वित्तीय सहायता	**स्थायी आय**	**आधुनिक कृषि पद्धतियां**	**कृषि की बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता**
प्राकृतिक आपदा तथा विभिन्न कीटों और रोगों के कारण होने वाली फसल हानि की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।	किसानों की आय में स्थायित्व प्रदान करना, ताकि वे स्थायी रूप से कृषि कार्यों में संलग्न रहे सकें।	कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना।	किसानों को उत्पादन जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त किसानों की ऋण संबंधी पात्रता, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की संवृद्धि एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

अपेक्षित लाभार्थी	• अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उपजाने वाले पट्टेदार / जोतदार किसानों सहित सभी किसान, जिन्हें फसल बीमा की आवश्यकता है, योजना के लिए पात्र हैं। • प्रारंभ में, यह केवल ऋण-ग्रस्त किसानों के लिए ही अनिवार्य था। हालांकि अब इसे ऋण-ग्रस्त किसानों सहित **सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक** कर दिया गया है।
अन्य फसल बीमा योजनाओं को शामिल	इस योजना ने **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना** (RWBCIS)[2] के अतिरिक्त, अन्य सभी मौजूदा बीमा योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) तथा संशोधित NAIS को प्रतिस्थापित कर दिया है।

[2] Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme

किया गया है	
शामिल की गई फसलें	खाद्य फसलें (अनाज, मोटे अनाज और दलहन); तिलहन; वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें; कवरेज का संचालन उन बारहमासी बागवानी / वाणिज्यिक फसलों के लिए लिया जा सकता है, जिनके लिए उपज अनुमान हेतु मानक पद्धति उपलब्ध है।
क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र मुख्य फसलों के लिए ग्राम / ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य समकक्ष इकाई को बीमित इकाई के रूप में अधिसूचित करेगी। अन्य फसलों के लिए यह ग्राम / ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर की इकाई हो सकती है।
केंद्रीय सब्सिडी	• **असिंचित क्षेत्रों के लिए केवल 30% कर दिया है।** • सिंचित क्षेत्रों / फसलों के लिए **25%** (50% या अधिक सिंचित क्षेत्र वाले जिलों को PMFBY / RWBCIS दोनों के लिए सिंचित क्षेत्र / जिला माना जाएगा) • उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए **90%** रहेगी।
किसान द्वारा देय प्रीमियम की दर	• **खरीफ-** बीमित राशि का **2.0%** अथवा बीमांकिक दर, जो भी कम हो। • **रबी-** बीमित राशि का **1.5%** अथवा बीमांकिक दर जो भी कम हो। • **वार्षिक वाणिज्यिक / वार्षिक बागवानी फसलें:** बीमित राशि का **5%** अथवा बीमांकिक दर जो भी कम हो।
फसलों की बीमित राशि	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर राष्ट्रीय औसत उपज का या तो वित्तीय-मान या जिला स्तर मूल्य का चयन कर सकते हैं। जिन फसलों के लिए MSP घोषित नहीं किया जाता है, उन फसलों हेतु फार्म गेट प्राइस (खेत पर) ही स्वीकार किया जाएगा।
क्रियान्वयन में देरी के लिए राज्यों की जिम्मेदारी	• यदि राज्य सरकारें निर्धारित समय-सीमा से पहले संबंधित बीमा कंपनियों को प्रीमियम सब्सिडी का भुगतान करने में विफल रहती हैं तो उन्हें आगामी (subsequent) मौसम में इस योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खरीफ और रबी मौसमों हेतु कट-ऑफ तिथियां क्रमश: 31 मार्च और 30 सितंबर हैं। • निर्धारित कट ऑफ तिथि पर **दावों के निपटान में विलंब/शीघ्र निपटान के लिए राज्यों, बीमा कंपनियों (IC) और बैंकों हेतु दंड/प्रोत्साहन** का प्रावधान।
जोखिम का कवरेज और अपवर्जन	• **बुनियादी कवर (Basic Cover):** इस श्रेणी के तहत उल्लिखित जोखिमों का कवरेज **अनिवार्य** है। यह योजना सूखे, शुष्क मौसम, बाढ़, जलप्लावन, व्यापक कीट प्रसार और रोग के हमले, भूस्खलन, वज्रपात के कारण प्राकृतिक दहन, तूफान, ओलावृष्टि एवं चक्रवात जैसे गैर-निवार्य जोखिमों के कारण क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के आधार पर उपज हानि (बुवाई से लेकर कटाई तक) को कवर करने का प्रावधान करती है। • **अतिरिक्त कवरेज (Add-On Coverage):** इस श्रेणी के अंतर्गत उल्लिखित जोखिमों का कवरेज **अनिवार्य नहीं** है। राज्य सरकारें / संघ राज्यक्षेत्र फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCCCI) के परामर्श से बुवाई / रोपण / अंकुरण जोखिम, मध्य-मौसम प्रतिकूलता, फसल कटाई उपरांत नुकसान **(पहले यह अनिवार्य था),** स्थानीय आपदाओं, वन्यजीवों द्वारा भक्षण आदि के लिए कवरेज प्रदान कर सकते हैं। • **सामान्य अपवर्जन (General Exclusions):** युद्ध और नाभिकीय जोखिमों, दुर्भावनापूर्ण क्षति एवं अन्य निवारण करने योग्य जोखिमों से होने वाली हानियों को योजना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
अन्य प्रावधान	• इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए **राज्यों को अपनी बीमा कंपनियां स्थापित करने** की अनुमति दी गई है। • **बीमा कंपनियों को कार्य का आवंटन 3 वर्षों के लिए किया जाएगा।** • **आधार नंबर अनिवार्य।**

1.3.3. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana: PMKSY)#

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **वर्ष 2021 से 2026 के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के कार्यान्वयन** को मंजूरी प्रदान की है। इसे वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था।

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	**सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में शुरू से अंत तक समाधान प्रदान करना।**
	प्रकार	यह एक **केंद्र-प्रायोजित योजना** है।
	समर्पित कोष	**राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तत्वावधान में समर्पित एक दीर्घकालीन सिंचाई निधि (LTIF) और सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF)।**
	निगरानी	• प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली **राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC)।** • **नीति आयोग के उपाध्यक्ष** की अध्यक्षता में एक **राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (NEC)।**

उद्देश्य				
निवेश को अभिसरित करना	**हर खेत को पानी**	**प्रति बूँद अधिक फसल**	**खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता**	**सतत जल संरक्षण**
खेत स्तर पर सिंचाई में निवेश को अभिसरित करना। जिला-स्तरीय और यदि आवश्यक हो, तो उप-जिला स्तरीय तैयारी के साथ जल उपयोग हेतु योजनाएं निर्मित करना।	खेत स्तर पर जल की भौतिक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना।	परिशुद्ध सिंचाई और अन्य जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना	जल के अपव्यय को कम करने और इसकी कालावधिपूर्ण व विस्तार-क्षेत्र उपलब्धता दोनों को बढ़ाने के लिए **खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करना।**	जलाशयों के पुनर्भरण हेतु उपायों को बढ़ावा देना तथा सतत जल संरक्षण पद्धतियों की शुरुआत करना।

प्रमुख विशेषताएं	
अंतर-मंत्रालयी योजना	इसे **मौजूदा योजनाओं को एक साथ सम्मिलित** करके तैयार किया गया है यथा: • त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefit Programme: AIBP); • एकीकृत जलसंभर क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme: IWMP); • राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के घटक के रूप में खेत स्तर पर जल प्रबंधन (On Farm Water Management: OFWM)) ।
वाटर बजटिंग	घरेलू, कृषि और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों हेतु वाटर बजटिंग की सुविधा प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तत्वावधान में समर्पित सिंचाई कोष	• **दीर्घकालीन सिंचाई निधि (LTIF):** यह अपूर्ण, प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को ट्रैक करने में मदद करेगी। • **सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF):** राज्यों को रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए।

© Vision IAS

निगरानी	• प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली व सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर गठित एक अंतर-मंत्रालयी **राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC)** द्वारा इसका निरीक्षण और निगरानी की जाएगी। • योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु **नीति आयोग के उपाध्यक्ष** की अध्यक्षता में एक **राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (NEC)** का गठन किया जाएगा।
3 मंत्रालयों के तहत 4 घटक	
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) **जल शक्ति मंत्रालय।**	• AIBP को वर्ष 1996-97 में भारत में **प्रमुख (या बड़ी) / मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता** प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। • इसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति प्रदान करना था, जो राज्यों की संसाधन क्षमताओं से परे हैं या जो पूर्णता के अंतिम चरण में हैं।
PMKSY (हर खेत को पानी) **जल शक्ति मंत्रालय**	• लघु सिंचाई (सतही व भूमिगत जल दोनों) द्वारा नए जल स्रोतों का निर्माण। • **सतही लघु सिंचाई (Surface Minor Irrigation: SMI) योजना** तथा जल निकायों की मरम्मत, सुधार और नवीकरण का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। • **परंपरागत स्रोतों की वहन क्षमता का सुदृढ़ीकरण, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण:** जल मंदिर (गुजरात), खतरी, कुही (हिमाचल प्रदेश), जेबोय (नागालैंड), इड़ी, ओरेनिस (तमिलनाडु), डोंग (असम), कतास, और बंधा (ओडिशा एवं मध्य प्रदेश)। • कमान क्षेत्र विकास।
PMKSY (प्रति बूँद अधिक फसल) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, **कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय।**	• प्रभावी जल परिवहन तथा परिशुद्ध जल अनुप्रयोग उपकरणों जैसे कि पिवोट, रेनगन (जल सिंचन), ड्रिप्स, स्प्रिंकलर को बढ़ावा देना। • वैज्ञानिक आर्द्रता संरक्षण, फसल संयोजन व फसल संरेखण आदि के लिए विस्तारित गतिविधियाँ। • **राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP) के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप -** सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों, खेत पर कृषि जल प्रबंधन, फसल संरेखण आदि और योजना की गहन निगरानी करना।
PMKSY (समेकित जलसंभर विकास) भूमि संसाधन विभाग, **ग्रामीण विकास मंत्रालय।**	• **सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (DDP) तथा एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (IWDP)** को इस घटक के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। • अपवाहित जल का प्रभावी प्रबंधन और मृदा तथा आर्द्रता संरक्षण गतिविधियों का उन्नयन। • परियोजनाओं के चयन और तैयारी में क्लस्टर दृष्टिकोण को अपनाना। • **मनरेगा के साथ अभिसरण (जोड़ना)।**

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP)

- चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में पूर्ववर्ती ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (वर्ष 1971-72) का नाम परिवर्तित कर DPAP कर दिया गया।
- इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन तथा पशुधन और भूमि, जल व मानव संसाधनों पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है ताकि प्रभावित क्षेत्रों को सूखा प्रत्यास्थ बनाया जा सके।
- योजना लागत को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है।

मरु विकास कार्यक्रम (DDP)

- वर्ष 1977-78 में DDP को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने तथा संधारणीय विकास के लिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित/पुनर्बहाल करना है।
- निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता को इस अनुपात में निर्धारित किया गया है: उष्ण शुष्क गैर मरुस्थलीय क्षेत्र (75%); उष्ण शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र (100%); शीत शुष्क क्षेत्र (100%)।

समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (IWDG)

- वर्ष 1989-90 से इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना केंद्र प्रदत्त अनुदान सहायता (100%) पर आधारित है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से गैर वन बंजर भूमि के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

1.3.4. एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture: MIDH)#

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने MIDH के लिए वर्ष 2021-22 हेतु 2250 रुपये आवंटित किए हैं।

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	बाग़वानी क्षेत्रक के **समग्र विकास** को बढ़ावा देना।
	प्रकार	यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है .
	केंद्र और राज्य का वित्त पोषण हिस्सा।	केंद्र सरकार पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए **90%** तथा अन्य सभी राज्यों के लिए **60%** का योगदान करेगी, जबकि शेष योगदान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB), नारियल विकास बोर्ड (CDB), केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH) और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों (NLAs) के मामले में, केंद्र 100% योगदान करेगा।
	प्रोजेक्ट चमन (CHAMAN)	बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र और उत्पादन के आकलन के लिए इसे **वर्ष 2014** में शुरू किया गया था।

उद्देश्य

बाग़वानी क्षेत्रक का विकास	**किसानों का समूहन**	**पोषण सुरक्षा और आय सुरक्षा**	**उत्पादकता में सुधार करना**	**कौशल विकास**
बाग़वानी क्षेत्रक (बांस और नारियल सहित) के समग्र विकास को बढ़ावा देना।	FPO जैसे समूहों में किसानों के समूहन को प्रोत्साहित करना।	किसानों की आय को बढ़ाना और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना।	जर्मप्लाज्म, रोपण सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई के प्रयोग द्वारा जल उपयोग कुशलता में वृद्धि के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करना।	बागवानी व फसल कटाई उपरांत प्रबंधन में **कौशल विकास का समर्थन करना** और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न करना।

प्रमुख विशेषताएं

इसमें अग्रलिखित 6 उप-योजनाएं और कार्य क्षेत्र सम्मिलित हैं:	• **राष्ट्रीय बाग़वानी मिशन (NHM):** क्षेत्र आधारित व स्थानीय रूप से विभेदीकृत रणनीतियों के माध्यम से बाग़वानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना। हॉर्टनेट* (HORTNET) को क्रियान्वित किया जा रहा है। • **उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए बाग़वानी मिशन:** यह एक तकनीकी मिशन है, जो गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन, जैविक कृषि, कुशल जल प्रबंधन इत्यादि पर सकेंद्रित है। • **राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM):** गैर-वनीय भूमि (सरकारी और निजी) में बांस रोपण के अधीन क्षेत्र को बढ़ाना। • **राष्ट्रीय बाग़वानी बोर्ड (NHB):** बोर्ड द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है। • **नारियल विकास बोर्ड {Coconut Development Board (CDB)}:** नारियल विकास बोर्ड द्वारा देश के सभी नारियल उत्पादक राज्यों में एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन (MIDH) के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है। • **केंद्रीय बाग़वानी संस्थान, नागालैंड:** इसे वर्ष 2006-07 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों और क्षेत्रीय अधिकारियों की क्षमता के निर्माण तथा प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।
शामिल किए गए क्षेत्र	

उप-योजनाएं	**लक्षित समूह/ कार्यक्षेत्र**
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)	पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र

© Vision IAS

	<table><tr><td>**पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH)**</td><td>पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र के सभी राज्य</td></tr><tr><td>**राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM)**</td><td>सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र</td></tr><tr><td>**राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB)**</td><td>वाणिज्यिक बागवानी पर विशेष ध्यान देने वाले सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र</td></tr><tr><td>**नारियल विकास बोर्ड**</td><td>नारियल उत्पादक सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र</td></tr><tr><td>**केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH)**</td><td>पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए, मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान</td></tr></table>
रणनीति	<table><tr><td colspan="4">**रणनीति**</td></tr><tr><td>**समग्र दृष्टिकोण अपनाना**</td><td>**अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना**</td><td>**उत्पादकता में सुधार करना**</td><td>**फसल पश्चात् प्रबंधन में सुधार करना**</td></tr><tr><td>पूर्वापार संबंधों (बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज) के साथ</td><td>शीत श्रृंखला अवसंरचना पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए</td><td>फसलों के विविधीकरण, प्रौद्योगिकी के विस्तार और बागानों के क्षेत्रफल (एकड़ में) में वृद्धि के माध्यम से</td><td>मूल्य वृद्धि से संबंधित प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना में सुधार करना। FPOs को प्रोत्साहन देना तथा बाजार समूहकों (Market aggregators) एवं वित्तीय संस्थानों के साथ FPOs के संबंधों को बढ़ावा देना।</td></tr></table>
MIDH के अधीन अन्य पहलें	
चमन (CHAMAN)	• कार्यक्रम के अंतर्गत बागवानी विकास (स्थल/साइट उपयुक्तता, बुनियादी ढांचे का विकास, फसल गहनता, उद्यान कायाकल्प, जलीय-बागवानी आदि) हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा के साथ जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली) उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है। • चमन का एक अन्य घटक का उद्देश्य **बागवानी फसल की स्थिति का अध्ययन, रोग आकलन और परिशुद्ध कृषि पर अनुसंधान गतिविधियों को संचालित** करना है। • चमन के द्वितीय चरण को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।
हॉर्टनेट (HORTNET)	• **हॉर्टनेट** परियोजना MIDH के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वेब सक्षम कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली है। • इसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) के अंतर्गत ई-गवर्नेंस के संपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संचालित किया गया है। साथ ही, इसके अंतर्गत कार्यप्रवाह की सभी प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है, यथा- ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण, प्रमाणीकरण, प्रक्रम और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान आदि।

1.3.5. किसान क्रेडिट कार्ड योजना {Kisan Credit Card (KCC) Scheme}*

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रवर्तन निदेशालय ने KCC योजना से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में 100 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

स्मरणीय तथ्य	**उद्देश्य**	किसानों को पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करने के लिए इसे **वर्ष 1998** में शुरू किया गया था।
	प्रकार	यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।

	लाभार्थी	काश्तकार किसान, मत्स्य पालन और पशुपालन किसान, SHGs या किसानों के संयुक्त देयता समूहों सहित सभी किसान।
	ऋण का प्रीमियम	बैंक और उधारकर्ता दोनों द्वारा वहन (क्रमशः 2:1 के अनुपात में)।

उद्देश्य	
बैंकिंग प्रणाली द्वारा सिंगल विंडो के माध्यम से कृषि और अन्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, जैसे-	
कृषि आवश्यकताएं	**गैर-कृषि आवश्यकताएं**
फसलोत्पादन के उपरांत होने वाले व्यय; उत्पाद विपणन ऋण; कृषि संपत्ति और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के अनुरक्षण के लिए कार्यशील पूंजी; कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता के लिए।	किसान परिवारों की उपभोग आवश्यकताएं।

प्रमुख विशेषताएं	
अभीष्ट लाभार्थी	• सभी किसान- व्यक्तिगत/संयुक्त उधारकर्ता जिनके पास भू-स्वामित्व है। • काश्तकार किसान, अलिखित पट्टेदार और बंटाईदार आदि। • काश्तकार किसान, बंटाईदार आदि सहित किसानों के स्वयं सहायता समूह (SHGs) और संयुक्त देयता समूह आदि शामिल है। • **पशुपालन और मत्स्य पालन में संलग्न** किसान।
फसलों के लिए अल्पकालिक ऋण सीमा और सावधि ऋण	1.6 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण; कोई प्रक्रियागत शुल्क नहीं; ब्याज अनुदान योजना के लिए पात्र। **नोट:** यद्यपि KCC के माध्यम से प्राप्त किया गया ऋण **ब्याज अनुदान योजना** के अधीन है, तथापि KCC के ऋण पर देय ब्याज दर, लगभग 7 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। यहां **किसानों को प्रति वर्ष मात्र 4 प्रतिशत का भुगतान** करना आवश्यक है। साथ ही इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान और 3 प्रतिशत का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
जोखिम कवरेज	KCC धारक को बाहरी, हिंसक और दृश्य साधनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता।
अन्य सुविधाएं	ए.टी.एम. सक्षम रुपे कार्ड; सीमा के भीतर अनगिनत बार आहरण; एक बार में संपूर्ण दस्तावेजीकरण।
बैंक	KCC की सुविधा **सभी भारतीय बैंकों,** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों में उपलब्ध है।

© Vision IAS

2. आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush)

2.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

2.1.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

आयुष क्लिनिकल केस रिपॉजिटरी (CCR) पोर्टल {Ayush Clinical Case Repository (CCR) portal}	• हाल ही में, **आयुष मंत्रालय ने CCR पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण** लॉन्च किया है। ○ CCR पोर्टल का उद्देश्य **आयुष चिकित्सकों द्वारा प्राप्त नैदानिक परिणामों के बारे में व्यापक स्तर पर जानकारी एकत्र करना है।** ○ यह आयुष चिकित्सकों और आम जनता दोनों के सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। • **आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण:** यह आयुष 64 और काबसुरा कुडिनीर औषधियों सहित चयनित आयुष हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता के बारे में एक महत्वपूर्ण अध्ययन एवं दस्तावेजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।

VISION IAS

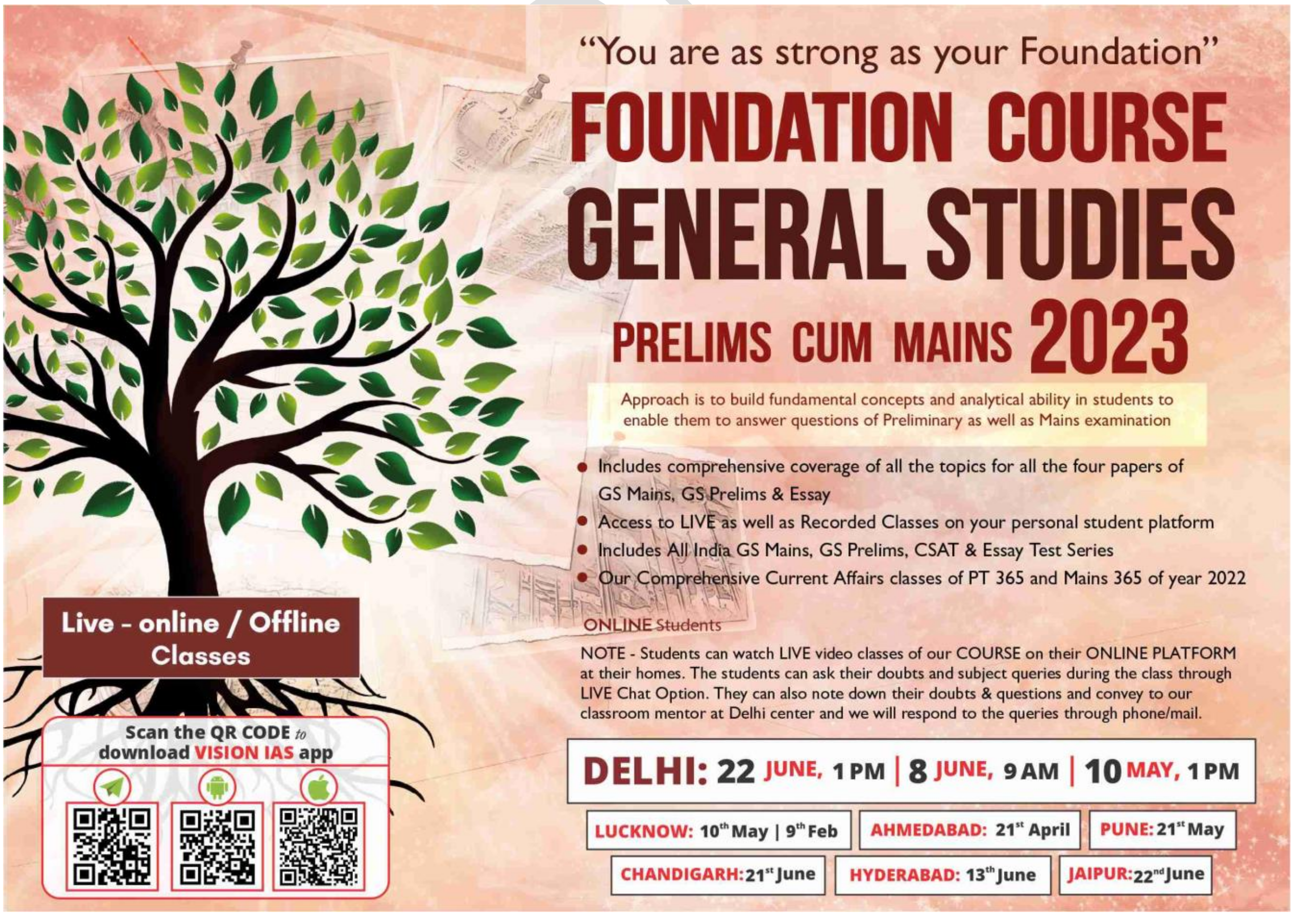

3. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers)

3.1. हाल ही में आरंभ की गई योजना (Newly Launched Scheme)

3.1.1. फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत बनाने की योजना (SPI) {Scheme Strengthening of Pharmaceutical Industry (SPI)}

स्मरणीय तथ्य	**लक्ष्य**	उद्देश्य सामान्य सुविधाओं का निर्माण
	वित्तीय सहायता	SME और MSME की उत्पादन सुविधाओं के उन्नयन के लिए, उनके पूंजीगत ऋण पर ब्याज सहायता या पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
	अवधि	वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक
	योजना संचालन समिति (Scheme Steering Committee: SSC)	इसकी अध्यक्षता फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव द्वारा की जाएगी।

उद्देश्य		
भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना	**उत्पादन सुविधाओं का उन्नयन**	**जागरूकता**
भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाते हुए उत्पादन सुविधाओं का उन्नयन करना।	**शिक्षा और प्रचार** के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना ताकि इस धारणा का मुकाबला किया जा सके कि गुणवत्ता केवल उच्च मूल्य का पर्याय है।	**PMBJP केंद्र खोलने में व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके** रोजगार सृजित करना।

मुख्य विशेषताएं	
सामान्य सुविधाएं	• इसका अर्थ है कि इसमें ग्राहक द्वारा साझा उपयोग के लिए लक्षित सभी सुविधाएं तथा सामान्य सुविधा केंद्रों (CFCs)[3] के रूप में मूर्त "परिसंपत्तियों" का निर्माण शामिल होगा। • सामान्य सुविधाओं के अंतर्गत कुछ सूचक गतिविधियां इस प्रकार हैं: सामान्य परीक्षण केंद्र; प्रशिक्षण केंद्र; अनुसंधान और विकास केंद्र; बहिःस्राव उपचार संयंत्र; और सामान्य रसद केंद्र।
इस योजना में 3 घटक / उप-योजनाएं शामिल हैं	
सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग को सहायता	साझा सुविधाओं का सृजन करके उनके सतत विकास के लिए मौजूदा फार्मास्युटिकल समूहों की क्षमता को सुदृढ़ करना।

[3] Common Facility Centers

 © Vision IAS

फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियामक मानकों को पूरा करने के लिए प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाले MSME को सुविधा प्रदान करना।
औषधि और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना	अध्ययन/सर्वेक्षण रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रमों, डाटाबेस के सृजन और उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों की वृद्धि और विकास को सुगम बनाना।

3.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

3.2.1. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana: PM-BJP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत देश के समस्त जिलों को शामिल किया गया है।

स्मरणीय तथ्य	**क्यों?**	यह **आम जनता को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने** के लिए आरंभ किया गया एक अभियान है।
	पृष्ठभूमि	इसे **वर्ष 2008 में जन औषधि अभियान** के नाम से आरंभ किया गया था।
	कार्यान्वयन	**भारतीय औषधि और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो** (Pharmaceutical & Medical Devices Bureau of India : PMBI)
	अन्य सेवाएं	इस योजना के अंतर्गत **सभी संबंधित स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों को भी उपलब्ध** कराया जाएगा।

उद्देश्य		
गुणवत्तायुक्त दवाएँ उपलब्ध कराना	**जागरूकता**	**रोजगार**
सभी के लिए, विशेष रूप से निर्धन और वंचित वर्गों हेतु वहनीय कीमतों पर गुणवत्तायुक्त दवाएँ उपलब्ध कराना।	शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से **जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करना**, ताकि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय न बने।	प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) केंद्र स्थापित करके व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके रोजगार उत्पन्न करना।

प्रमुख विशेषताएं	
मिशन	• चिकित्सकों के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की मांग उत्पन्न करना। • शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से इस संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना कि उच्च मूल्य उच्च गुणवत्ता का पर्याय नहीं होता है। • सभी चिकित्सीय समूहों को कवर करने वाली सभी सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करना। • जेनरिक दवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना। • योजना के अंतर्गत सभी संबंधित स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद भी प्रदान करना।
वित्तीय सहायता	• सरकारी अस्पताल परिसर में **जन औषधि केंद्र (Janaushadhi Kendras: JAK) स्थापित करने वाले गैर सरकारी संगठनों/एजेंसियों/व्यक्तियों को 5 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी।** इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा ऑपरेटिंग एजेंसी को मुफ्त में जगह उपलब्ध कराई जाती है। • पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीपीय क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में खोले गए प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) केंद्रों या महिला उद्यमी, दिव्यांग, एससी और एसटी द्वारा खोले गए PMBJP केंद्रों को **फर्नीचर, फिक्स्चर, कंप्यूटर तथा प्रिंटर के लिए 2 लाख रुपये का एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाना है।**

प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJAK) के लिए लक्ष्य	• सरकार ने **मार्च 2024** तक PMBJAK की संख्या को **10000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।**
उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना	• दवाएं केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन - **गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (WHO-GMP) प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं** से खरीदी जाती हैं। • दवा के प्रत्येक बैच का परीक्षण **'नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज' (NABL)** द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है।
जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन	यह **वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए 'स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा'** सुनिश्चित करेगा। इसका निर्माण **भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ब्यूरो ऑफ फार्मा (BPPI)** द्वारा किया गया है।
जन औषधि सुगम ऐप	• इसे वर्ष 2019 में उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधाओं के साथ लॉन्च किया गया था **जैसे - गूगल मानचित्र के माध्यम से पास के जन औषधि केंद्र का पता लगाना, जन औषधि जेनेरिक दवाओं की खोज करना, MRP के संदर्भ में जेनेरिक बनाम ब्रांडेड दवाओं की कीमतों की तुलना करना, समग्र बचत आदि।**

3.2.2. चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन संबंधी योजना (Scheme for Promotion of Medical Devices Park)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को "सैद्धांतिक" मंजूरी प्रदान की गई है।

स्मरणीय तथ्य	**उद्देश्य**	इस योजना के अंतर्गत चयनित 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों में साझा अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
	प्रकार	यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है।
	अनुदान सहायता	एक चिकित्सा उपकरण पार्क हेतु **अधिकतम सहायता अनुदान 100 करोड़ रुपये** तक सीमित होगा, अर्थात् योजना का कुल वित्तीय परिव्यय (4 चिकित्सा उपकरण पार्कों के लिए) 400 करोड़ रुपये होगा।
	अवधि	योजना की अवधि **वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025** तक होगी।

उद्देश्य			
विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाएं	**परीक्षण और अवसंरचना सुविधाओं तक सुगम पहुंच**	**उत्पादन की लागत में कमी करना**	**अतिरिक्त लाभ**
भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग को **वैश्विक स्तर पर अग्रणी** बनाने के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण करना।	**विश्व स्तरीय साझा अवसंरचनात्मक सुविधाओं** के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण और अवसंरचना सुविधाओं तक सुगम पहुंच उपलब्ध कराना।	घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की **बेहतर उपलब्धता और वहनीयता** के कारण चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय कमी करना।	**संसाधनों के अनुकूलन और आकारिक मितव्ययिता** से उत्पन्न होने वाले लाभों को प्राप्त करना।

प्रमुख विशेषताएं	
चिकित्सा उपकरण पार्क क्या है	यह **चिकित्सा उपकरणों के अनन्य विनिर्माण** के लिए सामान्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ भूमि के एक निर्दिष्ट सन्निहित क्षेत्र को संदर्भित करता है।

© Vision IAS

वित्तीय सहायता की मात्रा	• इसमें चयनित चिकित्सा उपकरण पार्क को सामान्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की परियोजना लागत के 70% की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के मामले में परियोजना लागत का 90% होगी। • इस योजना के अंतर्गत **अधिकतम सहायता 100 करोड़ रुपये प्रति चिकित्सा उपकरण पार्क तक सीमित होगी।**
राज्यों के लिए चयनित मापदंड	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का चयन **राज्य नीति प्रोत्साहन, पार्क का कुल क्षेत्रफल, भूमि को पट्टे पर देने की दर, पार्क की कनेक्टिविटी, व्यापार करने में सुगमता** आदि जैसे मापदंडों के आधार पर किया जाता है।
• **नोट:** भारत अपनी चिकित्सा उपकरणों की कुल घरेलू मांग के 85% तक के लिए आयात पर निर्भर है।	

3.2.3. महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री/औषधि मध्यवर्ती और सक्रिय औषध सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive Scheme for Promotion of Domestic Manufacturing of Critical KSMS (Key Starting Materials)/Drug Intermediates and APIS (Active pharmaceutical ingredients)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

बल्क ड्रग्स या सक्रिय औषध सामग्री (APIs) का विनिर्माण करने वाले घरेलू औषध लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs)[4] ने यह चिंता व्यक्त की है कि केंद्र सरकार ने उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना में शीर्ष कुछ कंपनियों को 71% से अधिक और SMEs को केवल 11% हिस्सा दिया है।

स्मरणीय तथ्य	कार्यान्वयन	यह योजना **औषध विभाग द्वारा नामित की जाने वाली परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)** के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
	प्रयोज्यता	यह योजना **केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू है।**
	वित्तीय प्रोत्साहन	53 APIs को कवर करने वाले 41 उत्पादों हेतु चयनित निर्माताओं को आधार वर्ष (2019-20) में **6 वर्षों के लिए वृद्धिशील बिक्री के आधार पर वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
	अवधि	इस **योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2029-30 तक होगी।**

उद्देश्य
भारत की आयात निर्भरता को कम करना
इस योजना का उद्देश्य मुख्य प्रारंभिक सामग्री (KSMs) / औषधि मध्यवर्ती (Drug Intermediates) और सक्रिय औषध सामग्री (APIs) में अधिक निवेश आकर्षित कर **घरेलू विनिर्माण / उत्पादन को बढ़ावा** देना है। इस प्रकार इसका मुख्य उद्देश्य KSMs / औषधि मध्यवर्ती सामग्री और APIs के संबंध में अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करना है।

प्रमुख विशेषताएं	
उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र लक्षित खंड	**इस योजना के चार खंड है। इनमें पात्र KSMs/DIs/APIs उत्पादों को उनके महत्व और आयात निर्भरता के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात्:** • प्रमुख किण्वन आधारित मुख्य आरंभिक सामग्री (KSM)/दवा मध्यवर्ती (DIs) • आला (Niche) किण्वन आधारित KSMs/DIs/APIs

[4] Small and Medium Enterprises

	• प्रमुख रासायनिक संश्लेषण आधारित KSMs/DIs • अन्य रासायनिक संश्लेषण आधारित KSMs/DIs/APIs
व्यापकता	• इस योजना के अंतर्गत, चयनित विनिर्माताओं द्वारा 41 उत्पादों के लिए की गई बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये 41 उत्पाद सभी चयनित 53 APIs को कवर करते हैं। ○ 53 चिन्हित बल्क ड्रग्स (इसे सक्रिय औषध सामग्री भी कहते हैं) में से 26 किण्वन पर और 27 रसायन संश्लेषण पर आधारित बल्क ड्रग्स हैं। ○ किण्वन आधारित बल्क ड्रग्स के लिए प्रोत्साहन की दर 20% (विक्रय में वृद्धि के आधार पर) तथा रसायन संश्लेषण आधारित बल्क ड्रग्स के लिए यह दर 10% होगी।
हालिया परिवर्तन (Recent changes)	• निवेश संबंधी **'न्यूनतम सीमा'** के मानदंड को चयनित आवेदक द्वारा किए जाने वाले **'प्रतिबद्ध' निवेश** से प्रतिस्थापित किया गया है। • प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता के उद्देश्य से पात्र उत्पादों की बिक्री को **केवल घरेलू बिक्री** तक सीमित रखने वाले प्रावधान **को समाप्त किया गया है।** इस योजना को अन्य PLI योजनाओं के अनुरूप किया गया है और बाजार विविधीकरण को प्रोत्साहित किया गया है। • टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन, पैरा अमीनो फिनोल (PAP), मेरोपेनेम, आर्टिसुनेट, लोसर्टन, टेल्मिसर्टन, ऐसीक्लोविर, सिप्रोफ्लोक्सासिन और एस्पिरिन जैसे **10 उत्पादों के लिए न्यूनतम वार्षिक उत्पादन क्षमता** में परिवर्तन किया गया है। इस योजना के तहत "न्यूनतम वार्षिक उत्पादन क्षमता" पात्रता संबंधी मानदंड का भाग है।

नोट: विभिन्न क्षेत्रों के लिए अन्य PLI योजनाएं इस प्रकार हैं:

चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण	औषध विभाग
फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स	औषध विभाग
वृहत पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक / प्रौद्योगिकी उत्पाद	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद	दूरसंचार विभाग
खाद्य उत्पाद	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर्स और एल.ई.डी.)	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)
उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	भारी उद्योग विभाग
वस्त्र उत्पाद: MMF खंड और तकनीकी वस्त्र	वस्त्र मंत्रालय
विशेष इस्पात	इस्पात मंत्रालय
ड्रोन और ड्रोन घटक	नागर विमानन मंत्रालय

 © Vision IAS

4. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry)

4.1. संशोधित योजनाएं (Modified Schemes)

4.1.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (IFLDP)	• इसे पहले **भारतीय फुटवियर एवं सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (IFLADP)** कहा जाता था।
	• भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (IFLDP) का उद्देश्य चमड़ा उद्योग के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है। इसके अंतर्गत **चमड़ा क्षेत्र के लिए विशेष पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना, अतिरिक्त निवेश को सुगम बनाना, रोजगार सृजन करना और उत्पादन में वृद्धि** करना शामिल है।
	• IFLDP के तहत वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक के लिए **निम्नलिखित उप-योजनाओं को मंजूरी** प्रदान की गई है।
	  ○ **सतत प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संवर्धन:** प्रत्येक **सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (Common Effluent Treatment Plants) के लिए गठित विशेष प्रयोजन वाहन को** सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कुल परियोजना लागत का 80 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों के लिए 70 प्रतिशत होगी।
	  ○ **चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास:** क्षेत्रीय इकाइयों को उनके **आधुनिकीकरण/ क्षमता विस्तार/ प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता** प्रदान की जाएगी।
	  ○ **संस्थागत सुविधा केंद्रों की स्थापना:** अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र व खेल परिसर की स्थापना करना, पारंपरिक लाइट फिक्स्चर को LED लाइट्स से बदलने आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करना।
	  ○ **चमड़े के फुटवियर और सहायक उत्पादों के मेगा क्लस्टर का विकास:** इसका उद्देश्य **विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और उत्पादन श्रृंखला को एकीकृत करना है।** इससे घरेलू बाजार और निर्यात की व्यावसायिक जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।
	  ○ **चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में भारतीय ब्रांड्स का प्रचार:** भारत सरकार कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, सहायता राशि के रूप में प्रदान करेगी।
	  ○ **डिजाइन स्टूडियो के विकास के लिए सहायता (एक नई उप-योजना):** डिजाइन स्टूडियो **'वन-स्टॉप-शॉप'** की तरह होगा। यह **डिजाइन, तकनीकी सहायता, गुणवत्ता नियंत्रण** आदि सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा।
	• **हालिया संशोधन:** इस योजना की अवधि बढ़ा कर **वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक** कर दी गई है।
	• **नोट:** विश्व में चमड़े/खाल के उत्पादन में **भारत के चमड़ा उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 13 प्रतिशत है।** विश्व के फुटवियर उत्पादन में **भारत की हिस्सेदारी 9 प्रतिशत है।**

4.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

4.2.1. भारत में व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर्स और एल.ई.डी. लाइट्स) के विनिर्माताओं के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {Production Linked Incentive Scheme (PLI) For White Goods (Air Conditioners And Led Lights) Manufacturers In India}

सुर्ख़ियों में क्यों?

मार्च 2022 में, दूसरे दौर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, क्योंकि नवंबर 2021 के पहले निमंत्रण दौर के बाद योजना के लिए आवंटित की गई संपूर्ण निधि का उपयोग नहीं किया जा सका है।

स्मरणीय तथ्य	**कार्यान्वयन**	**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** द्वारा।
	पात्रता	योजना के तहत भारत में लक्षित खंडों में विनिर्माण के लिए **ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड निवेश** करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

	वित्तीय प्रोत्साहन	आधार वर्ष 2019-20 से ऊपर की अवधि में **वृद्धिशील बिक्री (करों को घटाकर) पर 4% से 6% का प्रोत्साहन** प्रदान किया जाएगा।
	अवधि	**वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2028-29 तक**

उद्देश्य	
घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना	**एक सुदृढ़ घटक परिवेश का निर्माण करना**
व्हाइट गुड्स की विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और** व्यापक निवेश को आकर्षित करना।	**क्षेत्रगत कमियों का निवारण करना, उन्हें वृहद पैमाने पर किफायती बनाना, निर्यात में वृद्धि करना,** एक सुदृढ़ घटक परिवेश का निर्माण करना और रोजगार का सृजन करना।

प्रमुख विशेषताएं	
विषय-क्षेत्र	योजना के तहत एयर कंडीशनर्स और एल.ई.डी. लाइट्स के घटकों के विनिर्माण में संलग्न कंपनियों/इकाइयों को सहायता प्रदान की जाएगी। (व्हाइट गुड्स जैसे प्रतिरोधक, फ्यूसर, एल.ई.डी. ट्रांसफार्मर, आदि)।
पात्रता	• कंपनियों की पात्रता विभिन्न लक्षित खंडों के लिए पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा किए जाने के अधीन होगी। • केवल तैयार माल की असेंबली को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।
संवितरण वर्ष की गणना	• **निवेश का प्रथम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 होगा तथा वृद्धिशील बिक्री का प्रथम वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 होगा।** • संबंधित वर्ष के लिए PLI का वास्तविक संवितरण उस वर्ष के पश्चात् किया जाएगा।
इस योजना में वित्तपोषण सीमित है	लक्ष्य से अधिक उपलब्धि के मामले में भी प्रोत्साहनों का कुल भुगतान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राशि तक सीमित होगा।
इस योजना में बाहर निकलने का प्रावधान	यदि लाभ प्राप्त करने वाली कोई कंपनी इस योजना से बाहर निकलना चाहती है, तो उन्हें प्राप्त किया गया प्रोत्साहन ब्याज के साथ वापस करना होगा।
निगरानी	मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (EGoS)[5] PLI योजना की निगरानी करेगा।

4.2.2. स्टार्टअप इंडिया (Startup India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यह योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना ने हाल ही में 6 वर्ष पूर्ण किए हैं।

स्टार्ट-अप की मान्यता के लिए पात्रता मानदंड	**स्टार्टअप होना चाहिए**	स्टार्ट-अप को एक **प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित होना** चाहिए या एक **साझेदारी फर्म या एक सीमित देयता भागीदारी (limited liability partnership) के रूप में पंजीकृत** होना चाहिए। किसी इकाई को उसके **निगमीकरण की तिथि से 10 वर्ष पूर्ण होने तक ही उसे** स्टार्ट-अप माना जाएगा।
	टर्नओवर	विगत किसी भी वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार **(टर्नओवर) 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं** होना चाहिए।
	स्टार्टअप को कार्य करना चाहिए	स्टार्ट-अप को **मौजूदा उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के नवाचार / सुधार की दिशा में कार्य** करना चाहिए और इसमें **रोजगार / धन सृजित करने की क्षमता** होनी चाहिए।

[5] Empowered Group of Secretaries

© Vision IAS

	कौन शामिल नहीं	पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या इसके पुनर्निर्माण के माध्यम से निर्मित किसी इकाई को "स्टार्ट-अप" नहीं माना जाएगा।

उद्देश्य
नवाचार और स्टार्ट-अप्स को पोषण
देश में नवाचार और स्टार्ट-अप्स के पोषण के लिए एक सुदृढ़ इको-सिस्टम का निर्माण करना।

प्रमुख विशेषताएं	
कार्यान्वयन एजेंसी	**उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)।**
यह कार्य योजना 3 स्तंभों पर आधारित है	
सरलीकरण और आरंभिक समर्थन	• **स्व-प्रमाणन के आधार** पर स्टार्टअप्स के लिए 6 श्रम कानूनों और 3 पर्यावरण कानूनों के लिए सरल अनुपालन की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स पर विनियामक बोझ को कम करना और अनुपालन लागत को घटाना है। • स्टार्टअप्स को आरंभिक समर्थन के लिए **स्टार्टअप इंडिया हब का निर्माण करना।** • अनुपालन और सूचना के आदान-प्रदान के लिए **मोबाइल ऐप और पोर्टल** का शुभारंभ करना। • कम लागत पर **कानूनी सहायता और तेजी से पेटेंट परीक्षण।** • स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक **खरीद के नियमों में ढील** दी गई है। • साथ ही, स्टार्टअप्स के लिए **तेजी से बाहर निकलना** (90 दिनों की अवधि के भीतर) शामिल है।

उद्योग-शैक्षणिक भागीदारी और उद्भवन	• नवाचारों को प्रदर्शित करने और सहयोग मंच प्रदान करने के लिए **स्टार्टअप उत्सवों का आयोजन** करना।
	• नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (AIM) के **स्व रोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु/SETU) कार्यक्रम** के साथ आरंभ।
	• इन्क्यूबेटरों की स्थापना के लिए **निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग करना।**
	• **राष्ट्रीय संस्थानों में नवाचार केंद्रों** का निर्माण करना।
	• आई आई टी मद्रास में स्थापित अनुसंधान पार्क की तर्ज पर **7 नये अनुसंधान पार्कों की स्थापना।**
	  ○ **जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना।**
	  ○ **छात्रों के लिए नवाचार केंद्रित कार्यक्रमों** का शुभारंभ करना।
	  ○ इन्क्यूबेटरों के बीच सही पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए **वार्षिक इन्क्यूबेटर ग्रैंड चैलेंज का निर्माण करना।**

अनुदान सहायता और प्रोत्साहन	• **स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स*** की स्थापना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी/SIDBI) द्वारा प्रबंधित 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ की गई है। • योग्य स्टार्टअप्स को निगमन के बाद से अपने पहले दस वर्षों में से लगातार 3 वित्तीय वर्षों के लिए आयकर का भुगतान करने से छूट दी जा सकती है। • **सिडबी के माध्यम से स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण किया गया।** • **पूंजीगत लाभ पर कर छूट****
नोट:	
फंड ऑफ फंड्स*	सरकार द्वारा **डॉटर फंड** के रूप में ज्ञात सेबी (भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड) में पंजीकृत **वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs)**[6] की पूंजी में भागीदारी की जाती है, जिसके प्रतिफल में AIF द्वारा इक्विटी / इक्विटी से संबद्ध लिखतों के माध्यम से भारतीय स्टार्ट-अप्स में निवेश किया जाता है।
कर छूट**	• यदि परिसंपत्ति खरीद हेतु पात्र स्टार्ट-अप में पूंजी का निवेश किया जाता है, तो आवासीय घर/भूखंड की बिक्री से उत्पन्न **पूंजीगत लाभ** पर कर छूट प्रदान की जाएगी।

6 Alternate Investment Funds

	• यदि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित फंड में निवेश (अधिकतम निवेश 50 लाख रुपये) किया गया है, तो **दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर** कर छूट प्रदान की जाएगी। • **एंजेल टैक्स:** स्टार्ट-अप के फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक निवेश पर आरोपित होगा। नए नियमों के तहत, एक स्टार्ट-अप द्वारा जारी किए गए शेयरों के लिए समग्र निवेश 10 करोड़ रुपये की पूर्व की सीमा से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हाल ही में, आयकर अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार, किसी स्टार्ट-अप की शेयर पूंजी में न्यूनतम 50% धारिता या मतदान अधिकार संबंधी शर्त को 25% कर दिया गया है।

4.2.3. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (NEIDS), 2017	• NEIDS की अधिकार प्राप्त समिति ने उत्तर पूर्व में 105 नई औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण प्रदान किया। • NEIDS को **सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र** में औद्योगिक विकास को और अधिक उत्प्रेरित करने तथा रोजगार एवं आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया था। ○ इस योजना में **विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों शामिल** हैं। • NEIDS योजना केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन, केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन, आयकर प्रतिपूर्ति, GST प्रतिपूर्ति, परिवहन प्रोत्साहन, रोजगार प्रोत्साहन आदि प्रदान करती है।

निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता योजना {TRANSPORT AND MARKETING ASSISTANCE (TMA) FOR SPECIFIED AGRICULTURE PRODUCTS SCHEME}	• सरकार द्वारा निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए TMA योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। इसके तहत **डेयरी उत्पादों** को इस योजना में शामिल कर और सहायता की दरों में वृद्धि की गई है।
	• इस योजना के तहत सहायता की दरों में वृद्धि की गई है। **समुद्री मार्ग से किए जाने वाले निर्यात के लिए 50 प्रतिशत** और **हवाई मार्ग से किए जाने वाले निर्यात के लिए 100 प्रतिशत** की बढ़ोत्तरी की गई है।
	• इस योजना का उद्देश्य कृषि उपज की माल ढुलाई के अंतर्राष्ट्रीय घटक और विपणन के लिए सहायता प्रदान करना है।
	• यह योजना ट्रांस-शिपमेंट के कारण निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात के परिवहन की उच्च लागत के नुकसान को कम करने में सहायता प्रदान करेगी। साथ ही, निर्दिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए ब्रांड की पहचान को बढ़ावा भी देगी।
	• **कवरेज:**
	  ○ पात्र कृषि उत्पादों के सभी निर्यातक (समय-समय पर निर्दिष्ट अनुमत देशों के लिए) इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे। ये सभी निर्यातक **विदेश व्यापार नीति के अनुसार प्रासंगिक निर्यात संवर्धन परिषद के साथ विधिवत पंजीकृत** होने चाहिए।
	  ○ समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अनुमत देशों को पात्र कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए अधिसूचित दरों पर सहायता उपलब्ध होगी।
	• **सहायता का प्रतिरूप:** सहायता भुगतान किए गए भाड़े की आंशिक प्रतिपूर्ति के रूप में प्रत्यक्ष बैंक अंतरण के माध्यम से नकद में होगी।
	• **सहायता प्राप्त करने की शर्त:** सहायता तभी स्वीकार्य होगी, जब निर्यात के लिए भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से निःशुल्क विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो।

VISION IAS

© Vision IAS

5. संचार मंत्रालय (Ministry of Communications)

5.1. संशोधित योजनाएं (Modified Schemes)

5.1.1. भारत नेट (Bharat Net)

स्मरणीय तथ्य	लक्ष्य	सभी **2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 Mbps की न्यूनतम बैंडविड्थ प्रदान** करना।
	ई-गवर्नेंस की सुविधा प्रदान करता है	यह **ग्रामीण भारत को ई-गवर्नेंस,** ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, सार्वजनिक इंटरनेट तक पहुँच, G2C, B2B, P2P, B2C आदि तथा मौसम, कृषि संबंधी एवं अन्य सेवाओं की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा।
	कार्यान्वयन	दूरसंचार विभाग के अधीन स्थापित **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड** नामक विशेष प्रयोजन साधन (SPV) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
	वित्त पोषण	**सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF)** द्वारा किया जा रहा है।

उद्देश्य				
वर्ष 2022 तक पहुंच में वृद्धि करना	**वर्ष 2024 तक टावर घनत्व को बढ़ाना**	**अवसंरचना में सुधार करना**	**सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना**	**नीतिगत रिक्ति को पूरा करना**
वर्ष 2022 तक सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड की पहुंच सुनिश्चित करना।	30 लाख कि.मी. के रूट में वृद्धिशील ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाना और **वर्ष 2024 तक टावर घनत्व को प्रति हजार जनसंख्या पर 0.42 टावर से बढ़ाकर 1.0 टावर करना।**	ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और टावर सहित डिजिटल संचार नेटवर्क तथा अवसंरचना का एक डिजिटल फाइबर मैप निर्मित करना।	मोबाइल और इंटरनेट संबंधी सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करना। **ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (BRI) विकसित करना।**	डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं के विस्तार एवं निर्माण में तेजी लाने के लिए अनिवार्य **नीति तथा विनियामकीय परिवर्तनों को संबोधित करना।**

प्रमुख विशेषताएं	
पृष्ठभूमि	• **'भारत नेट परियोजना', NOFN (नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क) का नया ब्रांड नाम है।** • यह राष्ट्रीय महत्व की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य सभी घरों के लिए **2 Mbps से 20 Mbps की वहनीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।** साथ ही, राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी में सभी संस्थानों की मांग पर क्षमता स्थापित करना है।
इसे तीन चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है	• **तीन चरणों में कार्यान्वयन:** ○ प्रथम चरण 1 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने, ○ द्वितीय चरण 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने ○ तृतीय चरण मौजूदा बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर केंद्रित है।
गांवों को कवर किया जाएगा	• संशोधित रणनीति के तहत, भारतनेट का अब 16 राज्यों में ग्राम पंचायतों से पृथक **सभी आबादी वाले गांवों तक विस्तार** किया जाएगा। • इसके तहत ग्राम पंचायतों सहित **अनुमानित 3.61 लाख गांवों को कवर** किया जाएगा।

वर्तमान में किए गए संशोधन	• निजी क्षेत्र का लाभ उठाना। • संशोधित रणनीति में **रियायतग्राहियों** (निजी क्षेत्र के भागीदार) द्वारा भारतनेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन, रखरखाव और उपयोग भी शामिल है, जिनका चयन **प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया** द्वारा किया जाएगा। • सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत संचालन, रखरखाव, उपयोग और राजस्व सृजन के लिए निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप भारतनेट की सेवा तेजी से प्राप्त होने की अपेक्षा है।

5.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

5.2.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

प्रधान मंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम (पीएम-वाणी) {Prime Minister WiFi Access network Interface (PM-WANI)}	• दूरसंचार विभाग के अनुसार, वर्ष 2021 में पीएम-वाणी के तहत 50,000 से अधिक एक्सेस पॉइंट परिनियोजित किए गए थे। • **पीएम-वाणी** का उद्देश्य सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रावधान की परिकल्पना करना है। साथ ही देश में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करना है।

पी.एम.-वाणी के तहत विभिन्न अभिकर्ता

पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO)	**अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना**	**उत्पादकता में सुधार**	**फसलोत्तर प्रबंधन में सुधार करना**
यह केवल PM-WANI के तहत आने वाले वाई-फाई सेवा स्थलों की स्थापना, रखरखाव और संचालन करने का कार्य करेगा। साथ ही, उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा भी प्रदान करेगा।	**पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA):** यह पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण और लेखा खातों के रखरखाव का कार्य करेगा।	**ऐप प्रदाता:** यह पंजीकृत ग्राहकों के लिए मोबाइल ऐप विकसित करेगा। इसके अतिरिक्त, PM-WANI सेवा की उपलब्धता का पता लगाने के उपरांत मोबाइल ऐप में वह जानकारी डालेगा।	**सेंट्रल रजिस्ट्री:** इसका रखरखाव आरंभिक स्तर पर दूरसंचार विभाग (C-DoT) करेगा। यह ऐप सेवा प्रदाताओं, PDOs और PDOAs की जानकारी भी रखेगा।

VISION IAS

© Vision IAS

6. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)

6.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

6.1.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम {National Food Security Act (NFSA), 2013}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने सभी बेघरों को सब्सिडी वाला राशन देने की प्रक्रिया का विस्तार किया है।

स्मरणीय तथ्य	**कवरेज**	NFSA के तहत देश की **67 प्रतिशत** आबादी को कवर किया गया है। इसमें 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी शामिल है।
	परिवार की पहचान करना	**वर्ष 2011-12 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के घरेलू उपभोग सर्वेक्षण डेटा का उपयोग** करके निर्धारित किया गया था।
	मातृत्व लाभ	गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था की अवधि के दौरान पारिश्रमिक के नुकसान की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए और साथ ही, पोषण के पूरक हेतु कम से कम 6,000 रुपये का नकद मातृत्व लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
	खाद्य सुरक्षा भत्ता	यह खाद्यान्न की हकदार मात्रा की आपूर्ति नहीं होने पर दिया जाता है।

उद्देश्य
सब्सिडीकृत मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडीकृत मूल्य {जिसे **केंद्रीय निर्गम मूल्य** (Central Issue Price: CIP) कहा जाता है} पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए **"पात्र परिवारों"** के संबंधित व्यक्तियों को **कानूनी अधिकार प्रदान करना।**

प्रमुख विशेषताएं	
पात्रता	अधिनियम के तहत पात्र परिवारों में **दो श्रेणियां शामिल हैं:** • **प्राथमिकता प्राप्त परिवार: प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा.** खाद्यान्न के लिए पात्र है। • **अंत्योदय अन्न योजना (निर्धनतम) के अंतर्गत आने वाले परिवार: ये प्रति माह 35 किलोग्राम** के लिए पात्र हैं।
वर्तमान में केंद्रीय निर्गम मूल्य (Central Issue Price: CIP)	• चावल 3 रुपये प्रति कि.ग्रा.; • गेहूं 2 रुपये प्रति कि.ग्रा.; • मोटा अनाज 1 रुपये प्रति कि.ग्रा.।
जीवन-चक्र दृष्टिकोण	• गर्भवती महिलाएं • स्तनपान कराने वाली माताएं • 6 महीने से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे • 6 वर्ष तक के **कुपोषित बच्चों** के लिए **उच्च पोषण मानदंड निर्धारित** किए गए हैं। मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) योजना के तहत स्कूलों के माध्यम से भी मुफ्त में पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

केंद्र और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी को परिभाषित करते हैं।	• **केंद्र:** ○ राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को अपेक्षित खाद्यान्नों का आवंटन, ○ प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्नों की ढुलाई और ○ भारतीय खाद्य निगम (FCI) के निर्दिष्ट गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) तक खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना केंद्र की जिम्मेदारी है • **राज्य / संघ राज्यक्षेत्र:** ○ पात्र परिवारों की पहचान करना, ○ उन्हें राशन कार्ड जारी करना, ○ उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पात्र परिवारों को उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्नों का वितरण करना, ○ उचित मूल्य की दुकानों को लाइसेंस जारी करना और उनकी निगरानी करना, ○ प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनिवार्य सुदृढीकरण करना शामिल है।

6.1.2. अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana: AAY)

स्मरणीय तथ्य	**लाभार्थी**	यह योजना राज्यों के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले BPL परिवारों में से **अत्यंत निर्धन परिवारों** को शामिल करती है
	लाभ	अत्यधिक सब्सिडीकृत दर पर अर्थात् 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल
	NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) का एक अवयव	प्रत्येक परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र होते हैं।
	राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को वितरण लागत वहन करना	**इसमें विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए मार्जिन के साथ-साथ परिवहन लागत** भी सम्मिलित होती है।

उद्देश्य
निर्धनों में भी निर्धनतम को भुखमरी से राहत प्रदान करना।
निर्धनों में भी निर्धनतम आबादी को लक्षित करना और उन्हें भुखमरी से राहत प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं	
अभिप्रेत लाभार्थी	• भूमिहीन खेतिहर श्रमिक, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत दैनिक रूप से आजीविका अर्जित करने वाले श्रमिक। • ऐसे परिवार जिनका मुखिया कोई विधवा या गंभीर रूप से रुग्ण व्यक्ति (terminally ill persons)/दिव्यांगजन/60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति है और जिनके पास निर्वाह योग्य या सामाजिक सहायता का कोई सुनिश्चित साधन उपलब्ध नहीं है। • सभी आदिम जनजातीय परिवार। • निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले सभी HIV संक्रमित व्यक्तियों के परिवार।

6.1.3. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System: TPDS)

स्मरणीय	**कवरेज**	67% आबादी (देश की 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी)

तथ्य	कार्यान्वयन	इसका संचालन केंद्र और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (UTs) की सरकारों के **सामूहिक उत्तरदायित्व** के अंतर्गत किया जा रहा है।
	मूल्य तय करना	थोक विक्रेताओं / खुदरा विक्रेताओं के लिए लाभ, परिवहन शुल्क, स्थानीय करों आदि को ध्यान में रखते हुए **राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अंतिम खुदरा मूल्य तय** किया जाता है।
	एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के साथ लागत साझा करने के आधार पर।

उद्देश्य
निर्धन परिवारों को विशेष रूप से सब्सिडीकृत कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना
निर्धन परिवारों की पहचान करना और उन्हें विशेष रूप से सब्सिडीकृत कीमतों पर खाद्यान्न, चावल और/ या गेहूं उपलब्ध कराना।

प्रमुख विशेषताएं	
इसके अंतर्गत गरीबी को शामिल नहीं किया गया है	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) अखिल भारतीय स्तर पर देश की 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के लिए अत्यधिक सब्सिडीकृत खाद्यान्न प्राप्त करने का प्रावधान करता है। इस प्रकार, TPDS के अंतर्गत **समावेशन को निर्धनता के अनुमानों से पृथक** कर दिया गया है।
संघीय इकाइयों के बीच जिम्मेदारियों का विभाजन	• **केंद्र सरकार:** ○ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक खाद्यान्न का आवंटन, ○ प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्न का परिवहन और ○ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नामित भारतीय खाद्य निगम गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops : FPSs) तक खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए केंद्रीय सहायता। • **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें:** ○ पात्र लाभार्थियों की पहचान करना, ○ उन्हें राशन कार्ड जारी करना, ○ FPS के माध्यम से पात्र परिवारों को खाद्यान्न पात्रता का वितरण करना, ○ FPS डीलरों को लाइसेंस जारी करना और उनकी निगरानी करना। ○ साथ ही, TPDS को मजबूत करने के लिए आवश्यक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों की सूची की समीक्षा	**लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001,** यह निर्धारित करते हैं कि राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों की सूची की समीक्षा करना आवश्यक है।

6.1.4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (Integrated Management of Public Distribution System: IM-PDS)

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	यह 'PDS परिचालन के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण' के विस्तार के अनुरूप है।
	प्रकार	केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना
	क्रॉस-लर्निंग	राज्यों/संघ राज्योंक्षेत्रों आदि के मध्य क्रॉस-लर्निंग और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करना।
	प्रौद्योगिकी	उन्नत वेब और मोबाइल आधारित अनुप्रयोगों का विकास करना।

उद्देश्य		
राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी	**लाभार्थी डेटा की द्विरावृत्ति से बचना**	**उन्नत डेटा विश्लेषण तकनीकें**
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के अंतर्गत संचालित 'वन नेशन वन राशन कार्ड' के माध्यम से राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।	लाभार्थी डेटा (आधार आधारित) की द्विरावृत्ति से बचने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर डेटा रिपोजिटरी का सृजन करना।	निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए उन्नत डेटा विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करना।

6.1.5. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card: ONORC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मंत्रालय ने संसद को सूचित किया था कि वर्तमान में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना देश के लगभग 77 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्षम है।

स्मरणीय तथ्य	**उद्देश्य**	यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लाभार्थियों, **विशेष रूप से प्रवासियों को देश भर में अपनी पसंद की किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान से राशन (गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न) प्राप्त हो सके।**
	लाभार्थियों की पहचान	लाभार्थियों की पहचान इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस के माध्यम से उनके **आधार कार्ड आधारित पहचान** के अनुसार की जाएगी।
	IM-PDS पोर्टल	**सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS)** पोर्टल (http://www.impds.nic.in/) राशन कार्डों की **अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी** के लिए तकनीकी मंच प्रदान करता है।
	annavitran.nic.in	यह पोर्टल राज्य के भीतर e-PoS उपकरणों के माध्यम से खाद्यान्न के वितरण के डेटा को होस्ट/संयोजित करने में मदद करता है।

उद्देश्य	
राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी	**प्रवासियों को रियायती दर पर खाद्यान्न की उपलब्धता**
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को **राष्ट्रीय / अंतर्राज्यीय और अंतरा-राज्यीय पोर्टेबिलिटी** की सुविधा को संभव बनाया जा रहा है।	कोई भी निर्धन व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण करता है, तो भी वह खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित नहीं रहेगा।

प्रमुख विशेषताएं	
खाद्यान्न तक पहुंच में भौगोलिक बाधाओं को दूर करना और भुखमरी से होने वाली मौतों को कम करना	• यह योजना वर्ष 2019 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आरम्भ की गई थी: ○ यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लाभार्थियों, **विशेष रूप से प्रवासियों को देश भर में अपनी पसंद की किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान से राशन (गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न) प्राप्त हो सके।** ▪ वर्तमान व्यवस्था के तहत, राशन कार्डधारक केवल उस क्षेत्र में PDS से खाद्यान्न खरीद सकता है जहां वह निवासित है। राष्ट्रीय स्तर पर 'ONORC' प्रणाली के क्रियान्वयन के पश्चात् यह व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी। ○ विभिन्न राज्यों से लाभ प्राप्त करने के लिए बिचौलियों द्वारा भ्रष्टाचार और राशन कार्ड में धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना। ○ **देश में भुखमरी से होने वाली मृत्यु की घटनाओं को कम करना** तथा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग में और सुधार करना।
ONROC को लागू करने वाले राज्यों के	केंद्र ने वर्ष 2020-21 में राज्यों की उधार सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के **3% से बढ़ाकर**

© Vision IAS

लिए उधार सीमा में बढ़ोतरी हुई	5% कर दिया है। हालांकि, GSDP के 3.5% से अधिक की वृद्धिशील उधारी राज्यों द्वारा किए गए सुधारों से संबद्ध है, जिनमें शामिल हैं: • ONORC का सार्वभौमिकरण। • व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार। • विदयुत वितरण सुधार। • शहरी स्थानीय निकाय सुधार।

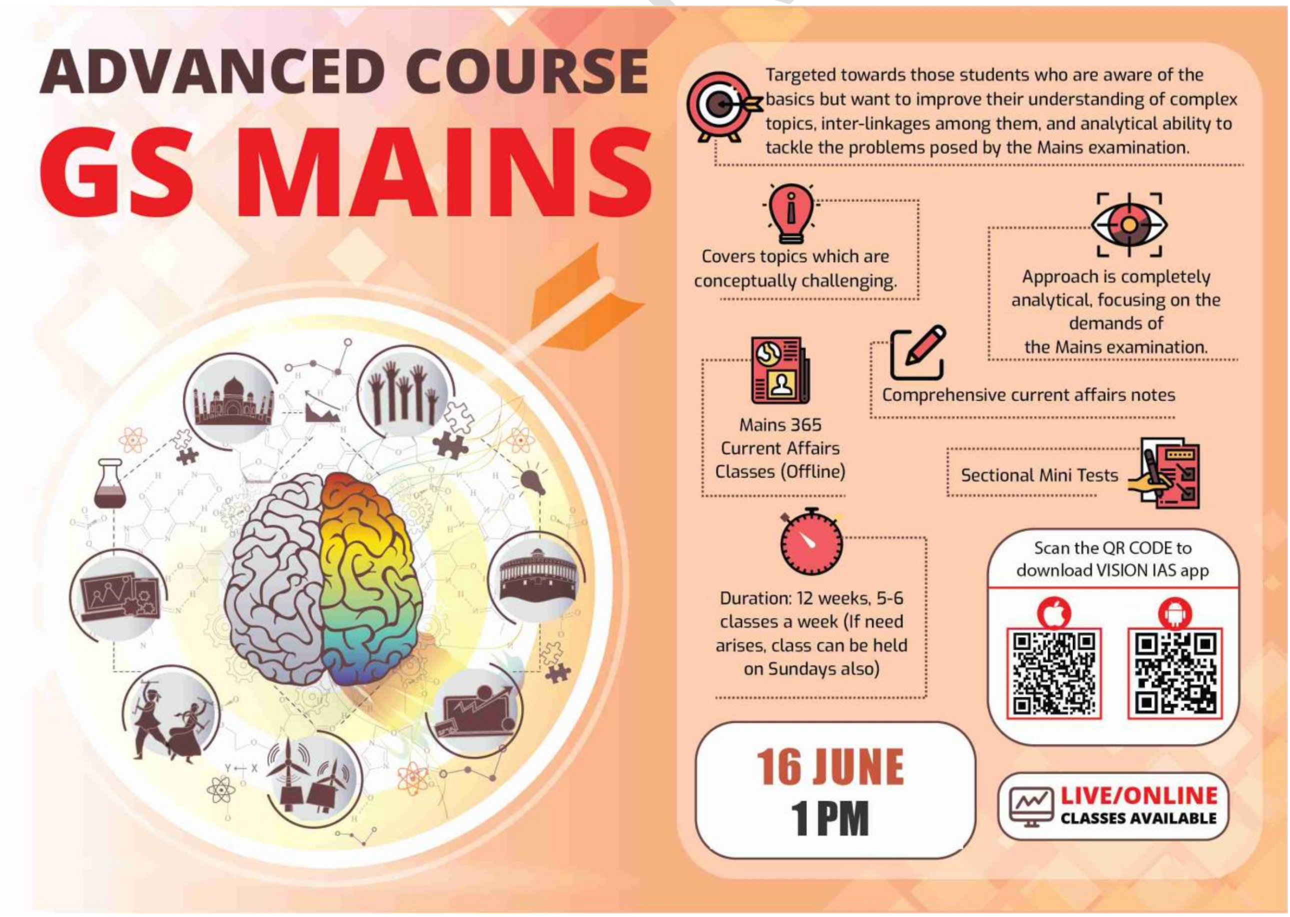

7. सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation)

7.1. नई शुरू की गई योजना (Newly Launched Scheme)

7.1.1. डेयरी सहकार योजना (Dairy Sahakar Scheme)

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके **"सहयोग से समृद्धि की ओर"** विजन को साकार करना है।
	ऋण की अवधि	आम तौर पर परियोजना के प्रकार और राजस्व स्रोतों के आधार पर, **मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1 से 3 वर्ष के अधिस्थगन सहित 5 से 8 वर्ष हो सकती है।**
	परियोजना की लागत	परियोजना की लागत में **अवसंरचना, मार्जिन मनी और कार्यशील पूंजी** शामिल है।
	परियोजना लागत की सीमा	पात्र सहकारी समितियों द्वारा व्यवहार्य प्रस्तावों के मामले में परियोजना की लागत के संबंध में **कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा** निर्धारित नहीं की गई है।

उद्देश्य

"किसानों की आय दोगुनी करना" और "आत्मनिर्भर भारत"

- **डेयरी सहकार:** यह एक सहकारी डेयरी व्यवसाय है। यह सहकारी समितियों को ESG (पर्यावरण, संधारणीयता एवं अभिशासन) से जुड़ी गतिविधियों में उच्च परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता संबंधी फ्रेमवर्क पर केंद्रित है।
- इसमें सहकारी समितियों द्वारा नए या आधुनिकीकरण और/या मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए **अवसंरचना का निर्माण** शामिल है। "डेयरी सहकारी मॉडल वस्तुतः पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल के लिए एक व्यवहार्य आर्थिक विकल्प है"।
- **"किसानों की आय को दोगुना करना" और "आत्मनिर्भर भारत"** के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए डेयरी सहकार के तहत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा पात्र सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रमुख विशेषताएं	
कार्यान्वयन	सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कुल 5000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)।**
पात्रता	देश में किसी भी राज्य/बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम या किसी FPO/SHG (सहकारी) के तहत **पंजीकृत कोई सहकारी समिति;** देश में कोई भी FPO/SCH (सहकारी), जिसके उप-नियमों में डेयरी से संबंधित गतिविधियों को संपन्न करने के लिए उपयुक्त प्रावधान हों; **इस योजना के दिशा-निर्देशों की पूर्ति** करते हुए वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी।
शामिल की गई गतिविधियां	**गोजातीय विकास, दूध खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन, दूध और दुग्ध उत्पादों का परिवहन एवं भंडारण, डेयरी उत्पादों के निर्यात** जैसी गतिविधियों के लिए **पात्र सहकारी** समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
ऋण	• **ब्याज दर:** क्रेडिट लिंकेज के लिए, **ऋणों पर ब्याज दर से संबंधित NCDC परिपत्र** लागू होंगे। इन परिपत्रों को बाजार स्थितियों के अनुसार समय-समय पर प्रकाशित किया जाता है। • **ब्याज राहत: भारत सरकार की लागू योजना/समग्र योजना तंत्र** के अनुसार ब्याज राहत या सब्सिडी के रूप में सहायता को अपनाया जाएगा।
क्षमता निर्माण	• सहकारी समितियों की क्षमता का निर्माण NCDC की एक सतत गतिविधि है। यह **डेयरी सहकार के लिए निगम की प्रचार और विकास संबंधी गतिविधि** के रूप में उपलब्ध होगी। • डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य **गुरुग्राम स्थित लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान और विकास**

© Vision IAS

	अकादमी (LINAC) के माध्यम से या देश भर में इसके 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
अन्य पहलों के साथ अभिसरण/संमिलन	**NCDC क्रेडिट लिंकेज का भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं {**जैसे डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (DIDF), पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), कृषि सहयोग पर केंद्रीय क्षेत्र की एकीकृत योजना (CSISAC), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), कृषि अवसंरचना कोष (AIF), किसान उत्पादक संगठन (FPO), प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना, प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना (PMFME), MSME से संबंधित योजनाएं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) आदि} और/या किसी **अन्य राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विकास एजेंसियों/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता/निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) तंत्र के साथ अभिसरण को प्रोत्साहित किया जाता है।**
अन्य योजनाओं के पूरक	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग भी पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है। डेयरी सहकार **योजना वस्तुतः देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के मौजूदा प्रयासों में सहायता प्रदान करेगी।**
अवधि	• NCDC द्वारा डेयरी सहकारी समितियों **को सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई** डेयरी सहकार योजना **(सरकारी बजटीय समर्थन के बिना सहायता)** की समापन अवधि को अभी निर्धारित नहीं किया गया है। • **यह आरंभिक रूप से** पांच वर्ष के लिए है, यानी इसकी अवधि **वित्त वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक होगी।**
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के बारे में	
NCDC के विषय में	• NCDC को भारत सरकार ने वर्ष **1963 में** संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया था। **यह मुख्य रूप से स्थानीय, जिला, शीर्ष/बहु-राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों के लिए स्थापित एक शीर्ष स्तर की वैधानिक स्वायत्त संस्था है।** • NCDC, **सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है।** • NCDC एक **ISO 9001:2015 प्रमाणित संगठन** है।
वित्त	यह सरकार के किसी भी बजटीय समर्थन के बिना, **खुले बाजार के सिद्धांतों** पर कार्य करता है।
कार्य	• यह उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला, कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन, जिंसों के निर्यात और आयात के साथ साथ सहकारी सिद्धांतों पर पर्यटन, ग्रामीण आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, बैंकिंग, अस्पताल एवं स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि जैसी सेवाओं के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाता है तथा उन्हें बढ़ावा देता है। • NCDC द्वारा स्थापित **LINAC, भारत और विदेशों** में सहकारी समितियों को परियोजना संबंधी परामर्श, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है। • अपने **सहकार-22 फ्रेमवर्क** के माध्यम से, NCDC **किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**
प्रदर्शन:	**यह वर्ष 1963 से शून्य निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के साथ प्रति वर्ष लाभ अर्जित कर रहा है।** NCDC ने पिछले 7 वर्षों की तुलना में वर्ष 2014-21 के दौरान संवितरण में **319%** की वृद्धि प्राप्त की है।

8. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (Ministry of Development of North Eastern Region)

8.1. नई शुरू की गई योजना (Newly Launched Scheme)

8.1.1 विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना	• **पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड** (NEDFi)[7] ने आत्मनिर्भर **हस्तशिल्पकार** योजना आरंभ की है।
	  ○ NEDFI, **पूर्वोत्तर** क्षेत्र में एक **प्रमुख वित्तीय संस्थान** है।
	• इस योजना का उद्देश्य आय सृजन करने वाली गतिविधियों के लिए **सावधि ऋण** के रूप में **वित्तीय सहायता** प्रदान करके **पूर्वोत्तर क्षेत्र के छोटे कारीगरों (हस्तशिल्पकार) को विकसित करना है।**
	• **प्रति कारीगर 1 लाख रुपये** की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।
	• ऋण के लिए किसी जमानत की आवश्यकता नहीं **(संपार्श्विक मुक्त)** है। साथ ही, इसमें 6% प्रतिवर्ष की **रियायती ब्याज दर** के साथ ऋण को 24 महीनों में चुकाया जा सकेगा।
	• **पात्रता मानदंड:**
	  ○ पंजीकृत / अपंजीकृत कारीगर / व्यक्ति,
	  ○ किसी कला में पेशेवर या संबंधित वैध योग्यता होनी चाहिए,
	  ○ किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान से कोई मौजूदा ऋण नहीं होना चाहिए,
	  ○ बैंक खाता होना चाहिए तथा
	  ○ आधार कार्ड (वैकल्पिक)।

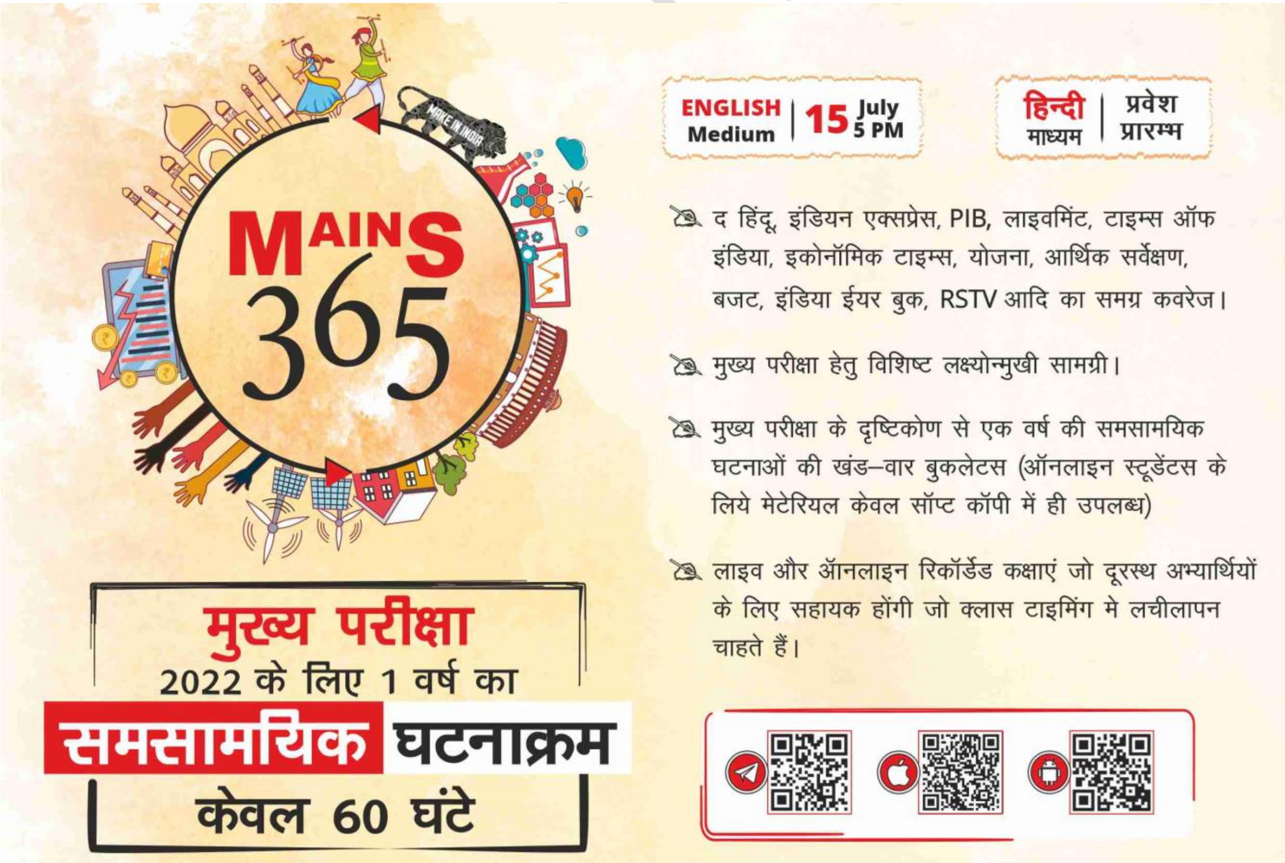

[7] North Eastern Development Finance Corporation Ltd

9. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences: MOES)

9.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

9.1.1. वायुमंडल तथा जलवायु अनुसंधान-प्रतिरूपण, प्रेक्षण प्रणालियां एवं सेवाएं (Atmosphere and Climate Research – Modelling, Observing Systems and Services: ACROSS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने **वायुमंडल तथा जलवायु अनुसंधान-प्रतिरूपण, प्रेक्षण प्रणालियां एवं सेवाएं (ACROSS)**[8] नामक एक छत्रक योजना को **अगले पांच वित्तीय वर्षों (2021-2026)** तक जारी रखने को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

स्मरणीय तथ्य	**उद्देश्य**	चक्रवात, तूफानी लहरों आदि की चेतावनी सहित मौसम एवं जलवायु संबंधी सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करना।
	प्रकार	यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
	अपेक्षित लाभ	अंतिम-उपयोगकर्ता के लिए मौसम आधारित सेवाओं की लास्ट-माइल कनेक्टिविटी।
	नौ उप-योजनाएं	इस कार्यक्रम की प्रकृति **बहु-विषयगत और बहु-संस्थागत है।**

उद्देश्य

मौसम और जलवायु संबंधी विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वास्तविक समय में मौसम, जलवायु तथा अन्य जोखिमपूर्ण घटनाओं के पूर्वानुमान में **सुधार के लिए अनुसंधान व विकास के संचालन** पर बल देना। इसके लिए आवश्यक है:

जलवायु मॉडल में पर्यवेक्षण को एकीकृत करना	क्षेत्रीय अभियान	उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉडल	सेवा के लिए विज्ञान	अवसंरचना में सुधार करना
प्रेक्षण प्रणालियों का संवर्धन करना तथा इन्हे मौसम और जलवायु संबंधी मॉडल में सम्मिलित करना।	क्षेत्रीय अभियानों के माध्यम से **भौतिक प्रक्रम को समझना।**	सभी पैमानों पर पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉडल के विकास और संचालन पर बल देना।	**विज्ञान संबंधी ज्ञान को सेवा में उपयोग करना** और उसे समाज तक पहुँचाना।	**आवश्यक अवसंरचना में सुधार और अर्जन** करना।

प्रमुख विशेषताएं

नौ उप-योजनाएं

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य निरंतर अवलोकन, गहन अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से मौसम और जलवायु संबंधी पूर्वानुमान के कौशल में सुधार करना है। साथ ही, कृषि मौसम विज्ञान सेवाएं, विमानन सेवाओं, पर्यावरण संबंधी निगरानी सेवाएं, जल-मौसम विज्ञान सेवाएं, जलवायु सेवाएं, पर्यटन, तीर्थयात्रा, पर्वतारोहण आदि जैसी सभी सेवाओं के अंतिम उपयोगकर्ता तक मौसम और जलवायु संबंधी पूर्वानुमान की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रसार एवं संचार रणनीतियों को अपनाना है।

उप-योजना	कार्यान्वयन संस्थान
पोलारिमेटिक डॉप्लर मौसम रडार को प्रवर्तन में लाना (DWRs)	IMD
पूर्वानुमान प्रणाली का उन्नयन	IMD
मौसम और जलवायु संबंधी सेवाएं	IMD

[8] Atmosphere & Climate Research-Modelling Observing Systems & Services

	वायुमंडलीय प्रेक्षण प्रणाली — IMD मौसम और जलवायु की संख्यात्मक मॉडलिंग — NCMRWF मानसून मिशन 2 जिसमें हाई रिजोल्यूशन (12 कि.मी.) **ग्लोबल एनसेंबल फोरकास्ट सिस्टम** (नीति आयोग की पहचान की गई गतिविधि) शामिल है — IITM मानसून संवहन, मेघ और जलवायु परिवर्तन (MC4) — IITM उच्च-निष्पादन कंप्यूटिंग सिस्टम (HPSC) — IITM नेशनल फेसिलिटी फॉर एयरबोर्न रिसर्च (NFAR) — IITM
कार्यान्वयन	सभी कार्यक्रमों को संबंधित संस्थानों के माध्यम से एक एकीकृत तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।
लाभ	यह योजना बेहतर मौसम, जलवायु व समुद्री पूर्वानुमान और सेवाएं प्रदान करेगी। इस प्रकार सार्वजनिक मौसम संबंधी सेवाओं, आपदा प्रबंधन, कृषि-मौसम विज्ञान सेवाओं, विमानन सेवाओं, पर्यावरण संबंधी निगरानी सेवाओं, जल-मौसम विज्ञान सेवाओं, जलवायु सेवाओं, पर्यटन, तीर्थ यात्रा, विद्युत उत्पादन, जल प्रबंधन, खेल और रोमांच आदि जैसी विभिन्न सेवाओं को बेहतर किया जा सकेगा।
रोजगार अवसरों का सृजन	• इसके तहत अपेक्षित प्रशासनिक सहायता के साथ-साथ वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता से रोजगार का सृजन होगा। • यह योजना अंतिम उपयोगकर्ता के लिए मौसम आधारित सेवाओं की लास्ट-माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK), विश्वविद्यालयों और स्थानीय नगर पालिकाओं जैसी कई एजेंसियां में रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद करती है।

9.1.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

महासागर सेवाओं, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान: (ओ-स्मार्ट) {Ocean Services, Technology, Observations, Resources Modelling and Science (O-SMART)}	• हाल ही में, **मंत्रिमंडल ने ओ-स्मार्ट (O-SMART) योजना** को वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है।
	• इस योजना में **महासागर विकास गतिविधियों**, जैसे- सागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, संसाधनों, अवलोकनों और विज्ञान **से संबंधित 16 उप-परियोजनाएं शामिल हैं।**
	• O-SMART के कार्यान्वयन से **सतत विकास लक्ष्य-14** (SDG-14) से संबद्ध मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि SDG-14 का उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागरों और समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग करना तथा उन्हें संरक्षित करना है।
	• यह योजना **ब्लू इकॉनमी** के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी आधार भी प्रदान करती है।
	• **उद्देश्य**
	  ○ **समुद्री जीवित संसाधनों के संबंध में जानकारी** एकत्र करना और उसे नियमित रूप से अपडेट करना।
	  ○ **समुद्री जैव संसाधनों का दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकियों** का विकास करना।
	  ○ **महासागर से अलवणीय जल और ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रौद्योगिकियों** का विकास करना।
	  ○ **महासागरों में बहुधात्विक समुच्चयों की खोज** करना।
	  ○ **जल के भीतर परिचालन करने में सक्षम वाहन और प्रौद्योगिकियों** का विकास करना।

 © Vision IAS

10. शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education: MOE)

10.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

10.1.1. निपुण {'बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल {National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy (NIPUN Bharat) Mission}

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	वर्ष 2026-27 तक **मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान** की सार्वभौमिक प्राप्ति को सुनिश्चित करना।
	प्रकार	**इसे केंद्र प्रायोजित योजना "समग्र शिक्षा"** के तहत शुरू किया गया है।
	क्रियान्वयन एजेंसी	**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,** शिक्षा मंत्रालय।
	लाभार्थी	इसमें **3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, जिसमें प्री स्कूल से कक्षा 3 तक के बच्चे और कक्षा 4 और 5 के वे बच्चे** शामिल हैं, जिन्होंने मूलभूत कौशल में भाग नहीं लिया है।

उद्देश्य		
समावेशी शिक्षा	छात्रों की रचनात्मक शिक्षा को बढ़ाना	क्षमता निर्माण और सहयोग
• **खेल, खोज और गतिविधि-आधारित शिक्षाशास्त्र** को शामिल करके, इसे दैनिक जीवन की स्थितियों से जोड़ना। साथ ही, **बच्चों की घरेलू भाषाओं को औपचारिक रूप से शामिल करना।** • बच्चों की परिचित/घरेलू/मातृभाषा (भाषाओं) में **उच्च गुणवत्ता और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण सामग्री।**	• बच्चों को स्थायी पठन और लेखन कौशल युक्त समझ के साथ **प्रेरित करना व आत्मनिर्भर बनाना। साथ ही, एकाग्रचित पाठक और लेखक बनने में सक्षम बनाना।** • बच्चों को संख्या, माप आदि के क्षेत्र में **तर्क को समझने और समस्या समाधान में आत्मनिर्भर हेतु सक्षम बनाना।**	• **शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शैक्षणिक संसाधन व्यक्तियों और शिक्षा प्रशासकों** के सतत क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। • **आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाने के लिए** सभी हितधारकों अर्थात् शिक्षकों, माता-पिता, छात्रों और समुदाय तथा नीति निर्माताओं के साथ **सक्रिय रूप से जुड़ना।** • **पोर्टफोलियो, समूह और** सहयोगी कार्य आदि के माध्यम से सीखने के संबंध में आकलन मूल्यांकन सुनिश्चित करना। साथ ही, सभी **छात्रों के सीखने के स्तर की ट्रैकिंग** सुनिश्चित करना।

मुख्य विशेषताएं	
मिशन का फोकस	• **बच्चों को स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों तक पहुंच** प्रदान करना और उनकी उपस्थिति को बनाए रखना; • **शिक्षक क्षमता निर्माण;** • **उच्च गुणवत्ता युक्त और विविधतापूर्ण छात्र एवं शिक्षक संसाधनों / शिक्षण सामग्री** का विकास; तथा • सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में **प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नजर** रखना।
कार्यान्वयन रणनीति	**राष्ट्रीय-राज्य-जिला-ब्लॉक-स्कूल स्तर पर एक पांच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र** की स्थापना की जाएगी।
प्रगति ट्रैकिंग प्रणाली	• सीखने के परिणामों को **तीन विकासात्मक लक्ष्यों में** विभाजित किया गया है: ○ लक्ष्य 1-HW (स्वास्थ्य और कल्याण), ○ लक्ष्य 2-EC (बेहतर संप्रेषण क्षमता) तथा ○ लक्ष्य 3-IL (भगीदारपरक शिक्षार्थी)।

	• इन लक्ष्यों को **"लक्ष्य सूची (Lakshya Soochi)"** या FLN (मूलभूत साक्षरता और संख्या कौशल) के लिए लक्ष्यों के रूप में निर्धारित किया गया है।
मिशन की सफलता के लिए निर्धारित की गयी रणनीतियाँ	• **प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की भाषाई और सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए** सामग्री के संदर्भ में **समावेशी कक्षा बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र का विकास करना।** • **शिक्षकों का सशक्तीकरण:** पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक कक्षा के लगभग 25 लाख शिक्षकों को **निष्ठा/NISHTHA (स्कूल प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) के तहत FLN के लिए एक विशेष पैकेज** के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। • **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा/DIKSHA) का उपयोग करना।** दीक्षा मंच शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक शिक्षण सामग्री प्रदान करता है।
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका	• अपने संबंधित FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **बहु-वर्षीय कार्य योजनाएं** बनाना। • **राज्य विशिष्ट चरणवार कार्य योजना** तैयार करके राष्ट्रीय मिशन को प्रासंगिक बनाना। • प्रत्येक स्कूल में पूर्व-प्राथमिक से लेकर कक्षा 3 तक प्रत्येक कक्षा के तहत **शिक्षकों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता सुनिश्चित करना।** साथ ही, मिशन मोड में FLN को लागू करने के लिए शिक्षकों की व्यापक क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना। • आधारभूत कक्षाओं में **नामांकित प्रत्येक बच्चे का डेटाबेस बनाना।** • शिक्षकों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए **मेंटर्स के एक समूह की पहचान करना।** • शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले **छात्रों को पाठ्यपुस्तकों और स्कूल ड्रेस की आपूर्ति** सुनिश्चित करना। • स्कूल/सार्वजनिक **पुस्तकालयों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग** बनाना।

10.1.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

विद्यांजलि 2.0 पोर्टल	• यह विद्यालयों के विकास और सुधार के उद्देश्य से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि तथा स्वयं सेवा के माध्यम से प्राप्त योगदान एवं दान आदि की सुविधा प्रदान करेगा।
	• **विद्यांजलि - (स्कूल स्वयंसेवी कार्यक्रम)** सर्व शिक्षा अभियान के समग्र तत्वावधान में देश भर में सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने की एक पहल है।
	  ○ इस कार्यक्रम की परिकल्पना उन लोगों को एक साथ लाने के लिए की गई है जो उन स्कूलों (जिन्हें वास्तव में उनकी आवश्यकता है) में स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने के इच्छुक हैं।
	  ○ स्वयंसेवक बच्चों के साथ मार्गदर्शक, एक मित्र और उनसे बात करने के रूप में कार्य करेंगे।
	  ○ सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल आदि के बच्चे (कक्षा 1-8)।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की विद्यालयी गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा (School Quality Assurance and Assessment Framework- SQAAF):	• यह CBSE से संबद्ध विद्यालयों में पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, आकलन, बुनियादी ढांचे, समावेशी प्रथाओं और अभिशासन प्रक्रिया जैसे आयामों में सामान्य मानकों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक मानदंड निर्धारित करेगा।
दिव्यांगों के लिए शैक्षिक उपकरण	• भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश (श्रवण बाधितों के लिए ऑडियो और पाठ/ टेक्स्ट आधारित सांकेतिक भाषा वीडियो ज्ञान के सार्वभौमिक डिजाइन के अनुरूप), बोलने वाली किताबें (टॉकिंग बुक्स, नेत्रहीनों के लिए ऑडियो किताबें) इत्यादि।

© Vision IAS

स्कूल प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा/NISHTHA)	• निष्ठा को वर्ष 2019-20 में **समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत** शुरू किया गया था।
	• यह "**एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार**" के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है।
	• इस प्रशिक्षण का उद्देश्य **छात्रों में सोच-विचार करने की महत्वपूर्ण क्षमता को विकसित करने और बढ़ावा देने, अलग-अलग परिस्थितियों को संभालने** तथा प्रथम स्तर के परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करना एवं दक्ष बनाना है।
	  ○ **प्राथमिक स्तर के लिए निष्ठा 1.0 (कक्षा I-VIII)**
	  ○ **माध्यमिक स्तर के लिए निष्ठा 2.0 (कक्षा IX-XII)**
	  ○ **निपुण भारत के लिए निष्ठा 3.0 {प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) से कक्षा V}**
	• हाल ही में, जनजातीय कार्य मंत्रालय और NCERT ने वस्तुतः एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए **निष्ठा कार्यक्रम हेतु एक संयुक्त मिशन आरंभ किया है।**
	  ○ EMRS वस्तुतः जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। यह **दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है।**

राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना (National Digital Education Architecture: NDEAR) और राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (National Education Technology Forum: NETF)	• दोनों को संपूर्ण देश को एक डिजिटल और तकनीकी फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। • राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना (NDEAR) 2021, **डिजिटल शिक्षा पारितंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए फ्रेमवर्क को तैयार करती है।** ○ N-DEAR **विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के बीच एक 'सुपर कनेक्ट'** के रूप में उसी तरह से कार्य करेगी, जैसे UPI इंटरफ़ेस ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति लाकर किया है। • NETF वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) (2020) के तहत परिकल्पित एक स्वायत्त निकाय है। यह स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों के लिए सीखने, आकलन करने, योजना बनाने, प्रशासन में सुधार करने आदि के लिए **प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा विचारों के मुक्त आदान-प्रदान हेतु एक मंच प्रदान करता है।**

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम	• नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य **प्रौढ़ (वयस्क) शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल** करना है। इस योजना का उद्देश्य **आधारभूत साक्षरता और संख्या कौशल (FLN)** प्रदान करना है। साथ ही, **21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक** अन्य घटकों को भी सम्मिलित करना है। ये घटक निम्नलिखित हैं:
	  ○ महत्वपूर्ण जीवन कौशल,
	  ○ व्यावसायिक कौशल विकास,
	  ○ बुनियादी शिक्षा और
	  ○ सतत शिक्षा।
	• यह योजना **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** के अनुरूप है। अब से **"प्रौढ़ शिक्षा" की बजाय "सभी के लिए शिक्षा"** शब्दावली का उपयोग किया जाएगा।
	• यह योजना **वित्तीय वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए** शुरू की गई है।
	• आधारभूत साक्षरता और संख्या कौशल (FLN) का लक्ष्य "ऑनलाइन अध्यापन, शिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली (OTLAS)" का उपयोग करके **प्रतिवर्ष 1.00 करोड़ की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थियों** तक पहुंचना है।
	• **योजना की प्रमुख विशेषताएं**
	  ○ **15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी गैर-साक्षर** लोगों को मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता संबंधी शिक्षा प्रदान की जाएगी।
	  ○ योजना के तहत **लड़कियों और महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों/दिव्यांगजनों/वंचित/घुमंतू/निर्माण श्रमिकों/मजदूरों/आदि श्रेणियों को प्राथमिकता** दी जाएगी।
	  ○ **फोकस क्षेत्र:** आकांक्षी जिले (Aspirational districts), राष्ट्रीय/राज्य औसत से कम साक्षरता दर वाले जिले और 60% से कम महिला साक्षरता दर वाले जिले।
	  ○ **परिव्यय:** कुल परिव्यय **1037.90 करोड़ रुपये** है। इसमें 700 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 337.90 करोड़ रुपये का राज्य हिस्सा शामिल है।

VISION IAS

10.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

10.2.1. स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना {Samagra Shiksha Scheme (SSS) For School Education}#

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को जारी (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था।

स्मरणीय तथ्य	**उद्देश्य**	**प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक विस्तारित** स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम।
	प्रकार	यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
	3 पूर्ववर्ती योजनाओं को शामिल किया गया है।	• **सर्व शिक्षा अभियान (SSA)** • **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)** • **शिक्षक शिक्षा पर योजना।**
	क्रियान्वयन एजेंसी	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एकल **राज्य कार्यान्वयन सोसायटी (SIS)**

उद्देश्य			
गुण	**औचित्य**	**राज्यों को समर्थन**	**शिक्षकों का प्रशिक्षण**
• **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करना** तथा छात्रों के अधिगम परिणामों (लर्निंग आउटकम) में सुधार करना। • शिक्षा संबंधी प्रावधानों में **न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित** करना। • **व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा** देना।	• विद्यालयी शिक्षा में **सामाजिक और लैंगिक अंतराल को समाप्त करना।** • विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर **समानता और समावेशन** सुनिश्चित करना।	• **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009** और **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन** में राज्यों की सहायता करना।	• शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में **राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (State Councils of Educational Research and Training: SCERTs) / राज्य शिक्षण संस्थानों तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (District Institutes of Education and Training: DIETs)** का **सुदृढ़ीकरण और उन्नयन** करना।

मुख्य विशेषताएं	
प्रमुख हस्तक्षेप	(i) बुनियादी ढांचे का विकास और प्रतिधारण सहित सार्वभौमिक पहुंच; (ii) मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, (iii) लिंग और समानता; (iv) समावेशी शिक्षा; (v) गुणवत्ता और नवाचार; (vi) शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता; (vii) डिजिटल पहलें; (viii) स्कूली वर्दियां, पाठ्यपुस्तकें आदि सहित शिक्षा का अधिकार पात्रता; (ix) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education: ECCE) के लिए सहायता; (x) व्यावसायिक शिक्षा; (xi) खेल और शारीरिक शिक्षा; (xii) शिक्षक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण व प्रशिक्षण; (xiii) निगरानी; (xiv) कार्यक्रम प्रबंधन तथा (xv) राष्ट्रीय घटक।
क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान केंद्रित करना	इन हस्तक्षेपों में **शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (EBB), वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों (LWE), विशेष फोकस वाले जिलों (SFD), सीमावर्ती क्षेत्रों और 117 आकांक्षी जिलों** को प्राथमिकता दी जाएगी।
रक्षा	यह **आत्मरक्षा प्रशिक्षण** है जहां लड़कियों को मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनना सिखाया जाता है, ताकि वे संकट के समय में अपनी रक्षा कर सकें।

© Vision IAS

दीक्षा	यह **शिक्षकों के कौशल उन्नयन के लिए** एक डिजिटल पोर्टल है।

10.2.1.1. सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyaan)#

स्मरणीय तथ्य	प्रकार	यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
	अपेक्षित लाभार्थी	6-14 वर्ष की आयु के सभी पृष्ठभूमि वाले बच्चे।
	विधिक अधिदेश	शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और समय-समय पर जारी किए गए मॉडल नियमों द्वारा अधिदेशित अनिवार्य मानदंडों एवं मानकों और मुक्त अधिकारों के अनुरूप संरेखित।
	क्रियान्वयन एजेंसी	यह राज्य विशिष्ट कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार करने में लचीलापन प्रदान करता है जो मोटे तौर पर ढांचागत दायरे के अधीन होते हैं।

उद्देश्य		
सार्वभौमिक अभिगम्यता	**औचित्य**	**उन्नत शिक्षा**
प्रारंभिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना और बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखना;	शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक वर्ग अंतरालों को समाप्त करना; तथा	बच्चों के सीखने के स्तर का संवर्धन करना।

मुख्य विशेषताएं	
समग्र शिक्षा अभियान का हिस्सा	• वर्ष 2018-19 से इस योजना को **समग्र शिक्षा अभियान (SSA)** में शामिल कर लिया गया है।
हस्तक्षेप	यह एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न हस्तक्षेपों को सम्मिलित किया गया है, जैसे- **नए विद्यालय की स्थापना करना, शौचालयों का निर्माण करना** (स्वच्छ विद्यालय योजना- सभी विद्यालयों में बालिकाओं और बालकों के लिए पृथक-पृथक शौचालय), **समय-समय पर शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक संसाधन सहायता** आदि।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत उप कार्यक्रम	
पढ़े भारत बढ़े भारत (PADHE BHARAT BADHE BHARAT)	• यह **प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण** के उद्देश्य हेतु राज्यों/संघ राज्योंक्षेत्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए कार्यान्वित एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। • इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में प्रारंभिक कक्षाओं (कक्षा I और II) के दौरान समझ के साथ पढ़ना-लिखना और बुनियादी संख्यात्मक कौशल को बढ़ावा देना है। • **इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख दो घटक शामिल किए गए हैं:** प्रारंभिक कक्षाओं में समझ के साथ पढ़ना-लिखना और गणित कार्यक्रम[9]। • आगे की कार्रवाई के रूप में, नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव को प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के मध्य पढ़ने की आदत को विकसित करने और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था, जिससे यह कार्यक्रम कक्षा 8 तक विस्तारित किया जा सके। • सभी सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय के लिए वार्षिक अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (RASHTRIYA AVISHKAR ABHIYAN: RAA)	• यह **सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)** दोनों का एक उप-घटक है। • इस कार्यक्रम को वर्ष 2015 में आरम्भ किया गया था। इसके अंतर्गत पर्यवेक्षण, प्रयोग कार्य, समझ विकास,

[9] Early reading and writing with comprehension and Early mathematics)

	मॉडल के निर्माण आदि के माध्यम से **विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में 6-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रेरित और संलग्न** (कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर दोनों गतिविधियों द्वारा) करना है। • अन्वेषणात्मक कार्यक्रमों, छात्र आदान-प्रदान आदि के द्वारा विज्ञान एवं गणित सीखने के प्रति एक प्राकृतिक भावना का विकास करने हेतु **विभिन्न संस्थानों, जैसे- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों** (IITs)/ भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs)/ भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (IISERs) एवं अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व प्रतिष्ठित संगठनों से परामर्श प्राप्त करना। • यह **अनुच्छेद 51(A) के अंतर्गत वर्णित मूल कर्तव्य** "वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना के विकास" को बढ़ावा देने हेतु एक कदम है। • **अपेक्षित लाभार्थी:** सरकारी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, विशेष स्कूल, विशेष ट्रेनिंग केंद्र इत्यादि में 6-18 आयु वर्ग के छात्र एवं विज्ञान विषय पर ध्यान देने वाले कक्षा I से XII तक के स्कूल जाने वाले विद्यार्थी।
विद्यांजली (VIDYANJALI)	• विद्यांजलि (स्कूल स्वयंसेवी कार्यक्रम), सर्व शिक्षा अभियान के समग्र तत्वावधान में देश भर में **सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सामुदायिक और निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित** करने हेतु आरंभ की गई एक पहल है। • इस कार्यक्रम की परिकल्पना **उन लोगों को** एक साथ एकत्रित करने के लिए की गई है जो उन स्कूलों में **स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने के लिए इच्छुक** हैं जिन्हें वास्तव में उनकी आवश्यकता है। • **स्वयंसेवक बच्चों के साथ परामर्शदाता, विश्वासपात्र और संवादकर्ता के रूप में कार्य करेंगे।** • **लाभार्थी:** कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालयों, तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों आदि के विद्यार्थी।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas: KGBV)	• इसे वर्ष 2004 में दुर्गम क्षेत्रों में अधिवासित मुख्य रूप से **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करने** के लिए आरम्भ किया गया था। • शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौजूदा KGBVs और माध्यमिक स्तर पर बालिका छात्रावासों को इस योजना के तहत **कक्षा-XII तक आवासीय और स्कूली शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए विस्तारित/अभिसरित किया गया है।** • इस प्रकार, यह योजना **अब कक्षा VI से XII में पढ़ने की इच्छुक 10-18 आयु वर्ग की लड़कियों के वंचित समूहों की** लड़कियों को **शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** प्रदान करती है। • इस योजना को देश के **शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों (EBBs)**[10] में कार्यान्वित किया जा रहा है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता, राष्ट्रीय औसत से कम है और साक्षरता में लैंगिक अंतराल राष्ट्रीय औसत से अधिक है। • इस योजना के तहत **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए न्यूनतम 75% सीटों के आरक्षण** का प्रावधान किया गया है। शेष 25% हिस्से के लिए प्राथमिकता, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों को दी जाती है।

10.2.1.2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan: RMSA)#

स्मरणीय तथ्य	प्रकार	**यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।**
	संस्थागत सुधार	**प्रत्येक राज्य में आवश्यक प्रशासनिक सुधार करना केन्द्रीय सहायता के लिए एक पूर्व शर्त होगी।**
	विकेंद्रीकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया	स्थानीय निकायों, स्कूल प्रबंधन समितियों आदि को शक्तियों के **पर्याप्त प्रत्यायोजन** के साथ **स्कूली शिक्षा का विकेंद्रीकरण प्राथमिकता के आधार** पर किया जाना चाहिए।
	जागरूकता	**ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनमत निर्माण का कार्य** पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जाएगा।

10 Educationally Backward Blocks

© Vision IAS

उद्देश्य			
सुलभता	गुणवत्ता	औचित्य	वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण
इस योजना के तहत कार्यान्वयन के 5 वर्षों में किसी भी बस्ती से समुचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराकर कक्षा IX-X के लिए सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2005-06 के 52.26% से बढ़ाकर 75% के लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।	सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली **शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार** लाना।	**लैंगिक, सामाजिक-आर्थिक और दिव्यांगता संबंधी बाधाओं को दूर** करना।	**वर्ष 2020 सार्वभौमिक प्रतिधारण (universalize retention) के लक्ष्य को प्राप्त करना।**

प्रमुख विशेषताएं	
भौतिक सुविधाएं	अतिरिक्त क्लास रूम; प्रयोगशालाएं; पुस्तकालय; कला और शिल्प कक्ष, शौचालय ब्लॉक; पेयजल सुविधा; दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास।
गुणवत्ता संबंधी हस्तक्षेप	PTR (छात्र-शिक्षक अनुपात) को घटाकर 30:1 करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति; विज्ञान, गणित और अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना; शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण; विज्ञान प्रयोगशालाओं; ICT सक्षम शिक्षा; पाठ्यक्रम में सुधार करना; और शिक्षण अधिगम में सुधार करना।
समता संबंधी हस्तक्षेप	सूक्ष्म नियोजन पर विशेष ध्यान देना, उन्नयन के लिए आश्रम विद्यालयों को वरीयता देना, विद्यालय खोलने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यकों के संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों को वरीयता देना, कमजोर वर्ग के लिए विशेष नामांकन अभियान का संचालन करना, विद्यालयों में अधिक महिला शिक्षकों को शामिल करना; और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय ब्लॉक की व्यवस्था।
परियोजना निगरानी प्रणाली	दक्षता बढ़ाने और RMSA के कार्यान्वयन का प्रबंधन करने के लिए।

10.2.2. मध्याह्न भोजन योजना या स्कूलों में प्रधान मंत्री पोषण के लिए राष्ट्रीय योजना (Mid Day Meal Scheme or National Scheme for PM POSHAN in Schools)#

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस योजना का विस्तार प्राथमिक कक्षाओं के सभी 11.80 करोड़ बच्चों के अलावा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के प्री-प्राइमरी या बाल वाटिका में पढ़ने वाले छात्रों तक किया जाएगा।

स्मरणीय तथ्य	**उद्देश्य**	सरकारी स्कूलों में बच्चों को निर्दिष्ट पोषण मानदंडों के साथ **मुफ्त पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने** के लिए **इसे वर्ष 1995 में** शुरू किया गया था।
	प्रकार	**यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।**
	ग्रीष्मकालीन अवकाश	**सूखा प्रभावित क्षेत्र में प्रारंभिक स्तर** के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता अनिवार्य करना।
	लागत साझाकरण	**केंद्र राज्य को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराता है,** अन्य लागत (परिवहन, खाना पकाने, आदि) राज्यों के साथ साझा की जाती है।

उद्देश्य
शिक्षा के साथ-साथ पोषण स्तर में सुधार करना।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्थित **सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (STC) और मदरसों एवं मकतबों के कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूल जाने वाले बच्चों** के नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाने के साथ-साथ उनके पोषण स्तर में सुधार करना।

मुख्य विशेषताएं	
इच्छित लाभार्थी	• सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता प्राप्त **सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (STC) तथा मदरसों एवं मकतबों में कक्षा एक से आठ तक** में पढ़ने वाले स्कूली बच्चे। • सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के **प्री-प्राइमरी या बाल वाटिका** में पढ़ने वाले छात्र। • देश भर के सभी क्षेत्रों के **शिक्षा गारंटी योजना (EGS)/वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा (AIE) और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)** स्कूलों के अंतर्गत चलाए जा रहे केन्द्रों को भी मध्याह्न भोजन के अंतर्गत शामिल किया गया है।
निर्दिष्ट पोषण मानदंड	**प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन।**
खाना पकाने की लागत मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़ी हुई है।	ऐसा मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खाद्य पदार्थों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव की भरपाई करने के लिए किया जाता है।
खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन	इसे प्रत्येक स्कूल में चावल किचन गार्डन के साथ शुरू करके **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** के माध्यम से एक व्यवस्थित तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा।
निधियों के उपयोग में लचीलापन	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए हस्तक्षेपों के लिए **उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट का 5% का उपयोग करने की** छूट प्रदान की गई है। यह उपयोग **शिक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।**
बफर स्टॉक से दालों का उपयोग	राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय बफर स्टॉक से मध्याह्न भोजन के लिए अपनी स्थानीय आवश्यकता अनुसार दाल खरीद सकते हैं।
सामाजिक सहभागिता	सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जा रही है कि वे मध्याह्न भोजन योजना में समुदाय और अन्य एजेंसियों जैसे जेलों, मंदिरों, गुरुद्वारों आदि को शामिल करें।
तिथि भोज	समुदाय के लोगों को मध्याह्न भोजन योजना में योगदान देकर महत्वपूर्ण दिन जैसे कि बच्चे के जन्म, विवाह, जन्मदिन आदि को मनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तिथि भोज **मध्याह्न भोजन योजना** का विकल्प नहीं है, **बल्कि यह मध्याह्न भोजन योजना की पूरक है।**
निगरानी	**निगरानी तंत्र** • शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में **उच्चाधिकार प्राप्त समिति**, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय संचालन सह निगरानी समिति (NSMC)** एवं **कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (Program Approval Board: PAB)** • राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **राज्य संचालन–सह–निगरानी समिति** • जिले की लोक सभा के वरिष्ठतम सांसद की अध्यक्षता में **जिला स्तरीय समिति।** • **स्थानीय स्तर पर** ग्राम पंचायतों / ग्राम सभाओं, ग्राम शिक्षा समितियों (VEC's), अभिभावक शिक्षक संघों (Parent Teacher Associations: PTAs) और स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC's) के सदस्य।
अवधि	यह योजना **वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक** की पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगी।

© Vision IAS

10.3. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

प्रधान मंत्री युवा (YUVA- युवा, आगामी और बहुमुखी लेखक) योजना	• शिक्षा मंत्रालय (MoE) के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रधान मंत्री युवा (YUVA) योजना के तहत 75 लेखकों के चयन की घोषणा की है। • YUVA, इंडिया@75 परियोजना (आज़ादी का अमृत महोत्सव) का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि जैसे विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाना है। • इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के 75 इच्छुक लेखकों को प्रशिक्षित करना है, जो स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा भारत और इसकी संस्कृति एवं साहित्य को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। • मेंटरशिप योजना के तहत छह महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।
ईशान उदय छात्रवृत्ति योजनाएं	• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने **"ईशान उदय" पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना** को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर NER में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना है। • वर्ष 2017-18 से यह योजना **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP)** में शामिल की गई है। • NSP एक वन-स्टॉप समाधान है, जहां छात्र केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

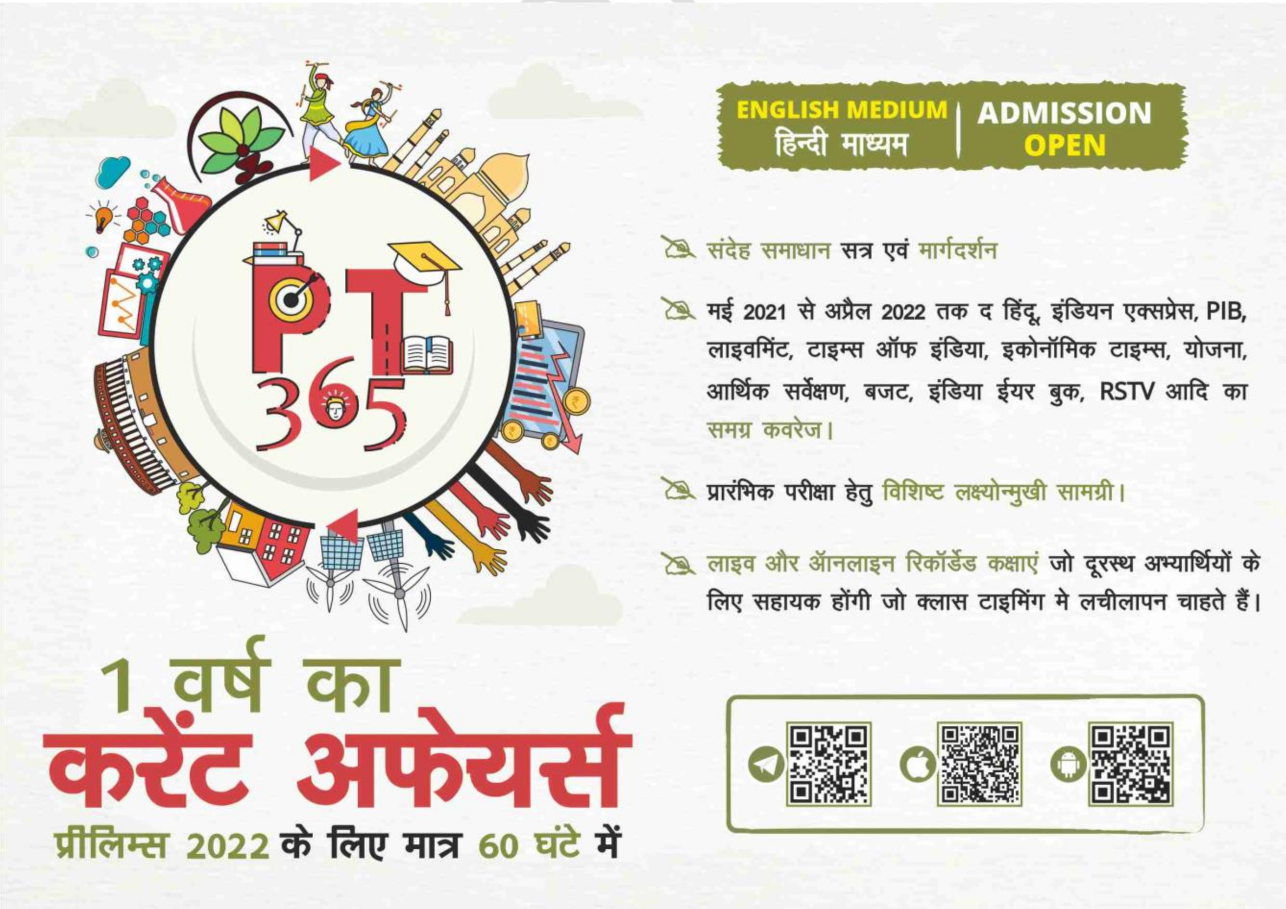

11. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology: MeitY)

11.1. हाल ही में शुरू की गई नई योजनाएं (Newly Launched Scheme)

11.1.1. उत्पाद नवाचार, विकास और संवृद्धि के लिए MeitY का स्टार्टअप एक्सलरेटर (समृद्ध) कार्यक्रम {Start-up Accelerators of MeitY for Product Innovation, Development and Growth (SAMRIDH) Programme}

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	भारत में **स्टार्टअप एक्सेलेरेटर (समृद्ध) तंत्र विकसित करना।**
	फोकस	आगामी तीन वर्षों में ग्राहक संपर्क, निवेशक संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच प्रदान करके **300 स्टार्टअप्स को एक्सलरेट (समृद्ध) करना।**
	निवेश	स्टार्टअप के मौजूदा मूल्यांकन व विकास के चरण के आधार पर **स्टार्ट-अप में 40 लाख रुपये तक का** निवेश चयनित एक्सीलेरेटरों के माध्यम से किया जाएगा।
	कार्यान्वयन एजेंसी	**इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप हब (MSH)**

उद्देश्य	
एक्सेलेरेटर्स (प्रोत्साहक) को समर्थन	**स्टार्ट-अप्स को तीव्र गति से प्रोत्साहित करना**
सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्ट-अप्स का बड़े पैमाने पर चयन और उन्हें तीव्रता से प्रोत्साहित करने के लिए **मौजूदा और आगामी स्टार्टअप्स एक्सेलेरेटर्स (प्रोत्साहक) को समर्थन** प्रदान करना।	ग्राहक संपर्क, निवेशक संपर्क, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, और राजस्व, उपयोगकर्ताओं तथा मूल्यांकन मानकों के मामले में समग्र व्यापार वृद्धि प्रदान करके **स्टार्ट-अप्स को तीव्र गति से प्रोत्साहित करना।**

मुख्य विशेषताएं	
दो घटक	• स्टार्ट-अप्स को तीव्र सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सेलेरेटर्स को **प्रशासनिक लागत** प्रदान की जाएगी। • स्टार्ट-अप को उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रदान की गई **इक्विटी सीड फंडिंग का मिलान** किया जाएगा।
स्टार्टअप्स को समर्थन	मौजूदा और आगामी स्टार्टअप एक्सेलेरेटर को **समर्थन देने के लिए प्रक्रिया का निर्माण** तथा योजना के **कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण MeitY के सचिव के तहत** 10 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा।
MeitY स्टार्ट-अप हब (MSH) के बारे में	• यह प्रौद्योगिकी नवाचार, स्टार्ट-अप्स और बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देने वाले **MeitY के दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने** के लिए MeitY के तहत एक स्थापित **नोडल इकाई है।** • यह MeitY के सभी ऊष्मायन केंद्रों (incubation centres), स्टार्टअप्स और नवाचार संबंधी गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए एक **राष्ट्रीय समन्वय तथा सुविधा और निगरानी केंद्र** के रूप में कार्य करता है।

11.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

11.2.1. व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस योजना के तहत मंत्रालय ने 14 पात्र आवेदकों को मंजूरी दी है।

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	भारत में निर्मित वस्तुओं की **निवल वृद्धिशील बिक्री पर (आधार वर्ष पर) 4% से 2% / 1% का प्रोत्साहन** प्रदान करना।
	लक्षित खंड	लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन-पर्सनल कंप्यूटर (PCS) और सर्वर।
	पात्रता	पात्रता **वृद्धिशील निवेश की सीमा** और विनिर्माण वस्तुओं की **निवल वृद्धिशील बिक्री** के अधीन है।
	स्थानीयकरण अनुसूची	लक्षित खंड के अंतर्गत आने वाली विनिर्मित वस्तुओं को **योजना में निर्दिष्ट** स्थानीयकरण के मानदंडों को पूरा करना चाहिए

उद्देश्य	
घरेलू विनिर्माण	**निवेश आकर्षित करना**
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना।	मोबाइल फोन के विनिर्माण, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग तथा **असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग (ATMP) इकाइयों** सहित विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला के क्षेत्र में व्यापक निवेश को आकर्षित करना।

मुख्य विशेषताएं	
अन्य योजनाओं के लिए पात्रता पर प्रभाव	योजना के तहत पात्रता किसी अन्य योजना के तहत पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी और अन्य योजनाओं के अंतर्गत पात्रता इस योजना के अधीन पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी
योजना की अवधि	योजना के तहत **चार वर्ष की अवधि** के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा।
योजना को एक नोडल एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा	ऐसी नोडल एजेंसी एक **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) के रूप में कार्य** करेगी। साथ ही, सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर MeitY द्वारा सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगी।
योजना की निगरानी	मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (EGoS)[11] PLI योजना की निगरानी करेगा।

11.2.2. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस योजना के 6 वर्ष पूर्ण हुए हैं।

तीन प्रमुख लक्ष्य	**डिजिटल अवसंरचना**	हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) तक आसान पहुंच आदि।
	मांग पर शासन और सेवाएं	रियल टाइम में सेवाओं की उपलब्धता, पोर्टेबल होने के लिए सभी नागरिक पात्र आदि।
	नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण	सार्वभौमिक **डिजिटल साक्षरता**, डिजिटल संसाधनों तक सार्वभौमिक पहुंच।

उद्देश्य
डिजिटल रूप से सशक्त समाज
भारत को डिजिटल रूप से **सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित** करना।

[11] Empowered Group of Secretaries

मुख्य विशेषताएं	
संवृद्धि के क्षेत्रों के नौ स्तंभों पर बल देने का उद्देश्य है	भारत को डिजिटल रूप से **सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित** करना। ब्रॉडबैंड हाई-वे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौम पहुँच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम, ई-गवर्नेंस: प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार करना, ई-क्रांति: NeGP 2.0, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम।
परियोजना प्रबंधन संरचना	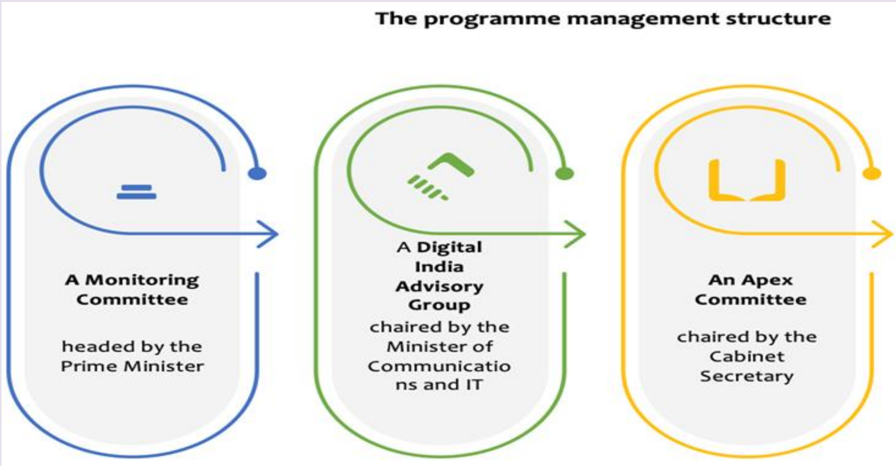
ई-क्रांति - सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति	• ई-क्रांति मिशन का उद्देश्य विभिन्न साधनों के माध्यम से एकीकृत और अंतःप्रचालनीय प्रणालियों की सहायता लेते हुए नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वहनीय कीमतों पर सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। • साथ ही ई-क्रांति मिशन का लक्ष्य सरकारी सेवाओं की विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करते हुए अभिशासन की प्रक्रिया में अभूतपूर्व बदलाव लाना है।
सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्राथमिकता	• ई-गवर्नेंस से संबद्ध परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जहां भी संभव हो, **सार्वजनिक निजी भागीदारी** को प्राथमिकता दी जाएगी। • कम से कम 10 प्रमुख मंत्रालयों में **मुख्य सूचना अधिकारी (CIO)**[12] के पद का सृजन किया जाएगा, ताकि ई-गवर्नेंस की विभिन्न परियोजनाओं का अभिकल्पन, विकास और कार्यान्वयन हो सके।
सामान्य सेवा केंद्र (Common Services Centers: CSC)	देश के प्रत्येक हिस्से में डिजिटल इंडिया का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 2.5 लाख से अधिक **सामान्य सेवा केंद्रों (CSC)**[13] का एक विशाल नेटवर्क सृजित किया गया है। इसने भारत के निर्धनों, सीमांत लोगों, दलितों और महिलाओं के मध्य डिजिटल उद्यमियों का विकास किया है।

11.3. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

11.3.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना	• इस योजना को **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में** नौ वर्ष की अवधि के लिए आरंभ किया गया था। • इसे **देश में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT)/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (ITES)**[14] **के क्षेत्रों में पी.एच.डी. उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी करने** के उद्देश्य से आरंभ किया गया था।

[12] Chief Information Officers

[13] Common Services Centers

	• इसका उद्देश्य ESDM और IT/ITES में 42 उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। • हाल ही में, योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया था। ○ **योजना के द्वितीय चरण का उद्देश्य** 1,000 पूर्णकालिक पी.एच.डी. उम्मीदवारों, 150 अंशकालिक पी.एच.डी. उम्मीदवारों, 50 युवा संकाय अनुसंधान फैलोशिप और 225 पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
उमंग (UMANG) ऐप (नए युग के प्रशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन)	• **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मैप माई इंडिया** के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से "उमंग ऐप" में मानचित्र सेवाओं को सक्षम बना दिया है। • उमंग एक **एकीकृत, सुरक्षित, मल्टी-चैनल, मल्टी-प्लेटफॉर्म, बहुभाषी तथा मल्टी-सर्विस** मोबाइल ऐप है। • यह **आधार** और अन्य एप्लिकेशन जैसे **डिजिलॉकर** और **PayGov** के साथ **सहज एकीकरण प्रदान करता है।** • **मैप माय इंडिया वर्ष 1995 में नई दिल्ली में स्थापित और मुख्यालय वाली** एक स्वदेशी कंपनी का उत्पाद है। इसने संपूर्ण देश का डिजिटल रूप से मानचित्रण किया है।

[14] Information technology Enabled Services

12. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change: MOEFCC)

12.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

12.1.1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme: NCAP)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NACP) के तहत राष्ट्रीय सर्वोच्च समिति की पहली बैठक आयोजित की गई।

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	देश भर में **वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक तरीके से निपटना।**
	प्रकार	यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
	लक्ष्य	वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानते हुए **वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20% से 30% की कमी।**
	विस्तार	वर्ष 2014 से वर्ष 2018 के बीच वायु गुणवत्ता डेटा के आधार पर देश भर में **122 गैर-प्राप्ति (नॉन-अटेनमेंट) शहरों की पहचान** की गयी है।

उद्देश्य		
शमन के उपाय	वायु गुणवत्ता में सुधार	जागरूकता और क्षमता निर्माण
वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और शमन के उपायों का **कठोरता से कार्यान्वयन सुनिश्चित** करना।	संपूर्ण देश में **वायु गुणवत्ता से संबंधित निगरानी तंत्र को संवर्धित करना तथा सुदृढ़** करना।	**जन-जागरूकता और क्षमता निर्माण** के उपायों को संवर्धित करना।

मुख्य विशेषताएं	
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एयरशेड (वायु के सामान्य प्रवाह का क्षेत्र) दृष्टिकोण अपनाना	• इसके तहत **नीति निर्माता राज्यों की सीमाओं के भीतर निर्देशित नीतियां बनाने की बजाय भौगोलिक, मौसम संबंधी और अन्य कारकों** (जो किसी विशिष्ट एयरशेड के भीतर वायु को प्रदूषित करते हैं) **को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की योजना बनाएंगे।** ○ वर्तमान में, "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों" के लिए एयरशेड दृष्टिकोण लागू किया जा रहा है।
शहर विशिष्ट कार्य योजनाएं	**शहर विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार** की गई हैं तथा इनके कार्यान्वयन की **नियमित रूप से केंद्रीय और राज्य स्तरीय समितियों** अर्थात् संचालन समिति, निगरानी समिति तथा कार्यान्वयन समिति द्वारा निगरानी की जाती है।
शहरों की वायु गुणवत्ता की निगरानी	शहरों की वायु गुणवत्ता की निगरानी **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** द्वारा की जाती है। इनके द्वारा समय-समय पर उनके परिणाम प्रकाशित किए जाते रहते हैं।
एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCCs)	कुछ स्मार्ट शहरों में **एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCCs)**[15] स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र प्रभावी निगरानी के लिए वायु गुणवत्ता निगरानी (AQM)[16] के साथ संलग्नता में कार्य करते हैं।

[15] Integrated Command and Control Centres

[16] Air Quality Monitors

© Vision IAS

12.1.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (NNRMS)	• यह **एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।**
	• **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य देश के **प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाने तथा आकलन और निगरानी करने के लिए रिमोट सेंसिंग (सुदूर संवेदन) तकनीक** का उपयोग करना है।
	• पिछले पांच वर्षों के दौरान, अनुसंधान अध्ययन और आकलन परियोजनाओं को जारी रखने के लिए **1 करोड़ रुपये प्रदान किए जा चुके हैं।**
	• **प्रमुख उपलब्धियां:**
	  ○ **ज्ञान आधारित निर्णय लेने वाले** साधनों का विकास किया गया है।
	  ○ हिमालयी क्षेत्र की हिम और हिमनदों की **निगरानी की जा रही है।**
	  ○ **मरुस्थलीकरण स्थिति** का मानचित्रण किया जा रहा है।
	  ○ **एकीकृत भूमि उपयोग, जल और ऊर्जा प्रबंधन** आदि के लिए रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जा रहा है।

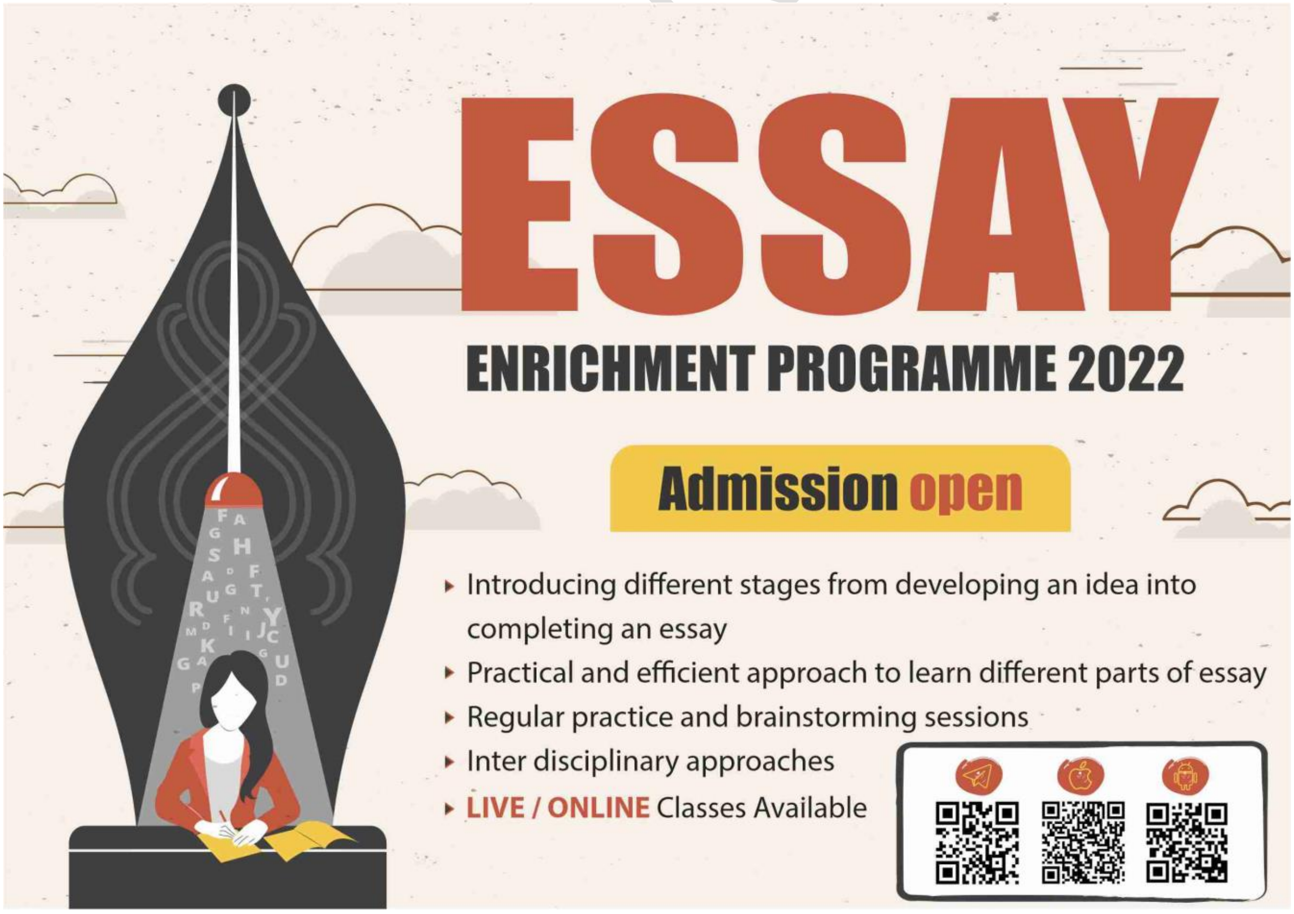

13. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)

13.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

13.1.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

ई-सेटलमेंट योजना	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने **छोटे करदाताओं से जुड़े कर विवादों के निपटान के लिए** एक योजना शुरू की है। • **ई-सेटलमेंट योजना, 2021 के बारे में:** ○ यह योजना **1 नवंबर, 2021 से प्रभावी** है। ○ योजना के तहत, **एक 'अंतरिम बोर्ड'** निपटान के लिए आवेदनों पर निर्णय करेगा। ○ अंतरिम बोर्ड को **सेटलमेंट आयोग से स्थानांतरित** की जाने वाली याचिकाओं को देखने का कार्य सौंपा गया है। ○ अंतरिम बोर्ड और करदाताओं के बीच सभी संचार **विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगे।** • यह योजना अधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने के लिए समग्र आयकर **मुकदमेबाजी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने** के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
उभरते सितारे फंड	• इस कोष को **भारतीय निर्यात-आयात बैंक**[17] और **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)** द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। • यह कोष संरचित समर्थन का मिश्रण है। यह समर्थन भारतीय कंपनियों को इक्विटी या लिखतों जैसी इक्विटी में निवेश, ऋण (निधिक एवं गैर-निधिक) तथा तकनीकी सहायता (परामर्श सेवाएं, अनुदान व उदार ऋण) के माध्यम से **वित्तीय एवं सलाहकार सेवाओं दोनों** का संयोजन है। • **उभरते सितारे कार्यक्रम (USP):** ○ यह उन भारतीय कंपनियों की पहचान करता है, जो **बेहतर निर्यात क्षमता रखती हैं तथा भविष्य की चैंपियन भी** हैं। ○ एक पहचानी गई कंपनी को **प्रौद्योगिकी, उत्पाद या प्रक्रिया के माध्यम से संभावित लाभ** प्राप्त होंगे। ○ इसमें ऐसी कंपनियों को भी समर्थन किया जा सकता है, जो **वर्तमान में खराब प्रदर्शन कर रही हों** या इनमें विकास की क्षमता मौजूद हैं, परंतु ऐसी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ हैं। ○ यह कार्यक्रम ऐसी चुनौतियों की पहचान करता है। साथ ही, इक्विटी, ऋण और तकनीकी सहायता को शामिल करते हुए खाका आधारित **मिश्रित समर्थन (वित्तीय एवं सलाहकार) के माध्यम से सहायता** प्रदान करता है।

13.2. संशोधित योजनाएं (Modified Schemes)

13.2.1. विविध योजना (Miscellaneous Initiatives)

क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)	• ECLGS को **आत्मनिर्भर भारत पैकेज** के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), व्यावसायिक उद्यमों और व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु व्यक्तिगत ऋण एवं मुद्रा (MUDRA) योजना के उधारकर्ताओं** को पूरी तरह से गारंटीकृत तथा संपार्श्विक मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान करना है। • ECLGS, सदस्य ऋणदाता संस्थानों (बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) को **राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC)** द्वारा **100 प्रतिशत** गारंटी कवरेज प्रदान करती है। ऋणदाता संस्थानों को यह गारंटी कवरेज पात्र MSMEs को गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन पर उपलब्ध करवाया जाता है। • आरंभ में घोषित कुल उच्चतम सीमा **3 लाख करोड़ रुपये** थी, जिसे बाद में **बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़** रुपये कर दिया गया था। • **निम्नलिखित क्षेत्रों को ECLGS के अंतर्गत शामिल किया गया है:** ○ **ECLGS 1.0:** MSME इकाइयाँ, व्यावसायिक उद्यम, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा/MUDRA) उधारकर्ता तथा व्यावसायिक उद्देश्य हेतु व्यक्तिगत ऋण। ○ **ECLGS 2.0:** कामथ समिति द्वारा चिन्हित किए गए 26 दबावग्रस्त क्षेत्र और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र।

[17] Export Import Bank of India: EXIM Bank

VISION IAS

	○ **ECLGS 3.0:** आतिथ्य, यात्रा एवं पर्यटन, अवकाश और खेल (Leisure & Sporting) तथा नागर विमानन क्षेत्र। ○ **ECLGS 4.0:** तरल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि के निर्माण में संलग्न मौजूदा अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लीनिक/मेडिकल कॉलेज/इकाइयां। • **हालिया संशोधन:** नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दिया है। साथ ही, क्रेडिट गारंटी की ऊपरी सीमा भी बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है।

13.3. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes In News)

13.3.1. अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana: APY)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (NPS ट्रस्ट) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, **4.2 करोड़ NPS सब्सक्राइबर** में से, 66 प्रतिशत या 2.8 करोड़ से अधिक ने वर्ष 2020-21 के अंत में अटल पेंशन योजना का विकल्प चुना है।

स्मरणीय तथ्य	**उद्देश्य**	ऐसे समय में लोगों को **मासिक आय प्रदान** करना, जब वे आय अर्जित नहीं कर रहे हों।
	प्रकार	यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
	लाभ	योजना के तहत सदस्यों के अंशदान के आधार पर **प्रति माह 1,000 रुपये या 2,000 रुपये या 3,000 रुपये या 4,000 रुपये या 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन** दी जाती है।
	लाभार्थी	यह योजना भारत के 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के उन सभी नागरिकों के लिए खुली है, जिनका बैंक या डाकघर में बचत बैंक खाता है। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर अधिक बल दिया गया है।

उद्देश्य
60 वर्ष की आयु के बाद सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन
अभिदाता (subscribers) **60 वर्ष की आयु के उपरांत अपने अंशदान (contributions) के आधार पर निर्धारित न्यूनतम पेंशन** प्राप्त करेंगे।

मुख्य विशेषताएं	
पृष्ठभूमि	यह योजना स्वावलंबन योजना के स्थान पर शुरू की गई है।
अंशदान	• **न्यूनतम अवधि:** इस योजना के तहत अभिदाता को न्यूनतम 20 वर्षों या अधिक के लिए योगदान करना होगा। • **अभिदाता अंशदान:** अभिदाता **मासिक / तिमाही / अर्ध-वार्षिक आधार पर APY में अंशदान** कर सकते हैं। • **केंद्र सरकार का सह-अंशदान: 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल अंशदान का 50% या प्रति वर्ष 1,000 रुपये, जो भी कम** हो। सह-अंशदान केवल उन अभिदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो: ○ **1 जून 2015 और 31 मार्च 2016 के बीच** APY में शामिल हुए हैं। ○ किसी भी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। ○ **आयकर दाता नहीं हैं।**
स्वैच्छिक निकासी की सुविधा	सरकारी सहयोग में कमी और प्रतिफल/ब्याज में कटौती होने पर, अभिदाता कुछ शर्तों के अधीन 60 वर्ष की आयु से पूर्व स्वेच्छा से APY से बाहर निकल सकते हैं।

लाभार्थी की मृत्यु की दशा में	• अभिदाता की आकस्मिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पूर्व) के मामले में, अभिदाता के APY खाते में उस समय तक जब तक कि उसकी आयु 60 वर्ष नहीं हो जाती तब तक अभिदाता के पति/पत्नी द्वारा शेष निवेश अवधि के लिए योगदान जारी रखा जा सकता है। • अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में उसका जीवन साथी समान राशि की पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा/होगी।
लाभार्थी और जीवनसाथी, दोनों की मृत्यु की दशा में	अभिदाता और उसके जीवन साथी, दोनों की मृत्यु के उपरांत जमा/संचित राशि (जो भी 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गयी थी) अभिदाता के द्वारा नामित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी।
कार्यान्वयन	इसे **पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA)** द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। APY के अंतर्गत अभिदाता को नामांकित करने (enrol) हेतु NPS की संस्थागत संरचना का उपयोग किया जाएगा।

13.3.2. प्रधान मंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana: PMJDY)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **प्रधान मंत्री जन धन योजना- राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन** ने 7 वर्ष पूरे किए हैं।

स्मरणीय तथ्य	**उद्देश्य**	**वित्तीय सेवाओं** (वहनीय तरीके से एक बुनियादी बचत और जमा खाता, रेमिटेंस, ऋण, बीमा एवं पेंशन) **तक पहुंच** सुनिश्चित करना।
	लाभ	बिना बैंक खाते वाले व्यक्ति के नाम पर एक मूल बचत बैंक खाता खोला जाता है।
	ओवरड्राफ्ट	**पात्र खाताधारकों के लिए 10,000 रुपये तक उपलब्ध है**
	दुर्घटना बीमा	एक लाख रुपये तक का कवर (28-08-2018 के बाद खोले गए नए PMJDY खातों के लिए बीमा कवर बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है)।

उद्देश्य	
वित्तीय विस्तार	**प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना**
वहनीय लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।	लागत को कम करने और पहुंच को व्यापक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

प्रमुख विशेषताएं	
पृष्ठभूमि	**यह** वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए **राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन** है।
6 स्तंभ	• बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, • प्रत्येक परिवार के लिए 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ मूल बचत बैंक खाता, • वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, • क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण, • सूक्ष्म बीमा तथा • असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना।
बैंक खाता	इस योजना के तहत, किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) आउटलेट में **बुनियादी बचत बैंक जमा (Basic Savings Bank Deposit: BSBD) खाता** खोला जा सकता है, जिनके पास कोई अन्य बैंक खाता नहीं है।

खाताधारकों को लाभ	• PMJDY बैंक खातों में **न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं** है। • PMJDY बैंक खातों में **जमा राशि पर ब्याज** अर्जित किया जाता है। • PMJDY खाताधारक को **रुपे डेबिट कार्ड** प्रदान किया जाता है। • **PMJDY खाताधारी अग्रलिखित के लिए पात्र हैं: PMJDY बैंक खाते** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), मुद्रा योजना के लिए पात्र हैं।

13.3.3. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)	• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **PMGKAY (चरण VI) को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है।** • PMGKAY के तहत, सरकार ने मार्च 2020 में लगभग 80 करोड़ **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न** (चावल/गेहूं) के वितरण की घोषणा की थी। • यह आवंटन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत दिए जा रहे खाद्यान्नों के अतिरिक्त होगा।

राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय सहायता की योजना (Scheme of Financial Assistance to States for Capital Expenditure)	• इस योजना के तहत राज्य सरकारों को **पूंजीगत परियोजनाओं पर व्यय हेतु 50 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
	• सरकार ने वर्ष 2021-22 में भी इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।
	  ○ राज्यों को प्रदान की गई निधि का उपयोग **नई और संचालित पूंजीगत परियोजनाओं** के लिए किया जाएगा। इन निधियों का उपयोग परिचालनरत पूंजीगत परियोजनाओं में लंबित बिलों के निपटान के लिए भी किया जा सकता है।
	  ○ **पूंजीगत व्यय** से रोजगार सृजित होते हैं तथा अर्थव्यवस्था की भावी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप **उच्च आर्थिक संवृद्धि दर** प्राप्त होती है।
	• **इस योजना के 3 भाग हैं:**
	  ○ **भाग-I:** योजना का यह हिस्सा **पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए** है। इस हिस्से के लिए 2,600 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसमें से, असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड प्रत्येक को 400-400 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि इस समूह के शेष राज्यों को 200-200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
	  ○ **भाग- II:** योजना का यह भाग **अन्य सभी राज्यों के लिए है जो भाग- I में शामिल नहीं** हैं। इस हिस्से के लिए 7,400 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह राशि इन राज्यों के बीच वर्ष 2021-22 के लिए 15वें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार केंद्रीय करों में उनके हिस्से के अनुपात में आवंटित की गई है।
	  ○ **भाग-III:** योजना का यह भाग **राज्यों को अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण/पुनर्चक्रण और राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (SPSE) के विनिवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए** है। योजना के इस हिस्से के लिए 5,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस भाग के तहत, राज्यों को संपत्ति मुद्रीकरण, सूचीकरण और विनिवेश के माध्यम से उनके द्वारा प्राप्त राशि के 33% से 100% तक 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होगा।

VISION IAS

14. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying)

14.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

14.1.1. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) Scheme)*/#

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत विशेष गतिविधि के रूप में **राष्ट्रव्यापी नदी मत्स्य पालन कार्यक्रम**[18] शुरू किया गया है।

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	**मछली उत्पादन और उत्पादकता**, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, कटाई के बाद की अवसंरचना और प्रबंधन आदि में **महत्वपूर्ण अंतरालों को दूर करने के लिए।**
	लक्ष्य	**नीली क्रांति की उपलब्धि को समेकित करने के लिए।**
	प्रकार	दो अलग-अलग घटक: **केंद्रीय क्षेत्र योजना, और केंद्र प्रायोजित योजना।**
	अवधि	**वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25** तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा।

उद्देश्य			
मत्स्य पालन क्षमता का दोहन	बुनियादी ढांचा और विनियमन में सुधार	किसानों की आय में वृद्धि	अतिरिक्त आर्थिक लाभ
• एक **सतत, उत्तरदायी, समावेशी और न्यायसंगत** तरीके से मत्स्य पालन क्षमता का दोहन करना। • भूमि और जल के विस्तार, गहनीकरण, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से **मछली उत्पादन और उत्पादकता** में वृद्धि करना।	• **मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण** और सुदृढ़ीकरण- फसलोत्तर प्रबंधन एवं गुणवत्ता में सुधार करना। • **मजबूत मात्स्यिकी प्रबंधन** और नियामक ढांचा।	• मछुआरों और मत्स्य पालन किसानों की आय को दोगुना करना और रोजगार का सृजन करना। • मछुआरों और मत्स्य पालन किसानों के लिए **सामाजिक, भौतिक एवं आर्थिक सुरक्षा।**	• **कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) और निर्यात** में योगदान बढ़ाना।

मुख्य विशेषताएं	
लक्ष्य	**पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी मत्स्य पालन क्षेत्र बनाना,** जो निम्नलिखित में योगदान करेगा- • मछुआरों और मत्स्य पालन किसानों और अन्य हितधारकों की आर्थिक समृद्धि एवं कल्याण, • एक सतत और उत्तरदायी माध्यम से देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा आदि।
योजना द्वारा परिकल्पित हस्तक्षेप	इस योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जैसे कि– **मछली पकड़ने के जलयानों का बीमा,** मछली पकड़ने के जहाजों / नौकाओं के उन्नयन के लिए सहायता, **जैव-शौचालय,** लवणीय / क्षारीय क्षेत्रों में **जलीय कृषि, सागर मित्र,** मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPO)/CS,न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, एकीकृत तटीय मछली पकड़ने वाले गांवों का विकास, जलीय प्रयोगशाला नेटवर्क और उनकी सुविधाओं का

[18] Nationwide River Ranching Programme

© Vision IAS

	विस्तार, पहचान सुविधा, प्रमाणन और मान्यता, RAS, बायोफ्लोक एंड केज कल्चर, ई-ट्रेडिंग / विपणन, मत्स्य पालन प्रबंधन योजनाएं आदि जैसे नए हस्तक्षेप।
केंद्र प्रायोजित घटक के लिए वित्तपोषण पैटर्न	**मध्य और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों** के लिए वित्तपोषण अनुपात- **90:10 और अन्य राज्यों के लिए 60:40 है।**
राष्ट्रव्यापी नदी मत्स्य पालन कार्यक्रम	
लक्ष्य	• **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत** विशेष गतिविधि के रूप में **"नदी मत्स्य पालन कार्यक्रम"** आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि और जल के विस्तार, गहनता, विविधीकरण एवं उत्पादक उपयोग के माध्यम से **मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देना तथा उसका और अधिक संवर्धन करना है।** • यह कार्यक्रम **संधारणीय मत्स्य पालन** का लक्ष्य प्राप्त करने, पर्यावास क्षरण को कम करने, जैव विविधता के संरक्षण, सामाजिक-आर्थिक लाभों को अधिकतम करने और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का आकलन करने में मदद करेगा।
चरण -1	• कार्यक्रम के चरण-I के तहत **NFDB ने वर्ष 2020-21 के दौरान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों यथा- गंगा और उसकी सहायक नदियों, ब्रह्मपुत्र एवं बराक नदी की सहायक नदियों** तथा **महानदी व अन्य नदियों को लक्षित किया है।** • इसके परिणामस्वरूप, **उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड और बिहार** का नदी पट्टी की लंबाई पर ध्यान केंद्रित करने वाले छह प्रमुख अंतर्देशीय राज्यों के रूप में चयन किया गया है।
कार्यान्वयन	**राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB)** को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

14.1.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

मोबाइल एप 'मत्स्य सेतु'	• इसका उद्देश्य **देश के जलीय कृषि करने वाले किसानों तक मीठे जल की जलीय कृषि संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकियों** का प्रसार करना है।
	  ○ जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) **से तात्पर्य मत्स्य, शेलफिश और जलीय पादपों के प्रजनन, पालन एवं हार्वेस्टिंग से है।**
	  ○ ऐप किसानों को मृदा और जल की गुणवत्ता बनाए रखने में **प्रौद्योगिकियों के संवर्धन एवं बेहतर प्रबंधन पद्धतियों को सीखने में मदद करेगा।**
	• **ऐप की मुख्य विशेषताएं:**
	  ○ प्रजाति-वार / विषय-वार **स्व-शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल।**
	  ○ जलकृषि में **आहार और स्वास्थ्य प्रबंधन** के बारे में जानकारी।
	  ○ प्रत्येक पाठ्यक्रम **मॉड्यूल के सफल समापन पर ई-प्रमाण-पत्र।**

VISION

15. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries: MOFPI)

15.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

15.1.1. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना {Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME)}#

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना (PMFME) योजना के तहत बीज पूंजी मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया।

स्मरणीय तथ्य	**प्रकार**	**यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।**
	अवधि	**वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25** तक पांच वर्ष।
	इच्छित लाभार्थी	मौजूदा **सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण** उद्यम, FPOs/ SHGs/ उत्पादक सहकारी।
	नोडल बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

उद्देश्य
विद्यमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता प्रदान करना।
विद्यमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएं	
पृष्ठभूमि	यह योजना **"आत्मनिर्भर भारत अभियान" के एक भाग के रूप में** आरंभ की गई थी।
लक्ष्य	इस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे सहायता प्रदान करना है: • कार्यशील पूंजी और लघु उपकरणों की खरीद के लिए **40,000/- रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्य को प्रारंभिक पूंजी (Seed capital)** प्रदान की जाएगी। • 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 35% तक पूंजी निवेश के लिए **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी।** • साझा **बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए 35% तक क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता।**
विपणन और ब्रांडिंग के लिए समर्थन	राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर सूक्ष्म इकाइयों और समूहों के लिए ब्रांड विकसित करने हेतु **विपणन और ब्रांडिंग सहायता** के रूप में कुल व्यय का 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे क्लस्टरों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म इकाइयों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है।
निधि साझाकरण	इस योजना के तहत व्यय को **केंद्र और राज्य या विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य 60:40** के अनुपात में एवं **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के साथ 90:10** के अनुपात में साझा किया जाएगा।

© Vision IAS

एक जिला एक उत्पाद One District One Product (ODOP)	यह योजना आगतों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ लेने और उत्पादों के विपणन के लाभों को प्राप्त करने के लिए **'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP)** दृष्टिकोण अपनाती है। ○ राज्य विद्यमान क्लस्टरों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक **जिले के लिए विशिष्ट खाद्य उत्पाद की पहचान करेंगे।** ○ **ODOP संबंधी उत्पाद,** शीघ्र ख़राब होने वाले उत्पाद या अनाज आधारित उत्पाद या एक जिले और उनके संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य उत्पाद हो सकता है। ○ ODOP संबंधी उत्पादों के लिए **साझा अवसंरचना और ब्रांडिंग तथा विपणन के लिए समर्थन** प्रदान किया जाएगा।
फोकस	यह योजना **अपशिष्ट से मूल्यवान उत्पादों**, लघु वन उत्पादों और आकांक्षी जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
क्षमता निर्माण और अनुसंधान	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) के अंतर्गत दो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, यथा- **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (IIFPT)** के साथ-साथ राज्यों द्वारा चयनित राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों को **सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण** इकाइयों को प्रशिक्षण देने, उत्पाद का विकास करने, उपयुक्त पैकेजिंग और मशीनरी हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।
अपेक्षित लाभ	इस योजना से कुल 35,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ-साथ 9 लाख कुशल और अर्ध-कुशल रोजगार सृजित होंगे। साथ ही सूचना, प्रशिक्षण, कार्य-स्थिति की बेहतर समझ और औपचारीकरण के माध्यम से 8 लाख इकाइयों को लाभ प्राप्त होगा।
प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना (PMFME) के अंतर्गत सीड कैपिटल मॉड्यूल को लॉन्च किया	• इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के साथ मिलकर प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन (PMFME) योजना के तहत सीड कैपिटल मॉड्यूल का शुभारंभ किया। यह मॉड्यूल **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के एम.आई.एस. पोर्टल** पर लॉन्च किया गया है। • इसका उद्देश्य भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत **शहरी स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सदस्यों को** प्रारंभिक पूंजी सहायता (नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए आवश्यक शुरुआती पूंजी) की सुविधा प्रदान करना है। • **PMFME योजना के तहत प्रति SHG सदस्य 40,000 रुपये की** प्रारंभिक पूंजी **(सीड कैपिटल) सहायता** प्राप्त करने के लिए सीड कैपिटल पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

15.1.2. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने इस योजना की अवधि को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया है।

स्मरणीय तथ्य	**लक्ष्य**	फार्म गेट से खुदरा बिक्री केन्द्र तक कुशल आपूत श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन।
	प्रकार	यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
	अंब्रेला या छत्रक योजना	चल रही योजनाओं और मंत्रालय की नई योजनाओं को भी शामिल किया गया है।
	अपेक्षित परिणाम	वर्ष 2019-20 तक देश में 20 लाख किसानों को लाभान्वित करना और 5,30,500 प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना।

उद्देश्य
आधुनिक प्रसंस्करण सुविधा को बढ़ावा देना तथा कृषि उपज की बर्बादी को कम करना
इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास के साथ **आधुनिक प्रसंस्करण सुविधा को बढ़ावा देना तथा कृषि उपज की बर्बादी को कम करना है।**

मुख्य विशेषताएं	
पृष्ठभूमि	यह योजना पहले **संपदा (कृषि-समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना) (SAMPADA)**[19] के **नाम से जानी जाती** थी।
योजनाओं के घटक: पहली 4 योजनाएं वर्तमान में कार्यान्वित हैं, जबकि अंतिम तीन PMKSY के तहत शुरू की गई नई योजनाएं हैं।	
मेगा फूड पार्क	सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला के साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना। इसे विशेष प्रयोजन साधन (SPV) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 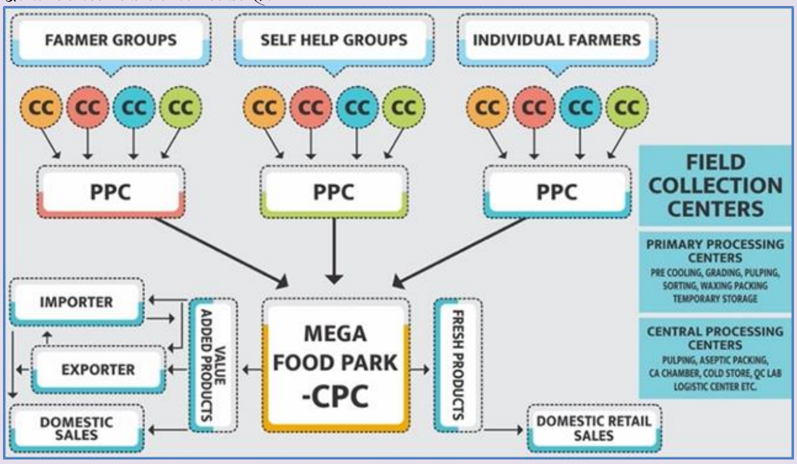
एकीकृत प्रशीतित श्रृंखला, तथा मूल्य वर्धन और सुरक्षा अवसंरचना	खेत से लेकर उपभोक्ता तक बाधा रहित शीत भंडारण श्रृंखला की सुविधा उपलब्ध कराना। इस अवसंरचना श्रृंखला परियोजना की स्थापना कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) आदि द्वारा की गई है।
खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार (CEFPPC)	इसका मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता का सृजन और मौजूदा प्रसंस्करण यूनिटों का आधुनिकीकरण/विस्तार करना है। यह परियोजना कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), गैर-सरकारी संगठनों आदि द्वारा स्थापित की गई है।
खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना	इसके दो घटक हैं: ○ गुणवत्ता नियंत्रण/खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन करना, ○ HACCP/ISO मानक/खाद्य सुरक्षा/गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। {HACCP अर्थात् संकट विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु प्रणाली[20]; ISO अर्थात् इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन}
कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना	क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों के समूह को प्रोत्साहित करने हेतु आधुनिक अवसंरचना और साझा सुविधाओं का विकास करना।

[19] Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters

[20] Hazard Analysis and Critical Control Point System

© Vision IAS

बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन	इंसुलेटेड/रेफ्रिजरेटेड (प्रशीतित) परिवहन के माध्यम से कनेक्टिविटी के साथ-साथ खेत के समीप प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों/संग्रहण केंद्रों और अग्रवर्ती छोर पर आधुनिक खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना करना।
मानव संसाधन एवं संस्थान	मांग संचालित अनुसंधान एवं विकास (R&D), प्रचार गतिविधियों (सेमिनार, कार्यशालाओं, मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन), और क्षेत्रक विशिष्ट कौशल का विकास करना।

15.1.3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLISFPI)}*

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए **विदेशों में प्रसंस्करण क्षमता और ब्रांडिंग का विस्तार।**
	प्रकार	**यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।**
	अवधि	**वर्ष 2020-21 से वर्ष 2026-27** तक छह वर्ष की अवधि।
	नोडल बैंक	**परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)**

उद्देश्य		
खाद्य विनिर्माण संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना	**वैश्विक उपस्थिति बढ़ाना**	
उन खाद्य विनिर्माण संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना, जो निर्धारित न्यूनतम विक्रय के साथ मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार और विदेशों में ब्रांडिंग के लिए निवेश करने के इच्छुक हैं।	• वैश्विक खाद्य विनिर्माण के क्षेत्र में चैंपियनों (अग्रणी अभिकर्ताओं) के निर्माण का समर्थन करना। • वैश्विक दृश्यता और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापक स्वीकृति के लिए खाद्य उत्पादों के चयनित भारतीय ब्रांड को सुदृढ़ करना।	• **कृषि-इतर (Off-Farm) नौकरियों** में रोजगार संबंधी अवसरों में वृद्धि करना। • कृषि उपज का लाभकारी मूल्य और किसानों की अधिक आय सुनिश्चित करना।

मुख्य विशेषताएं	
यह एक "फंड-लिमिटेड" योजना है	• इस योजना के तहत **"वित्तपोषण को सीमित" (fund-limited)** रखा गया है, अर्थात् लागत की राशि अनुमोदित राशि से अधिक नहीं होगी। ○ प्रत्येक लाभार्थी को देय अधिकतम प्रोत्साहन उस लाभार्थी के अनुमोदन के समय अग्रिम रूप से निर्धारित किया जाएगा। ○ उपलब्धि / प्रदर्शन के आधार पर भी अधिकतम प्रोत्साहन सीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा।
योजना के लिए आवेदक होगा	सीमित देयता भागीदारी (LLP) या भारत में पंजीकृत कंपनी; सहकारी समितियां; लघु एवं मध्यम उद्यम (SMEs) और योजना के तहत कवरेज के लिए एक आवेदन करने वाली कंपनियां।
इस योजना के दो घटक हैं	प्रथम घटक के तहत **चार मुख्य खाद्य उत्पाद खंडों** में शामिल रेडी टू कुक/रेडी टू ईट (RTC/RTE) खाद्य पदार्थ (मोटा अनाज आधारित उत्पाद), प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद, मोजरेला चीज **के विनिर्माण को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना है।** ▪ इन खंडों में विभिन्न खाद्य पदार्थ, यथा- अंडे, कुक्कुट मांस, अंडा आधारित उत्पाद सहित लघु एवं मध्यम उद्यमों

	(SMEs) के **अभिनव/ जैविक उत्पाद शामिल हैं।** दूसरा घटक मजबूत भारतीय ब्रांड्स के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन हेतु समर्थन से संबंधित है। • इस योजना में विदेशों में भारतीय ब्रांड को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए स्टोर ब्रांडिंग, शेल्फ स्पेस रेंटिंग और मार्केटिंग के लिए आवेदक संस्थाओं को अनुदान देने की परिकल्पना की गई है।
अन्य योजना के लिए पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं होगा	PLI योजना के तहत कवरेज प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना जैसी **अन्य योजनाओं के तहत पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा।**
कार्यान्वयन	**अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति:** यह समिति योजना के तहत आवेदकों को शामिल करने के साथ-साथ उन्हें प्रोत्साहन के रूप में निधियों की स्वीकृति एवं उसे जारी रखने हेतु अनुमोदन का कार्य देखेगी। **मंत्रालय द्वारा** इस योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियों को शामिल करते हुए **वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाएगी।**
निगरानी	इस योजना की निगरानी **केंद्र** में मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में **सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह द्वारा की जाएगी।** इसके तहत कार्यक्रम में एक **तृतीय पक्ष मूल्यांकन और मध्यावधि समीक्षा** तंत्र भी निर्मित किया जाएगा।

15.1.4. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

ईट राइट स्टेशन (Eat Right Station)	• हाल ही में, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)[21] ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को **'ईट राइट स्टेशन' प्रमाण-पत्र** से सम्मानित किया है। • चंडीगढ़ यह प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पांचवां रेलवे स्टेशन है। • FSSAI के **'ईट राइट इंडिया'** अभियान के एक भाग के रूप में ईट राइट स्टेशन पहल का उद्देश्य **रेलवे स्टेशनों पर स्थिर भोजन प्रबंधन इकाइयों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना है।** • FSSAI ने 'ईट राइट इंडिया' आंदोलन के माध्यम से सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और उचित भोजन सुनिश्चित करने हेतु (देश की खाद्य प्रणाली के रूपांतरण के लिए) वृहद पैमाने पर प्रयास आरम्भ किए हैं।

[21] Food Safety and Standards Authority of India

© Vision IAS
VISION IAS

16. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare: MOHFW)

16.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

16.1.1. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन {Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (ABHIM)}*/#

स्मरणीय तथ्य	**क्यों?**	प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक सभी स्तरों पर स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने के लिए।
	प्रकार	**कुछ केन्द्रीय क्षेत्र (CS) घटकों के साथ केन्द्र प्रायोजित योजना (CSS)**
	अवधि	वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक छह वर्ष के लिए।
	लक्ष्य	एक सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली निर्मित करना।

उद्देश्य		
जमीनी स्तर के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत बनाना।	**सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली विकसित करना।**	**संक्रामक रोगों पर अनुसंधान का समर्थन करना।**
• निगरानी, सक्रिय सामुदायिक संलग्नता और बेहतर जोखिम संचार, स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोकथाम सहित **सार्वभौमिक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए** जमीनी स्तर पर विद्यमान सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना। • सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन क्षमताओं को मजबूत करना। • व्यापक निदान और उपचार हेतु महत्वपूर्ण देखभाल सेवाओं सहित क्षमता के साथ वर्तमान और भविष्य की वैश्विक महामारियों / स्थानीय महामारियों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करना।	• लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और रोग के प्रकोप का प्रभावी ढंग से पता लगाना, जांच करना, रोकना और मुकाबला करना। • ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर, प्रवेश के बिंदुओं एवं महानगरीय क्षेत्रों में निगरानी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करने के लिए एक आईटी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का विस्तार एवं निर्माण करना।	• कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए, जैव चिकित्सा अनुसंधान सहित, कोविड-19 जैसी महामारियों के लिए **अल्पकालिक और मध्यम अवधि की प्रतिक्रिया को सूचित करने के लिए** साक्ष्य उत्पन्न करना • साथ ही, जानवरों और मनुष्यों में संक्रामक रोग के प्रकोप को रोकने, पता लगाने एवं प्रतिक्रिया देने के लिए वन हेल्थ एप्रोच की कोर क्षमता विकसित करना।

प्रमुख विशेषताएं	
केंद्र प्रायोजित योजना के घटक	• **आयुष्मान भारत - ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWCs):** इस घटक के तहत 7 उच्च फोकस वाले राज्यों (बिहार, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) तथा 3 उत्तर-पूर्वी राज्यों (मणिपुर, मेघालय व असम) में अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करना प्रस्तावित है। • **शहरी क्षेत्रों में AB-HWCs:** इस घटक के तहत देश भर में 11044 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का समर्थन करना

	प्रस्तावित है। • **प्रखंड स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां (BPHU): 11 उच्च फोकस वाले राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों** (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर (UT), झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) में 3382 BPHU के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। ○ शेष राज्यों के लिए, स्थानीय सरकारों के माध्यम से 15वें वित्त आयोग के अधीन स्वास्थ्य अनुदान के तहत BPHU की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। ○ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, जिलों में PM ABHIM के तहत प्रस्तावित **जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं** केंद्र शासित प्रदेशों में **प्रखंडों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।** • सभी जिलों में **एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं** स्थापित की जाएंगी। • **5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में** राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों/जिला अस्पतालों में **गहन चिकित्सा देखभाल ब्लॉक स्थापित किये जायेंगे।**
केंद्रीय क्षेत्रक घटक	• 12 केंद्रीय संस्थानों में **गहन चिकित्सा देखभाल खंड।** • **आपदा और स्थानीय महामारी से संबंधित तैयारी को सुदृढ़ बनाना:** 15 स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्रों और 2 कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पतालों के लिए सहायता दी जाएगी। • **संक्रामक रोगों की निगरानी और प्रकोप अनुक्रिया को मजबूत करना:** 20 महानगर निगरानी इकाइयों, 5 क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रों (NCDCs) एवं सभी राज्यों में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP) के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। • **प्रवेश के बिंदुओं पर निगरानी क्षमता को मजबूत करना:** प्रवेश स्वास्थ्य इकाइयों के 17 नए बिंदुओं के लिए समर्थन और 33 मौजूदा इकाइयों को मजबूत करना। • **जैव सुरक्षा की तैयारी और वैश्विक महामारी अनुसंधान एवं बहु क्षेत्र, राष्ट्रीय संस्थानों तथा वन हेल्थ के लिए मंच को मजबूत करना:** वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिए सहायता, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच, 9 जैव-सुरक्षा स्तरीय III प्रयोगशालाएं और 4 नए क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (National Institute of Virology: NIV)।

16.1.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

मुस्कान पहल	• इसका उद्देश्य रोकथाम योग्य **नवजात शिशु व बाल रुग्णता और मृत्यु दर को कम** करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण बाल-सुलभ सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना है। • इसके तहत **12 वर्ष से कम आयु के बालकों** को लक्षित किया जाएगा। यह मौजूदा **राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS)**[22] ढांचे के भीतर एक नई गुणवत्ता सुधार पहल है। • NQAS को **सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित** किया गया है। • NQAS वर्तमान में **जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों** के लिए उपलब्ध है।

22 National Quality Assurance Standards

© Vision IAS

<table>
<tr>
<td>आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)</td>
<td>

- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)** का लक्ष्य एक निर्बाध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर **अंतर संचालनीयता** को सक्षम करेगा। इस प्रकार, यह डिजिटल हाईवे के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतराल को समाप्त करेगा।
- वर्तमान में, ABDM को **छह संघ राज्यक्षेत्रों में पायलट मोड** में लागू किया जा रहा है।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - इस मिशन में **प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य आई.डी.** (पहचान का प्रमाण) आवंटित की जाएगी, जिसका उपयोग उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में किया जाएगा। नागरिकों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को उनकी संबंधित स्वास्थ्य आईडी से जोड़ा जाएगा। इन रिकॉर्ड्स को मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से देखा जा सकता है।
  - यह मिशन नागरिकों की सहमति से उनके **अधोमुखी स्वास्थ्य रिकॉर्ड** (LHR)[23] तक पहुंच तथा उनके आदान-प्रदान को सक्षम करेगा।
  - **LHR,** किसी भी देखभाल वितरण संस्था में एक या अधिक बार जाने पर सृजित रोगी की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का **इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड** है।
  - **हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR)** और **हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्रीज (HFR):** ये आधुनिक एवं पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के भंडार के रूप में कार्य करती हैं।

- ABDM सैंडबॉक्स, प्रौद्योगिकी और उत्पाद परीक्षण के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करेगा।

</td>
</tr>
<tr>
<td>आरोग्य धारा 2.0 (Arogya Dhara 2.0)</td>
<td>

- इस कार्यक्रम को **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण** (National Health Authority: NHA) द्वारा आयोजित किया गया था। इसका आयोजन **आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)** के अंतर्गत **2 करोड़ लोगों को चिकित्सालय में उपचार उपलब्ध कराये जाने के उपलक्ष्य में** किया गया था।
- इसका **उद्देश्य-** लोगों के बीच **AB PM-JAY तक पहुंच को बढ़ावा देना तथा इसके बारे में और अधिक जागरूकता का प्रसार करना है।**

NHA द्वारा निम्नलिखित तीन पहले भी आरंभ की गई हैं:

- **आयुष्मान मित्र:** इसका उद्देश्य, इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सत्यापन हेतु प्रेरित करने व आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने में मदद करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करना है।
- **अधिकार पत्र:** यह AB PM-JAY के लाभार्थियों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला एक वेलकम नोट (स्वागत पत्र) है।
- **अभिनंदन पत्र:** यह लाभार्थी को प्रदान किया जाने वाला एक धन्यवाद पत्र है।

</td>
</tr>
</table>

VISION

16.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

16.2.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM)#

सुर्ख़ियों में क्यों?

पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अधिकतम अनुदान प्राप्त हुआ है।

स्मरणीय तथ्य	प्रकार	**केंद्र प्रायोजित योजना।**
	उप-योजनाएं	राष्ट्रीय **ग्रामीण** स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय **शहरी** स्वास्थ्य मिशन।

[23] Longitudinal Health Records

	राज्यों को वित्त पोषण	**राज्यों के कार्यक्रम कार्यान्वयन प्लान (PIP)** के आधार पर।
	ई-विन	NHM के तहत इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (e-VIN) लागू किया जा रहा है।

उद्देश्य		
स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच	**स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं तक पहुंच**	**पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा देना**
• एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करना। • बाल मृत्यु-दर और मातृ मृत्यु-दर में कमी करना। • संचारी तथा गैर-संचारी रोगों (जिनमें स्थानीय स्तर के स्थानिक रोग भी शामिल हैं) की रोकथाम एवं नियंत्रण। • जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक एवं जनांकिकीय संतुलन स्थापित करना।	• भोजन और पोषण, स्वच्छता एवं आरोग्य हेतु सार्वजनिक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना; महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को संबोधित करने वाली सेवाओं पर विशेष बल देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच स्थापित करना तथा सार्वभौमिक टीकाकरण।	• स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं को पुनर्जीवित करना तथा आयुष (AYUSH) को मुख्यधारा में लाना। • स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहन प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं	
NHM के तहत पहलें	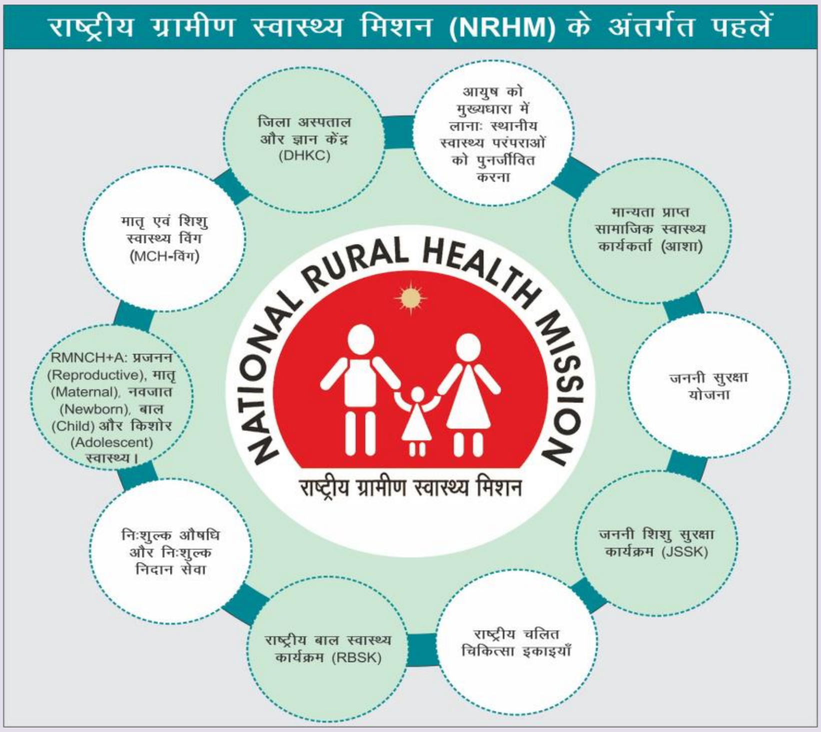
इसके अंतर्गत 2 उप-योजनाएं शामिल हैं	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM); और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)।

वित्तपोषण	**वित्त वर्ष 2015-16 से, सभी राज्यों के लिए वित्त पोषण अनुपात 60-40 है,** वहीं पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पर्वतीय राज्यों, जैसे- जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए वित्त पोषण अनुपात 90:10 है।
राज्यों को प्रोत्साहन	जो राज्य मुख्य परिणामों/आउटपुट, यथा- IMR, MMR, टीकाकरण, गुणवत्ता प्रमाणित स्वास्थ्य सुविधाओं आदि में उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित करते हैं, उन्हें **प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त वित्त प्रदान किया जाता है।**
e-VIN ई-विन	eVIN का उद्देश्य संपूर्ण देश में कई स्थानों पर रखे गए टीकों के स्टॉक और भंडारण संबंधी तापमान की वास्तविक समय आधारित निगरानी को सक्षम करना है। साथ ही, देश के सभी **शीत श्रृंखला बिंदुओं पर वैक्सीन के भंडार तथा बाजार में उपलब्धता और भंडारण संबंधी तापमान पर वास्तविक समय की जानकारी देना है।**

16.2.2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission)#

स्मरणीय तथ्य	प्रकार	केंद्र प्रायोजित योजना।
	विशेष ध्यान	सशक्त कार्य समूह (EAG) के साथ पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर विशेष ध्यान
	मिशन का मुख्य बल	एक संपूर्ण कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की स्थापना करना
	कवरेज	ऐसे शहर और कस्बे जिनकी जनसंख्या 50 हजार से कम है, उनको NRHM के तहत कवर किया जाएगा

उद्देश्य		
पहुंच और वहनीयता	विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली	अन्य स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाएं
विशेष रूप से जनसंख्या के **निर्धन और सुभेद्य वर्गों** को सुलभ, सस्ती, जवाबदेह और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।	सभी स्तरों पर **अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण (inter-sectoral convergence)** के साथ एक संपूर्ण कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की स्थापना करना।	जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य निर्धारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं	
पृष्ठभूमि	इसे वर्ष 2005 में EAG {सशक्त कार्य समूह (Empowered Action Group) जिसमें आठ राज्यों के समूह जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं} वाले राज्यों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर विशेष ध्यान देने के लिए आरंभ किया गया था।
फोकस	इस मिशन के तहत मुख्य ध्यान जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य के निर्धारकों की विस्तृत श्रृंखला पर है। साथ ही कार्रवाई सुनिश्चित के लिए एक पूर्णरूपेण कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाली और सभी स्तरों पर अंतर-क्षेत्रीय समाभिरूपता (Inter-Sector Convergence) वाली विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली स्थापित करने पर भी ध्यान दिया गया है।
NRHM के तहत विविध पहल	**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई पहलें:** मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा कार्यकर्ता) जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ

	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) माँ और शिशु स्वास्थ्य खंड (MCH wings) RMNCH+A - प्रजननशील मातृ नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य (Reproductive Maternal Newborn Child and Adolescent Health) नि:शुल्क दवाएं और मुफ्त नैदानिक सेवा जिला अस्पताल और ज्ञान केंद्र (District Hospital and Knowledge Center: DHKC)। स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुनर्जीवित करके **आयुष को मुख्यधारा में लाना।** जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)
वित्त पोषण अनुपात पैटर्न	वित्त वर्ष 2015-16 से सभी राज्यों के लिए वित्त पोषण अनुपात 60-40 है, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पर्वतीय राज्यों जैसे कि जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए वित्त पोषण अनुपात 90:10 है।

16.2.3. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission)#

स्मरणीय तथ्य	**प्रकार**	**केंद्र प्रायोजित योजना**
	कवरेज	सभी राज्यों की राजधानियां, जिला मुख्यालय 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले शहर और कस्बे।
	बाह्य सहायता	कुछ संकेतकों से संबंधित प्रगति के आधार पर एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।
	जिला स्वास्थ्य कार्य योजना	सामाजिक प्रक्रिया के लिए इसमें महिला आरोग्य समिति और आशा/लिंक कार्यकर्ता शामिल है।

उद्देश्य	
पहुंच	**वहनीयता**
आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर शहरी आबादी (विशेष रूप से शहरी गरीब और झुग्गी-झोपड़ी में निवास करने वाले लोगों) की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना।	लोगों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर किये जाने वाले **व्यय के अतिभार (out of pocket expenses)** को कम करना।

प्रमुख विशेषताएं	
विकेंद्रीकृत प्रणाली	आवश्यकता आधारित शहर विशिष्ट **शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली** प्रदान करता है। इसके तहत समुदाय, स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी हेतु भी प्रावधान किया गया है।
सेवा वितरण बुनियादी ढांचा	सेवा वितरण बुनियादी ढांचे के लिए यह शहरी-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (U-CHC) तथा रेफरल हॉस्पिटल और आउटरीच सेवाएं प्रदान करता है।
वित्त पोषण अनुपात	**वित्त वर्ष 2015-16** से, सभी राज्यों के लिए वित्त पोषण अनुपात 60-40 है, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पर्वतीय राज्यों, जैसे-जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए वित्त पोषण 90:10 है।

© Vision IAS

16.2.4. आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat)#

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक नए अध्ययन के अनुसार, अक्टूबर 2019 से सितंबर 2021 तक महिलाओं ने आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) सेवाओं का 46.7% उपयोग किया।

स्मरणीय तथ्य	**प्रकार**	**केंद्र प्रायोजित योजना**
	लक्ष्य	प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली (रोकथाम व देखभाल को कवर करते हुए) को समग्र रूप से संबोधित करना।
	2 घटक	स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs); और प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)
	लाभ	प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का कवर, देश भर में पोर्टेबल और लाभार्थी देश भर में किसी भी सार्वजनिक / निजी सूचीबद्ध अस्पताल से कैशलेस लाभ ले सकते हैं।

उद्देश्य	
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC)	सतत विकास लक्ष्य (SDGs)
UHC के लक्ष्य को प्राप्त करना।	SDGs और इसकी अंतर्निहित प्रतिबद्धता को पूरा करना, जिसका उद्देश्य है कि "कोई भी पीछे ना छूटे।

प्रमुख विशेषताएं	
पृष्ठभूमि	इस फ्लैगशिप योजना को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की अनुशंसा पर आरंभ किया गया था।
दो अंतर-संबंधित घटक	
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए HWCs	• इसका उद्देश्य व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC)[24] प्रदान करना है। • इस घटक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। • यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और दोनों को कवर करता है • निःशुल्क आवश्यक दवाओं और नैदानिक सेवाओं सहित गैर-संचारी रोग।
प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) (द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए) {PM-JAY (For Secondary & Tertiary care)}	• इसे वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था तथा यह **विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना** है। • यह (PM-JAY) एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है। • इसे पूर्व में **राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS)** के नाम से जाना जाता था। • इस योजना के अंतर्गत क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के परिवारों को **सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के वंचन (या बहिष्करण) और व्यावसायिक मानदंडों के आधार** पर शामिल किया गया है। • इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2008 में आरंभ की गई तत्कालीन मौजूदा **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) का विलय** कर दिया गया था। इसलिए, इसके तहत **उन परिवारों को भी शामिल किया गया है**

[24] Comprehensive Primary Health Care

	जो **RSBY के अंतर्गत** शामिल थे, **किंतु SECC 2011 डेटाबेस में मौजूद नहीं** हैं। • यह **पूर्णतः सरकार द्वारा वित्तपोषित** है और इसकी कार्यान्वयन लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य साझा किया जाता है। • **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) इस योजना का कार्यान्वयन निकाय** है।

16.2.5. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-चरण 2	**इसके दो घटक हैं:** • **केंद्रीय क्षेत्रक (CS) घटक-** वित्त पोषण और निष्पादन दोनों केंद्र द्वारा वहन किया जाता है। • केंद्रीय अस्पतालों को कोविड प्रबंधन के लिए **बिस्तरों के पुनर्प्रयोजन** हेतु सहायता प्रदान करना। • **राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को जीनोम अनुक्रमण मशीनें** आदि उपलब्ध कराकर सुदृढ़ किया जाएगा। • देश के सभी जिला अस्पतालों में **अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली** के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करना। • प्रति दिन 5 लाख टेली-परामर्श (वर्तमान में 50,000 टेली-परामर्श प्रति दिन) प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय ई-संजीवनी टेली-परामर्श संरचना मंच के विस्तार को समर्थन** प्रदान करना। • सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, जिसमें कोविड-19 पोर्टल को सुदृढ़ करना शामिल है आदि। • **केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) घटक**- संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों द्वारा वित्त पोषित परंतु राज्यों द्वारा निष्पादित। • सभी 736 जिलों में **बाल चिकित्सा इकाइयां** स्थापित करना और प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में **बाल चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित करना। • मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और उप-स्वास्थ्य केंद्रों (SHCs) में अतिरिक्त बिस्तर जोड़ने के लिए पूर्व-निर्मित संरचनाएं निर्मित करना। • **द्रवीकृत चिकित्सकीय ऑक्सीजन भंडार टैंक** स्थापित करना, **एम्बुलेंस** के मौजूदा बेड़े में वृद्धि करना, कोविड-19 प्रबंधन के लिए **आवश्यक दवाओं** हेतु जिलों को सहायता प्रदान करना आदि। • प्रभावी कोविड प्रबंधन के लिए **स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल इंटर्न एवं अंतिम वर्ष के छात्रों** को शामिल करना।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम National AIDS Control Programme: NACP)	• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्यक्रम के चरण-V को मंजूरी देकर NACP को पांच वर्ष (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
	• NACP को वर्ष 1992 में शुरू किया गया था और तब से चार चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।
	• NACP चरण-V वर्ष 2030 तक एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में एच.आई.वी/एड्स महामारी को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के SDG 3.3 की प्राप्ति की दिशा में भारत की एड्स प्रतिक्रिया को सक्षम करेगा।
	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
	• इसे भारत में एच.आई.वी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है।
	• समय के साथ, ध्यान जागरूकता बढ़ाने से लेकर व्यवहार परिवर्तन करने पर स्थानांतरित हो गया है। यह राष्ट्रीय प्रतिक्रिया से अधिक विकेंद्रीकृत प्रतिक्रिया के लिए और गैर-सरकारी संगठनों और PLHIV के नेटवर्क (HIV के साथ रहने वाले लोग) की बढ़ती भागीदारी के लिए है।
	• NACP को एक अत्यंत सफल कार्यक्रम के रूप में माना जाता है, जैसा तथ्यों द्वारा रेखांकित है:
	  ○ भारत में वार्षिक नए HIV संक्रमणों में 48% की गिरावट आई है (2010 का आधारभूत वर्ष)।
	  ○ वार्षिक एड्स से संबंधित मौतों में 82% (2010 का आधारभूत वर्ष) की गिरावट आई है।
	• भारत में HIV का प्रसार कम हो गया गया है और यह मात्र 0.22% वयस्कों में है।

VISION IAS

17. भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries)

17.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme)

17.1.1. ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile & Auto Components}

स्मरणीय तथ्य	क्यों?	उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के **विनिर्माण में देश की क्षमता को बढ़ाने** तथा **वैश्विक ऑटोमोटिव व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि करने** के लिए।
	अवधि	इसका आधार वर्ष (पात्र बिक्री की गणना के लिए) 2019 है। इसकी अवधि वर्ष 2022-23 से पांच वर्ष तक होगी।
	कवरेज	इसमें **मौजूदा** ऑटोमोटिव कंपनियां और नयी गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियां **दोनों** को कवर किया गया है।
	घटक	**चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन योजना और कम्पोनेंट चैंपियन प्रोत्साहन योजना।**

प्रमुख विशेषताएं	
पृष्ठभूमि	• यह संभावना व्यक्त की गई है कि भारत वर्ष 2026 तक आकार/मात्रा के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार बन सकता है। • इसके अंतर्गत घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों के माध्यम से वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। भारत में प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के अतिरिक्त, यह स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना व विस्तार हेतु प्रोत्साहित करती है। • प्रोत्साहन संरचना, उद्योग को उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों की स्वदेशी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला हेतु, नए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
FAME-II के तहत पात्रता का प्रभाव	इस योजना के तहत **इलेक्ट्रिक वाहन (EV)** निर्माताओं को देय प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण-2 **(FAME/फेम-II योजना)** के तहत दिए गए **प्रोत्साहनों के अतिरिक्त/से स्वतंत्र** होगा।
दो घटक	
चैंपियन OEM (मूल उपकरण विनिर्माता) प्रोत्साहन योजना {Champion original equipment manufacturer (OEM) Incentive Scheme}	यह बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा चालित वाहनों पर लागू की गई है।
कंपोनेंट्स चैंपियन प्रोत्साहन योजना (Component Champion Incentive Scheme)	यह योजना सभी वाहनों के पूर्व-अनुमोदित उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी घटकों, दोपहिया, तिपहिया, यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों और सैन्य उपयोग के लिए प्रयुक्त वाहनों सहित ट्रैक्टरों के समूह पर भी लागू है।
महत्व	इस योजना से 42,500 करोड़ रुपये के नए निवेश, 2.3 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन में वृद्धि तथा 7.5 लाख से अधिक नौकरियों के रूप में अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा।

18. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry Of Housing And Urban Affairs)

18.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

18.1.1. स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0)#

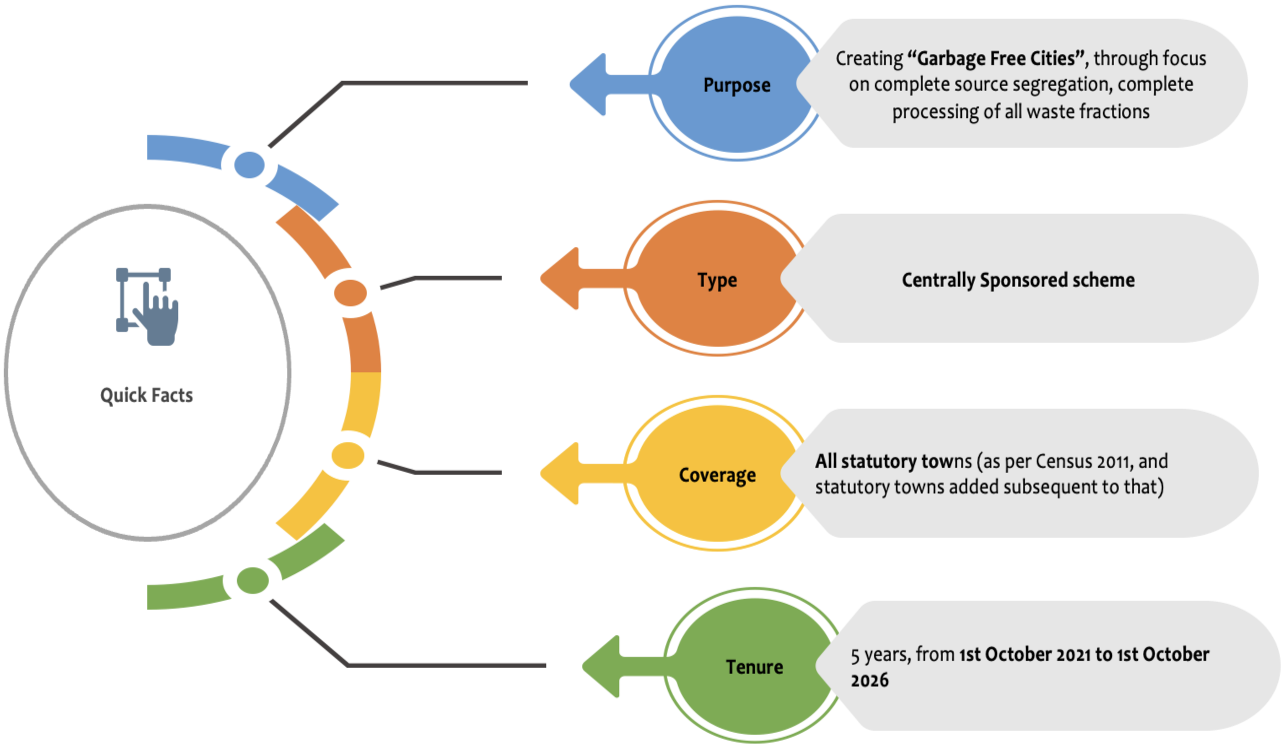

उद्देश्य		
संधारणीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना	**उपयोग किए गए जल की संधारणीय सफाई और उपचार करना**	**जागरूकता और क्षमता निर्माण करना**
• नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) के 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण के साथ सभी शहरों को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए **सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और सफाई को सुनिश्चित करना।** • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले **वायु प्रदूषण को कम करना।** • एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना।	• **एंड टू एंड समाधान के साथ समग्र स्वच्छता** (विसर्जन, रोकथाम, निकासी, परिवहन से लेकर शौचालयों जनित सभी अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान तक) • जल निकायों में प्रवाहित किए जाने से पहले **उपयोग किए गए जल का उपचार करना,** और उपचारित जल का अधिकतम पुन: उपयोग सुनिश्चित करना। • सीवर और सेप्टिक टैंक में **मानव के जोखिमपूर्ण प्रवेश पर प्रतिबंध,** और सीवर तथा सेप्टिक टैंक सफाई कार्यों के मशीनीकरण के माध्यम से **हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना।**	• **"जन आंदोलन"** और 'स्वच्छ' व्यवहार को संस्थागत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों द्वारा नागरिकों में जागरूकता का निर्माण करना। • इस मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों को **प्रभावी ढंग से लागू** करने के लिए संस्थागत क्षमता का सृजन करना।

© Vision IAS

प्रमुख विशेषताएं	
पृष्ठभूमि	• भारत में स्वच्छता परिदृश्य को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) को **2 अक्टूबर 2014 को पांच वर्ष (2014-2019) की अवधि के लिए** लॉन्च किया गया था। भारत ने खुले में शौच मुक्त (ODF) भारत विजन को प्राप्त कर लिया है। • 2 अक्टूबर 2021 तक, तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से 3,309 शहरों को ODF +; 960 शहरों को ODF ++ प्रमाणित कर दिया गया है, और 9 शहर जल अधिशेष (Water+) के रूप में प्रमाणित कर दिए गए हैं। • अब शेष कार्यों यथा **'स्वच्छ' व्यवहार को संस्थागत और इसे संधारणीय बनाने संबंधी लक्ष्य को पूरा करने** हेतु मिशन का विस्तार किया जा रहा है।
मिशन का क्रियान्वयन	**राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।** यह समझौता ज्ञापन "कचरा मुक्त शहर" बनाने के लिए MoHUA, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश और ULB के सामूहिक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। **"कचरा मुक्त शहर" बनाने पर ध्यान देना**
परिकल्पित परिणाम/लाभ	• सभी सांविधिक **नगर कम से कम 3-स्टार रेटिंग** (कचरा मुक्त हेतु) प्रमाणित हो जाएंगे। • सभी सांविधिक नगर **कम से कम ODF+** प्रमाणित हो जाएंगे। • 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहर **कम से कम ODF++** प्रमाणित हो जाएंगे। • 1 लाख से कम आबादी वाले सभी सांविधिक नगर में से 50% **जल अधिशेष (Water+)** प्रमाणित हो जाएंगे।
वित्तीय अंशदान	परियोजना निधि का केंद्र:राज्य वितरण इस प्रकार होगा: • पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों में ULBs के लिए 90% : 10% • विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% • विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 80%: 20% • 10 लाख से अधिक आबादी वाले ULBs के लिए 25%:75% • 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले ULBs के लिए 33%: 67% (दोनों शामिल), • 1 लाख से कम आबादी वाले ULBs के लिए 50%:50%
शौचालय (IHHL या व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय)	**शहरी भारत के प्रत्येक नागरिक के पास सुरक्षित स्वच्छ बुनियादी ढांचे तक पहुंच के साथ-साथ मलयुक्त अपशिष्ट के लिए सुरक्षित कंटेनमेंट सुविधाओं तक पहुंच** सुनिश्चित करने के लिए सेचुरेशन दृष्टिकोण को अपनाया गया है।
मार्गदर्शक सिद्धांत	
सहभागिता	• **जन आंदोलन:** 'स्वच्छता' की केन्द्रीय विषय वस्तु समानता और समावेश। • **प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा:** आकांक्षी जिलों के शहरी स्थानीय निकायों पर विशेष ध्यान देने के साथ शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाना।
स्वच्छता मानक ODF+ एवं ODF++ और Water+	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने कई मानकीकृत प्रोटोकॉल लागू किए हैं जिनमें SBM-U के तहत शहरी भारत में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में मानकीकृत परिणाम सुनिश्चित करने के लिए ODF, ODF+, ODF++, Water+ और कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल शामिल हैं।

	नोट: • **खुले में शौच मुक्त (ODF):** एक शहर/वार्ड को ओ.डी.एफ. शहर/वार्ड के रूप में अधिसूचित किया जाता है, यदि दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है। • **ओ.डी. एफ. प्लस (ODF+):** जल, रखरखाव और स्वच्छता से युक्त शौचालय। • **ओ.डी.एफ. प्लस प्लस (ODF++):** मलयुक्त अपशिष्ट और सेप्टेज प्रबंधन से युक्त शौचालय। • **वाटर प्लस (Water+):** यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अनुपचारित अपशिष्ट जल (प्रयुक्त), खुले पर्यावरण या जल निकायों में अपवाहित नहीं किया जाता है। ○ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के अनुसार **जिन शहरों को ओ.डी.एफ. प्रोटोकॉल के आधार पर कम से कम एक बार ओ.डी.एफ. प्रमाणित किया गया था, वे स्वयं को SBM ODF+ और SBM ODF++ घोषित करने के पात्र हैं।**
क्षमता निर्माण	संधारणीय परिणामों के लिए क्षमता निर्माण और ULBs को मिशन के साथ संरेखित करने के लिए मिशन को निम्नलिखित माध्यम एवं केंद्रित तरीके से संचालित किया जाएगा: i. तकनीकी के साथ-साथ शासन के पहलुओं में संस्थागत और व्यक्तिगत क्षमताओं के निर्माण के लिए **ई-लर्निंग और अन्य प्रमाणित प्लेटफार्मों** को मजबूत करना; ii. स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में कौशल विकास पर ध्यान देना।
भागीदारी	जमीनी/लक्षित स्तर पर मिशन के परिणामों में तेजी लाने के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) और प्रयुक्त जल प्रबंधन क्षेत्रों में संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सभी **विकासात्मक भागीदारों, ज्ञान भागीदारों, क्षेत्रक भागीदारों तथा उद्योग** की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उनके समर्थन एवं सहायता का लाभ उठाया जा सके।
डिजिटल सक्षमता	• **संपत्तियों की वास्तविक समय की निगरानी** को सक्षम करने, उनके पूर्ण क्षमता उपयोग को सुनिश्चित करने और **मिशन को डिजिटल एवं पेपरलेस बनाने** के लिए **मजबूत सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित गवर्नेंस** पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए (जो SBM-शहरी के अधीन पहले से ही सम्मिलित एक प्रमुख विशेषता रही है) जारी रखा जाएगा। • परिचालन चरण में दक्षता मानकों पर वास्तविक समय आधारित डेटा प्रदान करने हेतु **सभी परियोजनाओं और सेवाओं के लिए डिजिटल समाधान को अपनाना अनिवार्य होगा।**
सामाजिक उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी संवर्धन, नवाचार और प्रोत्साहन	यह मिशन, छोटे पैमाने वाले और निजी उद्यमियों एवं स्टार्ट-अप द्वारा स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में **स्थानीय रूप से नवोन्मेषी, लागत प्रभावी समाधान तथा व्यवसाय मॉडल के अंगीकरण को प्रोत्साहित करेगा।** इसके तहत अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी चुनौतियों में निवेश के माध्यम से तथा सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर समावेशन की प्रक्रिया को सरल बनाकर किया जाएगा। इससे **"आत्मनिर्भर भारत" और "मेक इन इंडिया"** के सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
नियोजन पर ध्यान केन्द्रित करना	**कमियों के विश्लेषण के आधार पर** ULBs के लिए अलग-अलग **कार्य योजनाएं तैयार** और प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
कार्यात्मक परिणामों और उनकी निगरानी पर ध्यान देना	• **परिणाम-आधारित निधि निर्गमन (Outcome - based fund releases),** इस मिशन की एक प्रमुख विशेषता होगी, जहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और ULBs द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों/परिणामों की प्राप्ति पर केंद्रीय अंशदान की पहली और दूसरी किस्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की जाएगी। • **SBM-U MIS पोर्टल जमीनी स्तर के डेटा को एकत्रित करेगा, ताकि** यह **निगरानी की जा सके** कि मार्गदर्शक सिद्धांतों को व्यवहार में किस हद तक आगे बढ़ाया जा रहा है।
शहरी-ग्रामीण अभिसरण	**आपस में निकट ULBs और ग्रामीण क्षेत्रों के समूहों के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को क्लस्टर आधार** पर संचालित किया जाएगा, ताकि साझा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके।

© Vision IAS

सक्षमकारी परिवेश का सृजन करना	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और ULBs को अपने निविदा सम्बन्धी दस्तावेज तैयार करने तथा सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से राज्यों/ULBs द्वारा खरीद प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने आदि के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFPs) मॉडल का सृजन करना।
परिणामों को प्राप्त करने के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान (बद्ध और अबद्ध दोनों) का लाभ उठाना	• 15वें वित्त आयोग के तहत, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सेवा स्तरीय मापदंड प्राप्त करने के लिए **10 लाख एवं उससे अधिक आबादी वाले शहरों को 5 वर्ष की अवधि में ₹13,029 करोड़ का चैलेंज फंड प्रदान किया गया है।** • 10 लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹82,859 करोड़ के कुल अनुदान में से 40% अबद्ध अनुदान (Untied Grants) के रूप में, जबकि स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए 60% बद्ध अनुदान (Tied Grants) के रूप में प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।
राष्ट्रीय मिशनों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना	**उदाहरण के लिए:** कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से धूल के शमन की प्रक्रिया को **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)** के साथ संरेखित किया जाएगा; निजी क्षेत्रक की भागीदारी संबंधी रणनीति को **स्टार्ट-अप इंडिया और मेक इन इंडिया** के आधिदेश के अनुरूप प्रोत्साहित किया जाएगा; इस मिशन के सभी परिणामों की निगरानी के लिए वस्तुतः इस मिशन को **डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) और स्मार्ट सिटीज मिशन, नमामि गंगे** आदि के अधिदेश के साथ संरेखित किया जाएगा।
संबंधित पहल	
कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल (जीएफसी)-टूलकिट 2022 {Star Rating Protocol of Garbage Free Cities (GFC)-Toolkit 2022}	• MoHUA द्वारा लॉन्च की गई इस टूलकिट को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) 2.0 की प्राथमिकताओं के साथ संरेखित किया गया है, जिसमें डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण, अपशिष्ट प्रसंस्करण और डंपसाइट के उपचार के लिए उच्च भारांश आवंटित किए गए हैं। • SBM-U 2.0 और 15वें वित्त आयोग दोनों से सरकारी निधियां प्राप्त करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कम से कम 1-स्टार प्रमाणन प्राप्त करना एक आवश्यक शर्त है। • **कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग** ○ स्टार-रेटिंग पहल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 25 प्रमुख मापदंडों तथा 7-स्टार रेटिंग प्रणाली के आधार पर शहरों को रेटिंग प्रदान करेगा। इसमें डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण, थोक अपशिष्ट सृजनकर्ता संबंधी अनुपालन, स्रोत पर पृथक्करण, **सफाई, कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, वैज्ञानिक लैंड फिलिंग, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन प्रबंधन**, डंप उपचारण और नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली आदि शामिल होंगे। ○ एक निश्चित स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए शहरों को **स्व-आकलन और स्व-सत्यापन** की प्रक्रिया को अपनाना होगा। साथ ही, **नागरिकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।**
स्वच्छ सर्वेक्षण	• **स्वच्छ सर्वेक्षण वस्तुतः संपूर्ण भारत के शहरों और कस्बों में साफ-सफाई व समग्र स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है।** इसे स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में आरंभ किया गया था। • यह **दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण** भी है। • इस सर्वेक्षण का उद्देश्य अपशिष्ट मुक्त और खुले में शौच मुक्त शहरों की दिशा में की गई पहलों के संदर्भ में **वृहद पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना** और संधारणीयता सुनिश्चित करना; **तीसरे पक्ष के**

	प्रमाणीकरण द्वारा मान्य विश्वसनीय परिणाम प्रदान करना; मौजूदा प्रणालियों को ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से संस्थागत बनाना और समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता सृजित करना है। • **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)** इस सर्वेक्षण की कार्यान्वयन भागीदार है।

18.1.2. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) {Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation – AMRUT 2.0}#

स्मरणीय तथ्य	**उद्देश्य**	**शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाना** और सभी घरों में कार्यात्मक जल नल कनेक्शन प्रदान करना।
	प्रकार	**केंद्र प्रायोजित योजना।**
	अवधि	वर्ष **2025-26** तक।
	कार्यान्वयन	शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा इस प्रोजेक्ट की **योजना बनाई जाएगी तथा निविदा, आवंटन और कार्यान्वयन** किया जाएगा।

उद्देश्य
जल सुरक्षित शहर
जल सुरक्षित शहर का निर्माण करना, **सभी वैधानिक शहरों में जल की सार्वभौमिक कवरेज तथा 500 अमृत शहरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन का 100% कवरेज** प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं	
पृष्ठभूमि	AMRUT को वर्ष 2015 में 500 शहरों में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य **500 चयनित AMRUT शहरों में जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करना और सीवरेज कवरेज में व्यापक सुधार करना है।**
लक्ष्य	• सभी 4,378 वैधानिक शहरों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके **जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज** को सुनिश्चित करना। • साथ ही, इसके तहत 500 अमृत शहरों में घरेलू सीवेज/सेप्टेज प्रबंधन की 100% कवरेज सुनिश्चित करना।
जल की सर्कुलर इकोनॉमी का लाभ उठाना	**जल संसाधन संरक्षण** को सुनिश्चित करना, **जल निकायों और कुओं का पुनरुद्धार करना**, उपचारित किए गए **जल का पुन: उपयोग/पुनर्चक्रण करना** और बड़े पैमाने पर समुदाय को शामिल करके **वर्षा जल संचयन (rainwater harvesting)** हेतु प्रयास करना।
जन आंदोलन (समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना)	इस मिशन की प्रगति हेतु **महिलाओं और युवाओं**, दोनों की संयुक्त भागीदारी का लाभ उठाया जाएगा। जल मांग प्रबंधन तथा जल से संबंधित बुनियादी ढांचे के प्रबंधन और गुणवत्ता संबंधी परीक्षण में **महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** को शामिल किया जाएगा।
परिणाम आधारित वित्तपोषण	इस मिशन अवधि के दौरान शहरों द्वारा, **प्राप्त किए जाने वाले लक्षित परिणामों के संबंध में कार्य योजना** प्रस्तुत की जाएगी।

© Vision IAS

सुधार संबंधी एजेंडा	यह ULBs की वित्तीय स्थिरता और जल संबंधी सुरक्षा पर केंद्रित है: • जल की 20 प्रतिशत मांग को **पुनःचक्रित जल** के माध्यम से पूरा करना, • **गैर-राजस्व जल को** 20% तक **कम करना** और प्रमुख जल संबंधी सुधार के तहत जल निकायों का कायाकल्प/ पुनरुद्धार करना, • अन्य महत्वपूर्ण सुधारों के अंतर्गत **संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क,** और **ULBs की साख संबंधी योग्यता (credit worthiness) में बढ़ोतरी करना** तथा शहरी नियोजन में सुधार करना आदि को शामिल किया गया है।
क्षमता निर्माण	**ठेकेदारों, प्लंबर, प्लांट परिचालकों, छात्रों, महिलाओं और नागरिकों सहित सभी हितधारकों के लिए** क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मिशन के परिणामों के आकलन के लिए तकनीकी संस्थानों को शामिल किया जाएगा। छात्रों को **गिग इकोनॉमी मॉडल** के माध्यम से परियोजनाओं और परिणामों के सर्वेक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।
परियोजनाएं	शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में प्रस्तावित परियोजनाओं की **विस्तृत शहर जल संतुलन योजना (CWBPs) और शहर जल कार्य योजना (CWAPs)** प्रस्तुत की जाएगी। • **CWBPs:** इसके तहत जल स्रोतों, जल उपचार और जल वितरण करने वाली अवसंरचना, क्षेत्र-वार जल कवरेज, गैर राजस्व जल (NRW) की स्थिति और मलजल उपचार संयंत्र (STP) सहित सीवरेज नेटवर्क आदि **जल स्रोतों का विवरण** शामिल होगा। • **CWAPs:** इसमें सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन; हरित स्थानों और पार्कों सहित जल निकायों के कायाकल्प सहित जल आपूर्ति संबंधी **प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संबंध में ULBs द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की सूची शामिल होगी।**
प्रौद्योगिकी उप-मिशन	प्रौद्योगिकी उप-मिशन वस्तुतः **स्टार्ट-अप के विचारों और निजी उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा,** और विशेषज्ञ समिति की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें पायलट परियोजनाओं के रूप में संचालित करेगा। साथ ही यह उप-मिशन, इनोवेटिव लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स को भी प्रोत्साहित करेगा, जिन्हें आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाएगा।
सूचना, शिक्षा और संचार (IEC)	**व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण** सहित IEC की परिकल्पना वस्तुतः जल संरक्षण के संबंध में आम जन को जागरूक बनाने और जनता के बीच जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में की गई है।
पेय जल सर्वेक्षण	शहरों में पेयजल सर्वेक्षण का प्रस्ताव एक चैलेंज प्रोसेस के रूप में किया गया है। इसका उद्देश्य जल की आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, उपयोग किए गए जल के पुन: उपयोग तथा पुनर्चक्रण की सीमा एवं शहर में जलीय निकायों के संरक्षण से सम्बंधित गुणवत्ता, मात्रा और कवरेज के संबंध में सेवा स्तरीय मापदंडों के अनुपालन का आकलन करना है। पेयजल सर्वेक्षण शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सृजित करेगा और एक निगरानी साधन एवं मिशन को बढ़ावा देने के रूप में कार्य करेगा।
परिणामों का साक्ष्य आधारित मूल्यांकन	यह कार्य ऑनलाइन निगरानी मंच के उपयोग के साथ संयुक्त रूप से गिग इकोनॉमी (जिससे सामुदायिक भागीदारी को संभव बनाया जा सकेगा) के माध्यम से नागरिकों की प्रतिपुष्टि के साथ किया जाएगा।
सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाएं	**मिलियन प्लस शहरों हेतु** PPP परियोजनाओं को **अनिवार्य कर दिया गया है** और **शहर के स्तर पर कुल वित्तीय आवंटन का कम से कम 10% PPP परियोजनाओं के लिए** निर्धारित करना अनिवार्य होगा।
व्यापक कवरेज	परियोजनाओं को तैयार करते समय, **अनौपचारिक बस्तियों और निम्न-आय वर्ग वाले परिवारों पर विधिवत विचार** किया जाना चाहिए।
नल के द्वारा पेयजल सुविधा	अमृत शहरों में, नल के द्वारा चौबीसों घंटे पेयजल आपूर्ति सुविधा हेतु परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। ऐसी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण को सुधार संबंधी प्रोत्साहन के रूप में स्वीकार्य किया जायेगा।
वित्तपोषण प्रतिरूप	परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण, केंद्र, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और ULBs द्वारा साझा किया जाएगा। ULBs के विभिन्न वर्गों के लिए केंद्रीय अंशदान निम्नानुसार होगा:

	<table><tr><th>ULBs</th><th>Central share</th></tr><tr><td>Union Territories</td><td>100% project funds by Centre</td></tr><tr><td>North eastern States and Himalayan States</td><td>90% of the project funds by Centre</td></tr><tr><td>With less than one lakh population</td><td>50% of the project funds by Centre</td></tr><tr><td>With population one lakh to ten lakh (both included)</td><td>1/3rd of the project funds by Centre</td></tr><tr><td>With population more than ten lakh</td><td>25% of the project funds by Centre (except for projects taken up under PPP mode)</td></tr></table>
समझौता ज्ञापन (MoU)	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और ULBs ने MoHUA के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) को स्वीकृति प्रदान की है।

18.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

18.2.1. प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY)*/#

सुर्ख़ियों में क्यों?

PMAY-शहरी के तहत अब तक 1.12 करोड़ आवास इकाइयों में से केवल 43% का ही निर्माण किया गया है।

स्मरणीय तथ्य	**प्रकार**	**केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्रीय क्षेत्रक योजना।**
	अवधि	वर्ष **2015 से वर्ष 2022** तक।
	लक्षित लाभार्थी	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIGs), मध्यम आय वर्ग (MIGs)। EWS के लिए वार्षिक आय की ऊपरी सीमा **3 लाख रुपये है और LIG के लिए 3 लाख से 6 लाख एवं MIG के लिए 6 लाख से 18 लाख रुपये है।**
	कवरेज	**सभी वैधानिक शहर**, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास के क्षेत्र/स्पेशल एरिया डेवलपमेंट/ औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

उद्देश्य
सभी पात्र परिवारों / लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराना
सभी पात्र परिवारों / लाभार्थियों की लगभग 1.12 करोड़ घरों की मांग को ध्यान में रखते हुए मकान उपलब्ध कराने हेतु राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों (UTs) और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) के माध्यम से **कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता** प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं	
पात्र नहीं हैं	देश के किसी भी हिस्से में **लाभार्थी के परिवार के पास या लाभार्थी के नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं** होना चाहिए।
प्रमुख चार स्तम्भ	• जहाँ EWS श्रेणी के लाभार्थी इस मिशन के उपर्युक्त चारों घटकों के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होंगे, वहीं LIG तथा MIG श्रेणी के लाभार्थी केवल मिशन के CLSS घटक के लिए ही पात्र होंगे। • हालांकि, इस मिशन के तहत, लाभार्थी केवल एक घटक के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। • जहाँ केवल **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)** घटक एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme: CSS) के रूप में कार्यान्वित की जाएगी, वहीं अन्य तीनों घटकों का कार्यान्वयन केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme: CSS) के रूप में किया जाएगा।

	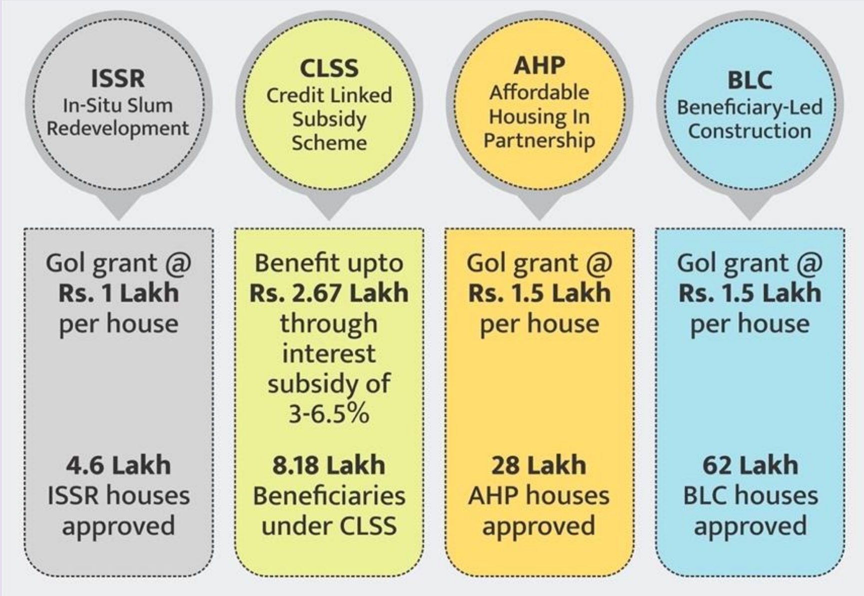
किफायती किराए के आवासीय परिसर (Affordable Rental Housing Complexes: ARHCs)	• ARHCs का प्रयोजन शहरी प्रवासियों / निर्धनों को सुगमतापूर्ण जीवनयापन के लिए उनके कार्यस्थल के निकट वहनीय किराये वाले आवासीय परिसरों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना है। • **अपेक्षित लाभार्थी:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / निम्न आय वर्ग (LIG) की श्रेणी में शामिल शहरी प्रवासी / निर्धन व्यक्ति। इसके अंतर्गत श्रमिक, औद्योगिक कामगार, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, छात्र आदि शामिल हैं। • निम्नलिखित दो मॉडलों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जाएगा: ○ वर्तमान में सरकार के वित्त से निर्मित रिक्त आवासीय परिसरों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा ARHCs में परिवर्तित किया जाएगा। ○ सार्वजनिक / निजी संस्थाओं द्वारा अपनी रिक्त भूमि पर ARHCs का निर्माण, संचालन और रखरखाव किया जाएगा।
प्रोत्साहन	• सरकार ने वहनीय आवास क्षेत्रक को **"अवसंरचना का दर्जा"** प्रदान किया है, इससे PMAY को बढ़ावा मिलेगा। • ARHCs में नवीन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र **सरकार किफायती आवास निधि (AHF) और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (PSL) के तहत रियायती परियोजना वित्त** तथा आयकर और GST में छूट एवं प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान प्रदान करेगी।
महिला सशक्तीकरण	• इस मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता से निर्मित / अर्जित घर वस्तुतः परिवार की महिला मुखिया (head) अथवा घर के पुरुष मुखिया व उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। • परिवार में किसी वयस्क महिला सदस्य के न होने की स्थिति में ही पुरुष सदस्य के नाम पर घर हो सकता है।
वित्तीय सहायता	• इसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता** प्रदान की जाएगी। • मलिन बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम (slum rehabilitation programme) के तहत प्रति घर औसतन एक लाख रुपये केंद्रीय अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाएँगे।
क्रियान्वयन	• अपने राज्यों में आवास की मांग को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम विकल्पों का चयन करने के लिए राज्यों को स्वतंत्रता दी गई है। • CLSS के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) तथा आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO) को केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है।

18.2.2. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission)#

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र ने इस मिशन की समय सीमा को वर्ष 2021 से बढ़ाकर वर्ष 2023 कर दिया है।

स्मरणीय तथ्य	प्रकार	**केंद्र प्रायोजित योजना।**
	वित्तपोषण अनुपात	**केंद्र सरकार पांच वर्षों में 48 हजार करोड़ रुपये देगी और इतनी ही राशि राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा प्रदान की जाएगीं।**
	स्मार्ट शहरों का चयन	यह **न्यायसंगत मानदंड पर आधारित है** जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की शहरी आबादी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सांविधिक कस्बों की संख्या को समान महत्व (50:50) प्रदान करता है।
	कार्यान्वयन	एक **विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)** द्वारा जिसके बोर्ड में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और ULBs के नामांकित व्यक्ति होंगे।

उद्देश्य		
मूल अवसंरचना के साथ शहरों को बढ़ावा देना	**संधारणीय और समावेशी विकास**	**सुगम जीवन**
इसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है, जो अपने नागरिकों को मूल अवसंरचना (core infrastructure) उपलब्ध करवाते हैं और उन्हें एक संतोषजनक व गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। साथ ही वे स्वच्छ व संधारणीय पर्यावरण का विकास करते हैं तथा 'स्मार्ट' समाधानों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं।	इसका उद्देश्य संधारणीय एवं समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ऐसे उदाहरण स्थापित करना भी है जिनका स्मार्ट सिटी के अंदर और बाहर, दोनों जगह अनुकरण किया जा सके ताकि देश के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में इसी प्रकार की स्मार्ट सिटीज़ के सृजन को उत्प्रेरित किया जा सके।	विशेष रूप से निर्धनों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए जीवन को सरल बनाना।

प्रमुख विशेषताएं	
कवरेज	इस मिशन में **100 शहरों को सम्मिलित** किए जाने का प्रस्ताव है और इसकी अवधि पांच वर्ष होगी (वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019- 20 तक)। हालांकि, शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन के बाद, प्राप्त अनुभवों एवं सीख को मिशन में शामिल करने के उद्देश्य से इस मिशन को जारी रखा जा सकता है।
मिशन की रणनीति और सिद्धांत	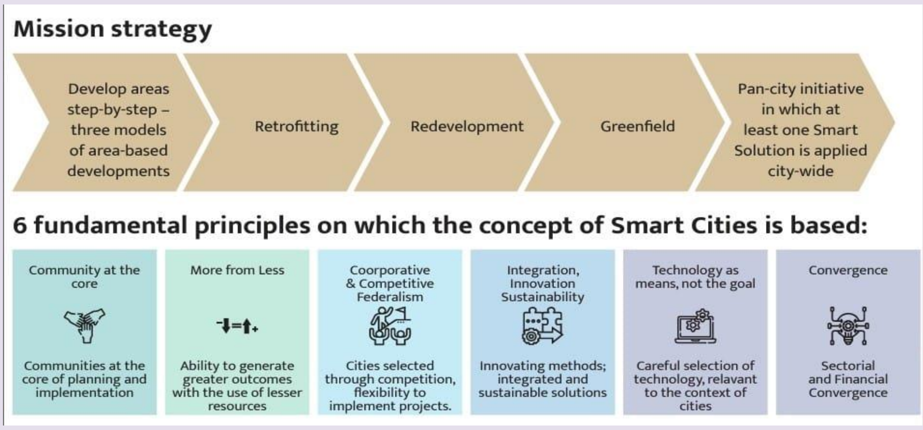
मूल अवसंरचनात्मक घटक	पर्याप्त जल आपूर्ति; सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता; कुशल शहरी मोबिलिटी और सार्वजनिक परिवहन; विशेष रूप से गरीबों के लिए किफायती आवास; मजबूत आई.टी. कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण; सुशासन, विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी; संधारणीय पर्यावरण; नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा (विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे और वृद्ध); स्वास्थ्य और शिक्षा।

 © Vision IAS

विशेष प्रयोजन साधन (Special Purpose Vehicle: SPV)	• SPV शहरी स्तर पर **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत निगमित एक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसमें राज्य / संघ राज्य क्षेत्र और ULBs के 50:50 इक्विटी शेयरधारिता वाले प्रमोटर शामिल होंगे। • भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत SPV को प्रदत्त निधियां, सशर्त अनुदान के रूप में होंगी और इन्हें एक पृथक अनुदान कोष में रखा जाएगा।
20:20 मॉडल/अवधारणा	केंद्र ने एक "100-डेज चैलेंज" की शुरुआत की है, जिसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 20 स्मार्ट शहरों को अंतिम 20 स्मार्ट शहरों के साथ **सिस्टर सिटी** के रूप में संबद्ध किया जाएगा। वे तकनीकी ज्ञान ग्रहण कर और वित्तीय अध्ययनों के माध्यम से ख़राब प्रदर्शन करने वाले शहरों की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे।
एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र (Integrated Control and Command Centres: ICCC)	**नागरिकों को कई ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने** में योगदान देने हेतु एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र (Integrated Control and Command Centres: ICCC) की स्थापना की जा रही है। इससे अपराध की रोकथाम, बेहतर निगरानी और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी।
स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत अन्य महत्वपूर्ण पहलें	
"ईज़ ऑफ़ लिविंग" सूचकांक	"ईज़ ऑफ़ लिविंग" सूचकांक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की एक पहल है। यह शहरों को वैश्विक और राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार उनमें रहने की सुगमता का आकलन करने में सहायता करता है तथा शहरों को शहरी नियोजन और प्रबंधन के 'परिणाम-आधारित' दृष्टिकोण को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करता है।
भारत शहरी वेधशाला (India Urban Observatory)	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में एक अत्याधुनिक भारत शहरी वेधशाला का परिचालन आरंभ किया गया है। यह वेधशाला शहरों, शिक्षाविदों, उद्योग जगत और सरकारों के लिए विश्लेषिकी के माध्यम से सूचनाओं को एकत्र करने हेतु शहरों से प्राप्त होने वाले डेटा (वास्तविक समय और अभिलेखीय दोनों ही स्रोतों से) के विभिन्न स्रोतों से जुड़ी होगी। यह साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान करेगी।

18.2.3 विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi)	• हाल ही में, **आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)** ने पीएम स्वनिधि के विस्तार (मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक) को मंजूरी प्रदान कर दी है। • **पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है। • इसे COVID-19 वैश्विक महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स (पथ विक्रेता) को अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने में मदद करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस हेतु उन्हें **10,000 रुपये तक का किफायती कार्यशील पूंजी ऋण भी प्रदान** किया जाएगा। • **50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों** को लाभान्वित करने का लक्ष्य। • **कार्यान्वयन भागीदार:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)। • **मुख्य विशेषताएं:** ○ 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। ○ समय पर/शीघ्र भुगतान किए जाने पर @ 7% की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ○ डिजिटल लेनदेन पर **मासिक कैश-बैक प्रोत्साहन** प्रदान किया जाएगा। ○ ऋण के नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रथम ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने पर उच्चतर ऋण पात्रता प्रदान की जाएगी। ○ डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करने के लिए मंत्रालय द्वारा **पीएम स्वनिधि लाभार्थियों** और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक **प्रोफाइलिंग** की भी शुरुआत की गई है। ○ प्रोफाइलिंग द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर, विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत पात्र लाभों का विस्तार उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए किया जाएगा।

19. जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jalshakti)

19.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

19.1.1. विविध योजनाएं (Miscellaneous Schemes)

कंटीन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल (CLAP)	• **CLAP** को **'गंगा उत्सव 2021-द रिवर फेस्टिवल' के उद्घाटन के दिन लॉन्च** किया गया है। • CLAP एक **संवादात्मक पोर्टल** है। यह भारत में नदियों के संदर्भ में **वार्ता और कार्रवाई आरंभ करने की दिशा में कार्य कर रहा है।** • **यह 'नमामि गंगे' की एक पहल है।** इसे **ट्री (TREE) क्रेज फाउंडेशन** द्वारा निर्मित और निष्पादित किया गया है। यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एवं समर्थित है। • यह पोर्टल बहस और चर्चा को सुविधाजनक बनाने तथा **पर्यावरण, जल, नदियों आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार व्यक्त** करने का भी एक मंच है। • इसके अतिरिक्त, **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को, हस्तलिखित लेखों की अधिकांश तस्वीरों को** एक घंटे में फेसबुक पर अपलोड किए जाने के लिए **गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।**

19.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

19.2.1. नमामि गंगे योजना (Namami Gange Yojana)*

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)[25] के द्वारा शहरी रिवरफ्रंट की योजना और विकास के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

स्मरणीय तथ्य	प्रकार	**केंद्र क्षेत्रक योजना।**
	कवरेज	इस प्रोजेक्ट के तहत **8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों**, 47 कस्बों और 12 नदियों को शामिल किया गया है।
	बाह्य सहायता	**विश्व बैंक** ऋण के माध्यम से इस प्रोजेक्ट का वित्तपोषण कर रहा है।
	कार्यान्वयन एजेंसी	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और इसके राज्य समकक्ष संगठनों, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक समूहों (SPMGs) द्वारा।

उद्देश्य		
गंगा नदी को व्यापक रूप से स्वच्छ बनाना।	**गांवों का विकास करना।**	**संरक्षण करना।**
• गंगा नदी को व्यापक रूप से **स्वच्छ और संरक्षित** करना। • गंगा नदी बेसिन का **जलसंभर प्रबंधन (वाटरशेड मैनेजमेंट)** करना; तथा व्यर्थ अपवाह (रनऑफ) और प्रदूषण को कम करना। • **नदी तट प्रबंधन संपादित करना।**	गंगा नदी की **मुख्य धारा के तट पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक और/या पर्यटन संबंधी महत्त्वपूर्ण गांवों का विकास** करना।	**जलीय जीवन का संरक्षण** करना। विभिन्न संलग्न मंत्रालयों के मध्य **समन्वय स्थापित** करना।

[25] National Mission for Clean Ganga

प्रमुख विशेषताएं	
मिशन के 8 स्तंभ	• **सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर** • **रिवरफ्रंट डेवलपमेंट** • **नदी-सतह की सफाई** • **जैव विविधता** • **वनीकरण** • **जन जागरूकता** • **औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी** • **गंगा ग्राम**
आरंभिक अवधि की गतिविधियां (तत्काल दिखाई देने वाले प्रभाव के लिए)	तैरते हुए ठोस अपशिष्ट की समस्या का समाधान करने के लिए **नदी की सतह की सफाई की जाएगी।** ग्रामीण सीवेज नालियों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण (ठोस और तरल) को रोकने के लिए **ग्रामीण स्वच्छता** एवं शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।
मध्यम अवधि की गतिविधियां: (5 वर्ष की समय सीमा में कार्यान्वित)	• गंगा के तट पर स्थित 118 शहरी आवासीय क्षेत्रों में **सीवरेज अवसंरचना के कवरेज** का विस्तार किया जाएगा। • जैव-उपचार विधि, अंत:स्थाने उपचार व नगरपालिका सीवेज और दूषित जल उपचार संयंत्रों का प्रयोग कर जल निकासी के **अपशिष्ट जल के उपचार** द्वारा प्रदूषण की रोकथाम की जाएगी। • **औद्योगिक प्रदूषण** का प्रबंधन किया जाएगा। • **जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण और जल की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी।**
दीर्घावधि की गतिविधियां (10 वर्षों के भीतर लागू किया जाना है)	पारिस्थितिक-प्रवाह का निर्धारण, जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और सतही सिंचाई की दक्षता में वृद्धि की जाएगी।

मिशन के दूसरे चरण के लिए	• जून 2020 में विश्व बैंक बोर्ड द्वारा 400 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता राशि को अनुमोदित किया गया था।
	  ○ यह ऋण दिसंबर 2026 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा।
	  ○ इस चरण के तहत आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं में मिशन के प्रथम चरण की स्पिलओवर परियोजनाएं और यमुना एवं काली नदियों जैसी सहायक नदियों की सफाई करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं।

संबंधित पहल	
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा शहरी रिवरफ्रंट की योजना और विकास के लिए दिशा-निर्देश	• ये दिशा-निर्देश गंगा नदी बेसिन के तथा व्यापक रूप से संपूर्ण देश के **शहरी योजनाकारों को यह समझने में सहायता करेंगे कि किस प्रकार शहरी रिवरफ्रंट को शहरी मास्टर प्लान में शामिल किया जाए।** ○ **नदी को ध्यान में रखते हुए शहरी मास्टर प्लान बनाने** के लिए NMCG विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
गंगा ग्राम योजना	गंगा नदी की मुख्य धारा के तट पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, एवं धार्मिक और/या पर्यटक महत्व के गांवों को विकसित करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा नमामि गंगे योजना के तहत वर्ष 2016 में **गंगा ग्राम योजना** आरम्भ की गयी थी। गंगा ग्राम से संबंधित कार्यों में **व्यापक ग्रामीण स्वच्छता, जल निकायों और नदी घाटों का विकास करना, शवदाहगृह का निर्माण/आधुनिकीकरण करना आदि शामिल हैं।**
गंगा ग्राम परियोजना (Ganga Gram Project)	इसे वर्ष 2017 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के सहयोग से आरंभ किया गया था। यह **पवित्र नदी के तट पर अवस्थित गांवों का समग्र विकास** करने हेतु एकीकृत दृष्टिकोण है, जिसमें ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी शामिल है।

गंगा उत्सव	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा **पवित्र नदी गंगा की महिमा का उत्सव मनाने** के लिए 2 से 4 नवंबर 2020 तक तीन दिवसीय **सांस्कृतिक और शैक्षिक उत्सव** का आयोजन किया गया था। इस उत्सव में कथा वाचन, लोककथा सुनाना, गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद, प्रश्नोत्तरी, विविध पारंपरिक कलाओं की प्रदर्शनी, प्रख्यात कलाकारों का नृत्य और संगीत प्रदर्शन, फोटो गैलरी, प्रदर्शनियों एवं अन्य बहुत से कार्यक्रम शामिल थे।

नोट: गंगा बेसिन के अंतर्गत 11 राज्य शामिल हैं- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना (विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित) का मौजूदा ध्यान गंगा नदी के प्रमुख प्रवाह क्षेत्रों में शामिल पांच प्रमुख राज्यों यथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल पर केन्द्रित है।

19.2.2. जल जीवन मिशन-ग्रामीण {Jal Jeevan Mission (JJM)-RURAL}#

सुर्ख़ियों में क्यों?

JJM के तहत नौ राज्यों के 100 गांवों में सेंसर-आधारित सिस्टम के कवरेज के विस्तार की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

स्मरणीय तथ्य	प्रकार	**केंद्र प्रायोजित योजना।**
	वित्तपोषण पैटर्न	**हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों के लिए 50:50 के अनुपात में।**
	NRDWP	यह वर्ष 2009 में शुरू किये गये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) का उन्नत संस्करण है।
	समुदाय संचालित दृष्टिकोण	ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदाय को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गयी है।

उद्देश्य	
प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना।	**कुछ सार्वजनिक भवनों में कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना।**
• JJM का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार (हर घर नल से जल) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection: FHTC) उपलब्ध कराना है।	• स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं	
कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection: FHTC)	FHTC: एक नल कनेक्शन की कार्यक्षमता को आधारभूत संरचना के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे- घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से दीर्घकालिक रूप से निरंतर व पर्याप्त मात्रा में जल प्रदान करना अर्थात् नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्तायुक्त (BIS: 10500 मानक) कम से कम 55 lpcd (लीटर प्रति व्यक्ति) जलापूर्ति उपलब्ध कराना।
घटक	• गांव में प्रत्येक परिवार को नल कनेक्शन हेतु **जलापूर्ति अवसंरचना का विकास** करना। • जलापूर्ति प्रणाली को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने हेतु **विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास** और/या विद्यमान स्रोतों को सही करना। • जहाँ जल की गुणवत्ता से संबंधित समस्या विद्यमान है, वहां संदूषकों को हटाने के लिए **तकनीकी हस्तक्षेप** करना। • **ग्रे वाटर प्रबंधन** (घरेलू मल गाद रहित अपशिष्ट जल)।

© Vision IAS

	• जल आपूर्ति करने वाले संस्थाओं, जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं, जल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी, शोध एवं विकास, ज्ञान केंद्र, समुदायों की क्षमता-निर्माण आदि का विकास करना।
कार्यान्वयन	• **कार्यान्वयन रणनीति:** ○ योजनाओं का समयबद्ध समापन प्रस्तावित किया गया है। ○ उन बस्तियों को कवर करने को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां जल गुणवत्ता अत्यधिक प्रभावित है। ○ विद्युत शुल्क, नियमित कर्मचारियों के वेतन और भूमि की खरीद आदि जैसे किसी भी व्यय को केंद्रीय हिस्से पर भारित नहीं किया जाएगा। ○ **उपयोगिता-आधारित दृष्टिकोण:** यह संस्थानों को सेवा प्रदाताओं के रूप में कार्य करने और पेयजल आपूर्ति सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा सभी प्रकार के उपभोक्ताओं से जल शुल्क की वसूली करने में सक्षम बनाएगा। ○ **अभिसरण:** वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण आदि जैसे उपायों को लागू करने हेतु मनरेगा जैसी मौजूदा योजनाओं के साथ एकीकृत करना। ○ **समुदाय हेतु प्रोत्साहन:** समुदाय को उनके ग्राम में संचालित-जलापूर्ति योजना में पूंजीगत व्यय के 10% का व्यय करने हेतु पुरस्कृत किया जाएगा। ○ **जल गुणवत्ता निगरानी और जांच (WQM&S):** इसके अंतर्गत समुदाय द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और निगरानी गतिविधियों की स्थापना एवं रखरखाव करना शामिल है। 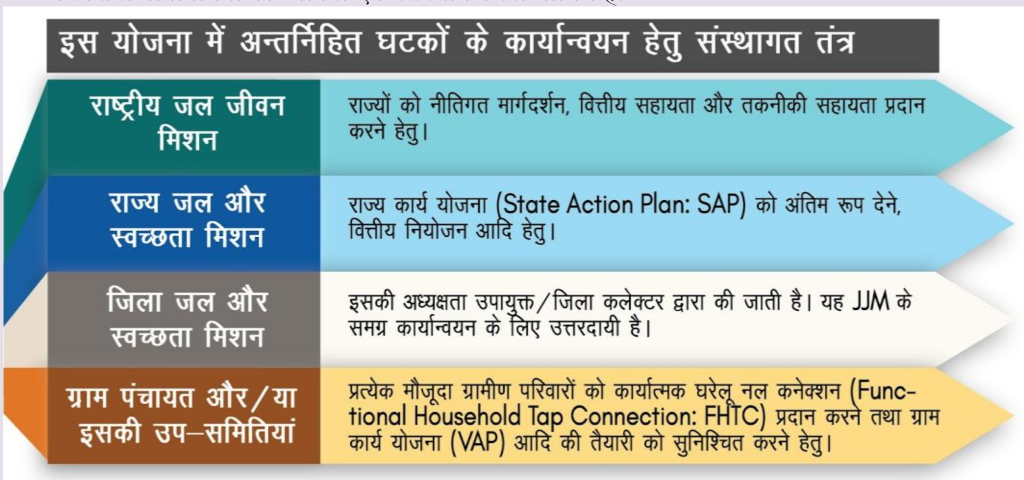
संबंधित पहल	
जलमणि कार्यक्रम	• इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2008 से **ग्रामीण विद्यालयों में स्टैंड अलोन जल शोधन प्रणाली** की स्थापना की जा रही है। • इसमें जल शोधन प्रणाली का स्वामित्व विद्यालय अधिकारियों के पास होता है, जबकि इस कार्यक्रम के संचालन के लिए धन, राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाता है।
स्वजल योजना	• यह सामुदायिक मांग द्वारा संचालित, विकेन्द्रीकृत, एकल ग्रामीण और मुख्यतः सौर ऊर्जा से संचालित एक मिनी पाइप्ड वाटर सप्लाई (PWS) कार्यक्रम है। इसे नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 आकांक्षी जिलों में प्रारम्भ किया गया है। • ग्रामीण समुदायों और राज्य क्षेत्रक एजेंसियों के साथ साझेदारी में ग्राम पंचायतों को इस योजना के निष्पादन हेतु शामिल किया जाएगा तथा ये इस योजना का संचालन और देखरेख भी करेंगी। **यह कार्यक्रम ODF स्थिति को भी बनाए रखेगा।** इस योजना के तहत स्वजल इकाइयों के संचालन और रखरखाव के लिए सैकड़ों ग्रामीण तकनीशियनों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

20. श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry For Labour and Employment)

20.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

20.1.1. प्रधान मंत्री श्रम-योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram-Yogi Maandhan: PMSYM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैश्विक महामारी के कारण असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आय और नौकरी संबंधी क्षति के कारण वित्त वर्ष 2021-22 में PMSYM से जुड़ने वालों की संख्या (नामांकन) में गिरावट आई है।

स्मरणीय तथ्य	**स्वैच्छिक तथा अंशदायी (50:50 आधार)**	लाभार्थी द्वारा **आयु-विशिष्ट अंशदान** और केंद्र सरकार द्वारा उसके बराबर का अंशदान दिया जाएगा।
	लक्षित लाभार्थी	**18-40 वर्ष की आयु वर्ग** के **असंगठित क्षेत्र के कामगार** जिनकी मासिक आय **15,000 रुपये** या उससे कम है, योजना के लिए पात्र हैं।
	पात्र नहीं है	पात्र व्यक्ति को नई पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो तथा उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
	पेंशन	60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।

उद्देश्य
असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं	
अंशदान	• **सरकार:** लाभार्थी द्वारा आयु-विशिष्ट योगदान तथा केंद्र सरकार द्वारा समान योगदान दिया जाएगा। • **श्रमिक:** प्रति माह श्रमिकों का योगदान, आवेदक की उम्र के आधार पर परिवर्तित होगा।
लाभार्थी की मृत्यु	• **पेंशन योजना में योगदान के दौरान मृत्यु:** पति या पत्नी द्वारा नियमित योगदान के भुगतान के साथ योजना को जारी रखने का या निर्धारित नियमों के अनुसार योजना से बाहर निकलने का अधिकार होगा। • **पेंशन प्राप्त करने के दौरान मृत्यु की स्थिति में,** पति/पत्नी को लाभार्थी द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा।

20.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

डिजी सक्षम	• यह एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य तेजी से प्रौद्योगिकी संचालित युग में आवश्यक **डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना** है। ○ यह **माइक्रोसॉफ्ट इंडिया** के साथ श्रम मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। • पहले वर्ष में तीन लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ-साथ **उन्नत कंप्यूटिंग** सहित डिजिटल कौशल में **मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।** • नौकरी के इच्छुक **राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS)** पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

© Vision IAS

<table>
<tr><td></td><td>

- **इसके तहत वंचित समुदायों से संबंधित अर्ध-शहरी क्षेत्रों के नौकरी चाहने वालों** को प्राथमिकता दी जाती है।

</td></tr>
<tr><td>ई-श्रम पोर्टल</td><td>

- यह **असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW)** है।
  - आर्थिक सर्वेक्षण (वर्ष 2018-19) के अनुसार, **भारत में कुल कार्यबल का 93% असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।**
- ये **अक्सर पेंशन, बीमा आदि जैसे किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित** होते हैं।

मुख्य विशेषताएं

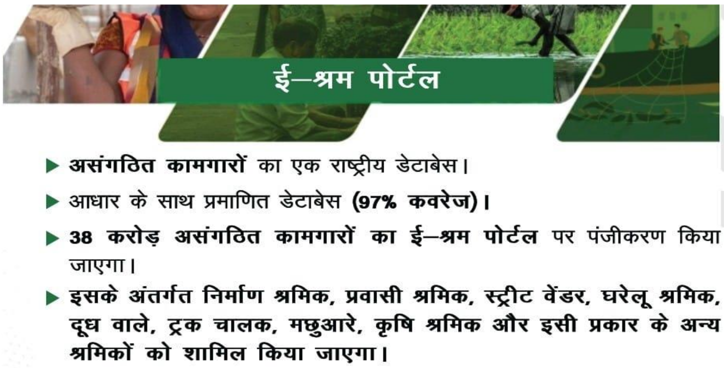

- सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (जैसे पीएम-श्रम योगी मान-धन योजना) का लाभ प्रदान करने सभी पंजीकृत श्रमिकों को **सार्वभौमिक खाता नंबर या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा।**
- इसके तहत **मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपये** और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये का एक्सीडेंटल कवर प्रदान किया जाता है।\
- यह डेटाबेस अधिकारियों के लिए असंगठित श्रमिकों को ट्रैक करने और **उन तक पहुंचने एवं संकट के दौरान उन्हें राहत प्रदान करने के लिए एक संदर्भ बिंदु** के रूप में काम करेगा।
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार असंगठित क्षेत्र को एक ऐसे उपक्रम, जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति अथवा स्वनियोजित कामगार के पास हो और जो किसी वस्तु के उत्पादन अथवा विक्रय में नियोजित हो अथवा जो किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता हो और जहाँ कोई उपक्रम किसी कामगार को नियोजित करता हो और ऐसे कामगारों की संख्या 10 से कम हो, के रूप में परिभाषित किया गया है।

</td></tr>
</table>

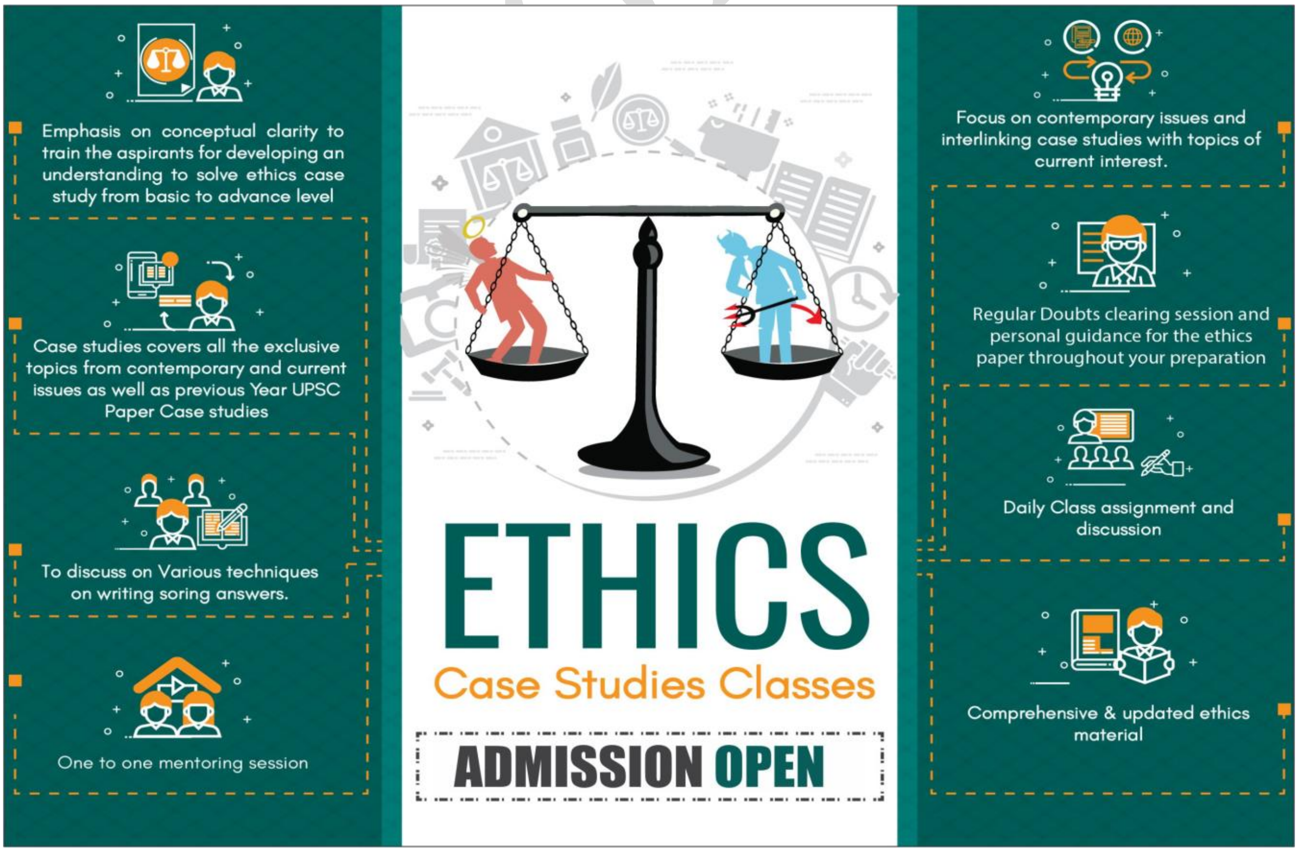

21. विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law & Justice)

21.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना	• फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FSTCs)[26] लैंगिक अपराधों के पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय हेतु समर्पित न्यायालय हैं। ये न्यायालय लैंगिक अपराधियों के विरुद्ध निवारक ढांचे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। ○ **बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO)[27] अधिनियम, 2012** के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु FSTC को **दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018** के तहत स्थापित किया गया था। ○ इस उद्देश्य के लिए कुल 1023 **FSTC** स्थापित किए गए थे। इनमें से **389 FSTCs** विशेष रूप से POCSO अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई पर केंद्रित हैं। ○ प्रत्येक **FSTC में एक न्यायिक सदस्य और सात अन्य सदस्य** होते हैं। ○ FSTC की **स्थापना** का उत्तरदायित्व **राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों** का है। ▪ वर्तमान में **28 राज्य इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। पात्र सभी 31 राज्यों को शामिल करने के लिए** इस योजना का विस्तार प्रस्तावित है। **हालिया परिवर्तन:** इस योजना को 1572.86 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ **01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक आगामी 2 वर्षों के लिए विस्तार प्रदान किया** गया है। • इस योजना के लिए **केंद्र का हिस्सा (971.70 करोड़ रुपये) निर्भया कोष** से प्रदान किया जाएगा। • **'निर्भया फंड फ्रेमवर्क'** महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक गैर-व्यपगत समग्र कोष (non-lapsable corpus fund) प्रदान करता है। यह कोष **आर्थिक कार्य विभाग** द्वारा प्रशासित है।
कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल का प्रवर्तन (Enforcing Contracts Portal)	• न्याय विभाग द्वारा आरंभ किए गए इस पोर्टल का उद्देश्य देश में **व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देना और अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार करना है।** ○ पोर्टल के **"अनुबंध प्रवर्तन" मापदंडों** (इस संबंध में भारत वर्ष 2019 की रैंकिंग में 163वें स्थान पर था) पर किए जा रहे विधायी और नीतिगत सुधारों से संबंधित सूचना का समग्र स्रोत बनने की कल्पना की गई है। ○ यह दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता के **समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में वाणिज्यिक मामलों पर नवीनतम जानकारी तक सुगम पहुंच** प्रदान करेगा। ○ पोर्टल तत्काल **संदर्भ के लिए वाणिज्यिक कानूनों के भंडार तक पहुंच** प्रदान करता है।

[26] Fast Track Special Courts

[27] The Protection of Children from Sexual Offences

© Vision IAS

VISION IAS

22. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises)

22.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme)

22.1.1. MSME इनोवेटिव स्कीम (इनक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर) {Msme Innovative Scheme (Incubation, Design And IPR)}

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	इसका उद्देश्य अभिनव समाधान और अनुप्रयोग विकसित करके MSME के पारितंत्र को मजबूत करना है। इस प्रकार यह उन्हें मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
	वित्तीय सहायता	व्यवसाय स्थापित करने में MSMEs को 1 करोड़ रुपये तक की आरंभिक पूंजी सहायता निधि।
	आरंभिक पूंजी (सीड कैपिटल) कोष	इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
	कार्यान्वयन एजेंसी	उद्योग जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्रीय/राज्य/राष्ट्रीय कार्यशालाएं।

उद्देश्य	
नवाचार को बढ़ावा देना	नवाचार के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना
• इन्क्यूबेशन और डिजाइन हस्तक्षेपों के माध्यम से संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में विचारों को विकसित करने से लेकर अभिनव अनुप्रयोगों में सभी प्रकार के नवाचारों को बढ़ावा देना। • उद्योग, शिक्षाविदों, सरकारी संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं आदि के बीच ज्ञान साझाकरण और सहयोग के माध्यम से नवाचार तथा समस्याओं के रचनात्मक समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देना। • ऐसे वहनीय/किफायती नवाचारों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना जो बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित करने के साथ-साथ वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य और संधारणीय भी हों।	• बाजार में अवधारणा के विकास, डिजाइन प्रतिस्पर्धात्मकता और MSME क्षेत्र की बौद्धिक रचनाओं के संरक्षण तथा व्यावसायीकरण के लिए उपयुक्त सुविधाएं और समर्थन प्रदान करना। • नए उत्पाद विकास को प्रोत्साहित और आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए औद्योगिक/अकादमिक नेतृत्व और नवोन्मेषकों के बीच एक संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करना।

प्रमुख विशेषताएं	
नवाचार गतिविधियों के लिए हब	• यह योजना **इन्क्यूबेशन में नवाचार, डिजाइन संबंधी हस्तक्षेप** और **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के संरक्षण को एक साथ शामिल करने वाले** एक समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत के नवाचार के बारे में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के बीच जागरूकता का प्रसार करना और उन्हें **MSME चैंपियन** बनने के लिए प्रेरित करना है। ○ **चैंपियन (CHAMPIONS)** का आशय "उत्पादन और राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग" (Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength) से है। ▪ इसका लक्ष्य मूलतः लघु इकाइयों को विशेष रूप से उनकी समस्याओं और शिकायतों का समाधान करने में मदद और मार्गदर्शन प्रदान करके बड़ी इकाई बनाना है।

	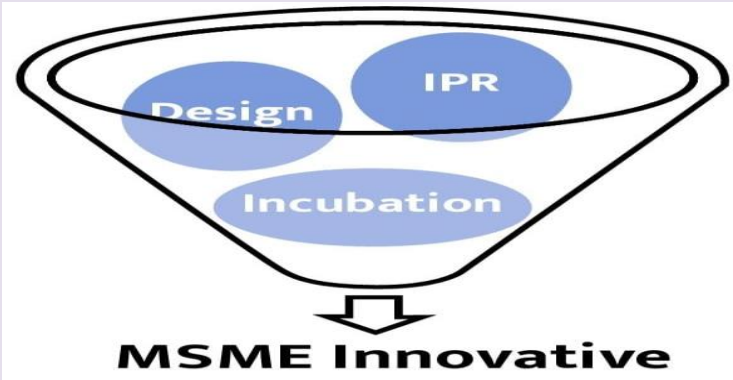
इक्विटी संबंधी सहायता	• सभी तीन उप-योजनाओं में विचारों, डिजाइनों और पेटेंटों के व्यावसायीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये तक की इक्विटी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त MSME को और बढ़ने में मदद करने के लिए आगे भी सहायता प्रदान की जाएगी। • इक्विटी सहायता **80:20 तक के अनुपात में प्रदान की जाएगी।** इसमें भारत सरकार द्वारा अधिकतम 80% वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। • इसके लिए **सिडबी द्वारा** फंड मैनेजर के रूप में एक अलग फंड सृजित और **प्रबंधित** किया जाएगा।
तीन उप-योजनाओं की निरंतरता	• इन्क्यूबेशन, डिजाइन और IPR की **पूर्ववर्ती तीन योजनाएं** भी **अलग-अलग कार्यक्रमों के रूप में कार्य करती रहेंगी।**

उप-योजनाएं (Sub-schemes)	
इन्क्यूबेशन	• **उद्देश्य:** MSMEs में **अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना** और उन्हें सहायता पहुँचाना; **नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए** प्रोत्साहित करना। • **वित्तीय सहायता:** प्रत्येक **इनोवेटिव विचार के लिए 15 लाख रुपये** और उससे **संबंधित संयंत्र और मशीनों के लिए एक करोड़** रुपये प्रदान किए जाएंगे।

डिजाइन	• **उद्देश्य: निम्नलिखित के लिए रियल टाइम आधारित** डिजाइन संबंधी समस्याओं पर **विशेषज्ञ सलाह और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करना:**
	  o नए उत्पादों का विकास करने के लिए,
	  o इन उत्पादों में निरंतर सुधार लाने के लिए,
	  o मौजूदा और नए उत्पादों में मूल्यवर्धन करने के लिए।
	• **वित्तीय सहायता:** डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 40 लाख रुपये और स्टूडेंट प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 2.5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे
	• IISc बैंगलोर, IIT, NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, आदि भागीदार संस्थानों के रूप में कार्य करेंगे।

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)	• **उद्देश्य:** MSMEs के बीच IPRs के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए, भारत में IP संस्कृति में सुधार करना। • साथ ही, इसका उद्देश्य MSMEs द्वारा **विकसित विचारों, तकनीकी नवाचार और ज्ञान-संचालित व्यवसाय संबंधी रणनीतियों के संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय** करना है। • इसके तहत विदेशी पेटेंट, घरेलू पेटेंट, भौगोलिक संकेतक (GI) पंजीकरण आदि के लिए **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी।

© Vision IAS

22.2. संशोधित योजनाएं (Modified Schemes)

22.2.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

सहायक ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt: CGSSD)	• इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य **परिचालनरत परन्तु दबावग्रस्त MSMEs** (अर्थात 30 अप्रैल 2020 तक NPA के रूप में चिन्हित MSMEs) **के प्रमोटरों को ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है।** • इसके तहत प्रमोटरों को उनकी हिस्सेदारी (इक्विटी के साथ-साथ ऋण भी) का **15% या 75 लाख रुपये (जो भी कम हो) के बराबर ऋण प्रदान किया जाता है।** • इस योजना के तहत इस सहायक ऋण के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी तथा शेष 10% संबंधित प्रमोटरों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। • **हालिया परिवर्तन: "संकटग्रस्त संपत्ति कोष-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) हेतु सहायक ऋण" के रूप में संदर्भित** CGSSD योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
स्पिन (स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया) योजना {SPIN)	• इस योजना में **प्रधान मंत्री शिशु मुद्रा योजना** के तहत पंजीकृत कुम्हारों को ऋण प्रदान किया जाएगा। ○ इस योजना में **उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड** के 780 कुम्हारों ने पंजीकरण कराया है। • **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission: KVIC) द्वारा आर.बी.एल. बैंक** के माध्यम से कुम्हारों को वित्तीय सहायता के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य किया जा रहा है। साथ ही, कारीगरों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। • स्पिन योजना में कुम्हार द्वारा ऋण को आसान किश्तों में चुकाया जाएगा। यह **'कुम्हार सशक्तीकरण योजना'** के विपरीत है, जो एक **सब्सिडी-आधारित कार्यक्रम** है।

23. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)

23.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme)

23.1.1. प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना {Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan (PM Vikas) Scheme}*

स्मरणीय तथ्य	**प्रकार**	**केंद्रीय क्षेत्रक की योजना।**
	दृष्टिकोण	**परिवार केंद्रित दृष्टिकोण, जिसमें 5 योजनाएं** यथा उस्ताद, नई रोशनी, नई मंजिल, हमारी धरोहर, सीखो और कमाओ को शामिल किया गया है।
	फोकस	**कारीगर परिवारों, महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगों** पर विशेष ध्यान।
	अवधि	**वर्ष 2025-26 तक।**

उद्देश्य			
क्षमता निर्माण	**सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन**	**महिला सशक्तीकरण**	**आजीविका अवसर**
• अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों को कौशल आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण संबंधी सहायता प्रदान करके और उनके लिए रोजगार तथा आजीविका के अवसर सुनिश्चित करते हुए लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से क्षमता निर्माण करना। • अल्पसंख्यक और कारीगर समुदाय के परिवारों के बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाले को खुली/मुक्त स्कूली शिक्षा के माध्यम से 8वीं, 10वीं और 12वीं तक औपचारिक शिक्षा और प्रमाणन प्रदान करना।	• पारंपरिक कला और शिल्प रूपों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने सहित साहित्य/दस्तावेजों/पांडु लिपियों का प्रचार-प्रसार करना।	• अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों के परिवारों की महिलाओं को सशक्त बनाना तथा उनमें नेतृत्व और उद्यमिता संबंधी सहायता प्रदान करके विश्वास पैदा करना।	• बाजार तथा क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से अल्पसंख्यकों और कारीगर समुदायों की रोजगार क्षमता में सुधार करना और उनके लिए आजीविका के बेहतर अवसर पैदा करते हुए उन्हें मुख्यधारा में शामिल करना। • अल्पसंख्यकों और कारीगर समुदायों के लिए मॉडल तथा संधारणीय कला और शिल्पग्रामों का विकास करना, आजीविका तथा रोजगार/उद्यमिता के अवसर सृजित करना।

प्रमुख विशेषताएं	
अल्पसंख्यक	इस योजना में संदर्भित अल्पसंख्यक समुदायों में **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992** के तहत अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी) शामिल होंगे।
4 घटक	
घटक 1: कौशल और प्रशिक्षण	• **पारंपरिक प्रशिक्षण उप-घटक (जिसे पहले उस्ताद और हमारी धरोहर के नाम से जाना जाता था)** मुख्य रूप से अल्पसंख्यक कारीगर समुदायों और उनके परिवार के सदस्यों (पतनशील कला सहित पारंपरिक कला और शिल्प में संलग्न) के लिए आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण को शामिल करता है। • **गैर-पारंपरिक कौशल उप-घटक का उद्देश्य (जिसे पहले सीखो और कमाओ के नाम से जाना जाता था)** कला और शिल्प के

	साथ संबंध रखने वाले क्षेत्रकों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप रोजगार की भूमिकाओं में विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और कारीगर परिवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, उनके मौजूदा काम के अनुपूरक रोजगार की भूमिकाएं और उनके लिए रोजगार संबंध स्थापित करना है।
घटक 2: नेतृत्व और उद्यमिता घटक (पूर्ववर्ती नई रोशनी)	• यह घटक का उद्देश्य मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों और कारीगर परिवारों के **युवाओं में** फोकस्ड मॉड्यूल के माध्यम से **नेतृत्व विकास और बुनियादी उद्यमिता को बढ़ावा देना** है। • इस घटक में उद्यमिता उप-घटक का उद्देश्य विशेष रूप से **गहन उद्यमिता प्रशिक्षण संबंधी नेतृत्व और बुनियादी उद्यमिता में प्रशिक्षित महिलाओं को सहायता देना है।** • इसका उद्देश्य प्रशिक्षित महिला उद्यमियों में से इच्छुक महिला उद्यमियों को **बिजनेस मेंटर (इस योजना में इन्हें 'बिज़ सखियों' के रूप में जाना जाता है)** बनने के लिए और इसी उद्देश्य हेतु व्यक्तिगत या समूह उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना है।
घटक 3 शिक्षा घटक (पूर्ववर्ती नई मंजिल)	• इस घटक का लक्ष्य 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में मुक्त शिक्षा प्राप्त करने हेतु अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों के स्कूल छोड़ने वालों के लिए एक शिक्षा सेतु कार्यक्रम के रूप में काम करना है। साथ ही, उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (NIOS) या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (MoMA) द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्थान (संस्थानों) के माध्यम से प्रमाण पत्र प्रदान करना है।
घटक 4 आधारभूत संरचना विकास घटक (हब और स्पोक विलेज के माध्यम से)	• इस योजना के कार्यान्वयन का आवश्यक दृष्टिकोण **अन्य मंत्रालयों के साथ अभिसरण** और पहले से निर्मित **बुनियादी ढांचे का प्रभावी उपयोग** करना है। • MoMA के **प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)** को भी पीएम विकास के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनिवार्य प्रतीत होने पर **शामिल किया जाएगा।** • एक **'हब एंड स्पोक' मॉडल** का लाभ उठाया जाएगा। इसके तहत **'विश्वकर्मा गांव' (जिसे 'हब' भी कहा जाता है)** के रूप में कला और शिल्प गांवों **को विकसित किया जाएगा।** ○ विश्वकर्मा गाँव **पर्यटन और वाणिज्य के साथ कला के तालमेल का निर्माण करके स्थानीय कलात्मक उत्साह और संस्कृति** को मूर्त रूप देने, प्रदर्शित करने तथा बढ़ावा देने वाले आदर्श गाँव होंगे। इस प्रकार इससे व्यापार के अवसरों में वृद्धि से उनकी आय में भी वृद्धि होगी। ○ ये गांव **कारीगरों को एक विशिष्ट और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान प्रदान** करने का प्रयास करेंगे।

23.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

23.2.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

जियो पारसी योजना (Jiyo Parsi scheme)	• **इस योजना के परिणामस्वरूप** पारसी समुदाय में जन्मों की संख्या में वृद्धि हुई है। • **भारत में पारसी ज़रथुष्ट्र समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने** के लिए **जियो पारसी योजना** (वर्ष 2013-14) आरंभ की गई थी। • **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और पारज़ोर फाउंडेशन द्वारा विकसित इस योजना में तीन घटक शामिल हैं यथा:** सहायक प्रजनन उपचार के लिए चिकित्सकीय सहायता, पक्ष समर्थन (Advocacy) तथा समुदाय का स्वास्थ्य। • पारसी ज़रथुष्ट्र समुदाय की जनसंख्या वर्ष **1941 के 1,14,000 से घटकर वर्ष 2011 में केवल 57,264 रह गई है।**

24. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy: MNRE)

24.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

24.1.1. ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना (द्वितीय चरण) {Grid Connected Rooftop Solar Programme (Phase-II)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि **उसके द्वारा किसी भी विक्रेता को अधिकृत नहीं किया गया है** और राज्य में **यह योजना केवल डिस्कॉम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।**

स्मरणीय तथ्य	**चरण 1**	चरण 1 **वर्ष 2015 में** शुरू किया गया था।
	कार्यान्वयन	**DISCOMs** (विद्युत वितरण कंपनियां) के द्वारा
	डिस्कॉम को मुआवजा	**डिस्कॉम को** इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर होने वाले **अतिरिक्त व्यय के लिए मुआवजा दिया जाता है।**
	इसके 2 घटक हैं	आवासीय उपयोगकर्ताओं के लिए **केंद्रीय वित्तीय सहायता** (CFA); और **डिस्कॉम के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन।**

उद्देश्य
वर्ष 2022 तक 40 GW
वर्ष 2022 तक ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप SRT प्रणाली के माध्यम से **40 GW की संचयी क्षमता को प्राप्त करना।**

मुख्य विशेषताएं	
घटक A	चरण II के अंतर्गत, आवासीय उपयोगकर्ताओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA)[28] को निम्नलिखित तरीकों से पुनर्संरचित (वर्ष 2019 में) किया गया है: • 3 किलोवाट तक की क्षमता वाली SRT प्रणाली की मानक लागत का 40 प्रतिशत CFA के रूप में प्रदान किया जाएगा। • 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की क्षमता वाली SRT प्रणाली की मानक लागत का 20 प्रतिशत CFA के रूप में प्रदान किया जाएगा। • 10 किलोवाट तक की क्षमता के लिए प्रति आवास और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी (GHS) और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) हेतु 500 किलोवाट तक की संचयी क्षमता के लिए मानक लागत का 20%, CFA के रूप में प्रदान किया जाएगा। • **अन्य श्रेणियों** अर्थात संस्थागत, शैक्षिक, सामाजिक, सरकारी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, आदि **के लिए CFA का प्रावधान उपलब्ध नहीं है।**
घटक B	इसके तहत डिस्कॉम (18 GW की आरंभिक अतिरिक्त क्षमता वृद्धि के लिए) को प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, हालांकि यह वित्तीय वर्ष में उनके (डिस्कॉम) द्वारा आधार क्षमता (पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त संचयी क्षमता) से अधिक प्राप्त की गई SRT क्षमता के आधार पर दिया जाएगा।

[28] Central Financial Assistance

© Vision IAS

25. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj)

25.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

25.1.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	• इस अभियान को **पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात वर्ष 2026 तक** बढ़ा दिया गया है। यह अभियान **15वें वित्त आयोग के कार्यकाल तक जारी रहेगा।** • **योजना की प्रमुख विशेषताएं** ○ **उद्देश्य: सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को पूरा करने** के लिए पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की **गवर्नेंस क्षमताओं को विकसित** करना है। ○ इसे वर्ष **2016-17 में शुरू** किया गया था। यह राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान का एक संशोधित संस्करण है। ○ यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। ○ इसका लक्ष्य **ग्रामीण स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से स्थिर और अधिक सक्षम** बनाना है। ○ यह पंचायतों की क्षमता और प्रभावकारिता को बढ़ाकर तथा शक्तियों एवं जिम्मेदारियों का हस्तांतरण करके पंचायतों की सफलता को बाधित करने वाली **सूक्ष्म कमियों को दूर करने** का प्रयास करता है। ○ **वित्तपोषण प्रतिरूप: पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर (जहां यह अनुपात 90:10 है) केंद्र और राज्य के मध्य अंशदान अनुपात 60:40** रखा गया है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, केंद्रीय अंशदान 100% होगा। ○ इस योजना को **देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू** किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत **भारतीय संविधान के भाग IX से बाहर के क्षेत्रों की ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएँ भी शामिल** हैं, जहाँ पंचायतें मौजूद नहीं हैं। ○ इस योजना के तहत कोई स्थायी पद सृजित नहीं किया जाएगा। लेकिन, आवश्यकता के आधार पर एक समझौते के अधीन मानव संसाधन का प्रावधान किया जा सकता है। • ***नोट:*** *राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्राम स्वराज अभियान (विस्तारित) से अलग है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति के तरीकों में बदलाव लाना है।*

26. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas)

26.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

26.1.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana-PMUY)

स्मरणीय तथ्य	**लक्ष्य**	इसका उद्देश्य **महिलाओं और बच्चों** को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन (LPG) प्रदान करके उनके **स्वास्थ्य की रक्षा करना है।**
	लाभ	निशुल्क रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन।
	लाभार्थियों की पहचान	BPL परिवारों की पहचान **सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC)-2011** के आंकड़ों के माध्यम से की जाएगी।
	प्राथमिक लाभार्थी	महिलाएं और बच्चे।

उद्देश्य
महिलाओं को **निःशुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन** प्रदान करना।
BPL परिवारों की महिलाओं को **निःशुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन** प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं	
लक्षित लाभार्थी	• अनुसूचित जातियों के परिवार • अनुसूचित जनजातियों के परिवार • प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) • अति पिछड़ा वर्ग • अंत्योदय अन्न योजना (AAY) • पहले और वर्तमान में चाय बागान में काम करने वाली जनजातियाँ • वनवासी • द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग • SECC परिवार (AHL TIN) • 14 सूत्री घोषणा के अनुसार गरीब परिवार • आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। • एक ही घर में कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
इच्छित लाभ	• इस योजना के शुरू होने से **'मेक इन इंडिया'** अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि सिलेंडर, गैस स्टोव, रेगुलेटर और गैस पाइप के सभी विनिर्माता घरेलू हैं। • **घर के भीतर के वायु प्रदूषण** (Indoor air pollution) के कारण समय से पहले होने वाली मौतों को रोका जा सकेगा।
महिला सशक्तीकरण	इसके तहत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई **LPG कनेक्शन मौजूद न होने पर, BPL परिवार की वयस्क महिला के नाम पर** LPG कनेक्शन जारी किया जाता है।

© Vision IAS

नकद सहायता और अन्य लाभ	• PMUY कनेक्शनों के लिए **1600 रुपये** की नकद सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें: **सिलेंडर की सुरक्षा जमाराशि; प्रेशर रेगुलेटर; LPG पाइप; घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड और निरीक्षण / स्थापना / प्रदर्शन शुल्क** आदि शामिल है। • इसके अतिरिक्त, सभी PMUY लाभार्थियों को तेल विपणन कंपनियों (OMC) द्वारा निशुल्क कनेक्शन के साथ-साथ पहले LPG रिफिल और स्टोव (हॉटप्लेट) दोनों मुफ्त प्रदान किए जाएंगे।
उपभोक्ताओं के लिए विकल्प	उपभोक्ताओं के पास **गैस स्टोव खरीदने और EMI** (शून्य ब्याज) पर रिफिल कराने का विकल्प होगा, जिसे लाभार्थी द्वारा प्राप्त **LPG सब्सिडी के माध्यम से वसूल किया जा सकेगा।** प्रारंभिक 6 रिफिल ऋण की वसूली से प्रभावित नहीं होंगे।
PMUY 2.0	
व्यापक कवरेज	इसका लक्ष्य **1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों** को शामिल करना है।
अतिरिक्त लाभ	इसके तहत, लाभार्थियों को न केवल निशुल्क LPG कनेक्शन मिलेगा, बल्कि उन्हें न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ **पहला रिफिल और हॉटप्लेट भी मुफ्त प्राप्त होगा।**
प्रवासी लाभार्थियों की पहचान	इसके अलावा, **प्रवासियों को राशन कार्ड या कोई पते से संबंधित प्रमाण जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।** इसके लिए एक स्व-घोषणा पत्र ही पर्याप्त होगा।
उज्ज्वला 2.0 के लिए आवेदन करने के लिए मानदंड	• केवल महिला ही आवेदक हो सकती है। • किसी भी श्रेणी में BPL परिवार के तहत सूचीबद्ध होना चाहिए। • आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। • बैंक खाता संख्या और IFSC कोड। • एक ही घर में कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। • उज्ज्वला कनेक्शन का eKYC होना अनिवार्य है। • पहचान के प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और BPL राशन कार्ड। • परिवार की स्थिति का समर्थन करने के लिए अनुपूरक KYC।

26.1.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवड्र्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन: सतत योजना (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation: SATAT)	• सतत एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य **संपीडित बायो-गैस उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करना** और संभावित उद्यमियों से रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित करके इसे **ऑटोमोटिव ईंधन में उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध कराना** है।
	• **लाभ**
	  ○ **उत्तरदायित्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन**, कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में कमी;
	  ○ **किसानों के लिए अतिरिक्त राजस्व स्रोत;**
	  ○ उद्यमिता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देना;
	  ○ **जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में सहायता करना;**
	  ○ प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के **आयात में कमी;**
	  ○ कच्चे तेल/गैस की कीमतों में अस्थिरता के विरुद्ध बफर के रूप में कार्य करना।
	• इसका उद्देश्य **एक वैकल्पिक, हरित परिवहन ईंधन के रूप में संपीड़ित बायो-गैस को प्रोत्साहन देना है।** इस प्रकार विकासात्मक प्रयास के रूप में यह किफायती परिवहन के लिए एक संधारणीय विकल्प प्रदान करता है जिससे वाहन-उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ किसान और उद्यमी भी लाभान्वित होंगे।
	• इससे **अधिक किफायती परिवहन ईंधन की उपलब्धता को बढ़ावा देना, कृषि अवशेषों, मवेशियों के गोबर और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट** के बेहतर उपयोग के साथ-साथ किसानों को एक अतिरिक्त राजस्व स्रोत प्रदान करना संभव हो पाएगा।

27. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways)

27.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

27.1.1. प्रधान मंत्री गति शक्ति - बहुविध कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti - National Master Plan for Multi-modal Connectivity)

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	अवसंरचनात्मक संपर्क परियोजनाओं की **एकीकृत योजना** का निर्माण और उसका समन्वित कार्यान्वयन
	लाभ	भिन्न-भिन्न योजनाओं को समेकित करना तथा **परियोजनाओं की लागत एवं समय में कमी करना।**
	समामेलन	इसमें **भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/स्थलीय बंदरगाहों, उड़ान (UDAN) आदि जैसी विभिन्न अवसंरचना योजनाओं को शामिल** किया गया है।
	सामाजिक अवसंरचना	आगामी चरण में इसमें **अस्पताल व विश्वविद्यालयों जैसी सामाजिक अवसंरचना को समेकित** किया जाएगा।

उद्देश्य	
योजनाओं का समेकन	**प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना**
इसमें **विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की अवसंरचना योजनाओं** जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्गों, शुष्क/भूमि बंदरगाहों, उड़ान, इत्यादि को शामिल किया जाएगा। कनेक्टिविटी बेहतर करने एवं भारतीय व्यवसायों को और भी अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्युटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारे, फिशिंग क्लस्टर, एग्री जोन आदि जैसे **आर्थिक क्षेत्रों** को भी शामिल किया जाएगा।	यह **इसरो** (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) इमेजरी के साथ स्थानिक नियोजन उपकरणों सहित व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगी, जिसे BiSAG-N (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन्स एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स) ने विकसित किया है।

मुख्य विशेषताएं	
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म	**गति शक्ति या बहुविध कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) एक डिजिटल मंच** है। अवसंरचनात्मक संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना के निर्माण और उसके समन्वित कार्यान्वयन के लिए **16 मंत्रालयों को एक साथ लाने** हेतु इसका शुभारंभ किया गया है।
लक्ष्य	• इसके तहत निम्नलिखित लक्ष्यों को **वर्ष 2024-25** तक प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया है: ○ 2 लाख कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना। ○ **रेलवे द्वारा 1,600 मिलियन टन कार्गो का परिवहन** करना और अपने नेटवर्क के 51% हिस्से पर से अत्यधिक संकुलन को कम करना। ○ **220 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एयरोड्रोम द्वारा वायु परिवहन क्षमता को दोगुना** करना। ○ **गैस पाइपलाइन नेटवर्क का आकार दोगुना** करना। ○ 4.52 लाख सर्किट कि.मी. विद्युत लाइन बिछाना और 225 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। ○ 11 औद्योगिक गलियारे और दो नए रक्षा गलियारे स्थापित करना।

© Vision IAS

पीएम गति शक्ति छह स्तंभों पर आधारित है:	
व्यापकता (Comprehensiveness)	एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सभी मौजूदा तथा नियोजित पहलों को शामिल करना।
प्राथमिकता (Prioritisation)	विभिन्न विभागों के विविध-क्षेत्रक समन्वय के माध्यम से उनकी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में मदद करना।
अनुकूलन (Optimisation)	महत्वपूर्ण कमियों की पहचान के बाद परियोजनाओं के नियोजन में विभिन्न मंत्रालयों की सहायता हेतु राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। साथ ही, समय और लागत के मामले में सबसे इष्टतम मार्ग का चयन किया जाएगा।
समन्वय (Synchronisation)	प्रत्येक विभाग और शासन के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य का समन्वय सुनिश्चित करके उनकी गतिविधियों को समग्र रूप से समन्वित करना।
विश्लेषणात्मक (Analytical)	निष्पादन एजेंसी को बेहतर दृश्यता प्रदान करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित स्थानिक योजना और 200 से अधिक परतों वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ एक ही स्थान पर संपूर्ण डेटा प्रदान करना।
गतिशील (Dynamic)	विभिन्न क्षेत्रकों की परियोजनाओं की प्रगति के वास्तविक समय पर अवलोकन, समीक्षा एवं निगरानी के माध्यम से सभी मंत्रालयों और विभागों के मास्टर प्लान में महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की पहचान करने में सहायता करना।

27.1.2. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

भारत में व्यापारिक पोतों की फ्लैगिंग करने को बढ़ावा देने की योजना (Scheme for promotion of flagging of merchant ships in India)	मंत्रिमंडल ने भारत में व्यापारिक पोतों की फ्लैगिंग करने को बढ़ावा देने की योजना को अनुमोदित किया है • यह योजना मंत्रालयों द्वारा जारी **वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को पांच वर्षों में 1,624 करोड़ रुपये का सब्सिडी समर्थन प्रदान** करती है। ○ **पोत द्वारा फ्लैगिंग-** प्रत्येक वाणिज्यिक पोत को अपनी पसंद के राष्ट्र में पंजीकृत होना चाहिए। तब पोत उस राष्ट्र के ध्वज को ले जाने के लिए बाध्य होता है तथा उसके द्वारा लागू नियमों एवं विनियमों का पालन भी करता है। • भारतीय बेड़े में वृद्धि से **भारतीय नाविकों को प्रत्यक्ष रोजगार** मिलेगा, क्योंकि भारतीय पोतों को केवल भारतीय नाविकों को ही नियुक्त करने की अनुमति दी गयी है। • इस नीति की घोषणा **केंद्रीय बजट 2022** में की गई थी।

VISION IAS

28. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power)

28.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

28.1.1. पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने संसद को सूचित किया था कि फरवरी 2022 के अंत में विद्युत् वितरण कंपनियों का बकाया एक लाख करोड़ रुपये है।

स्मरणीय तथ्य	**लक्ष्य**	विद्युत् वितरण कंपनियों (DISCOMs) की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना।
	राज्य विशिष्ट कार्य योजना	इस योजना का **कार्यान्वयन** प्रत्येक राज्य के लिए तैयार की **गई कार्य योजना पर आधारित** होगा, न कि "वन साइज फिट फॉर आल" दृष्टिकोण के आधार पर।
	अवधि	यह योजना **वर्ष 2025-26 तक** उपलब्ध रहेगी।
	नोडल एजेंसियां	योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए **ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) और विद्युत वित्त निगम (PFC)** को नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है।

उद्देश्य:

वित्तीय स्थिरता में सुधार	**क्षमता निर्माण**	**उपभोक्ता अनुभव में सुधार**
वित्त वर्ष 2024-25 तक **समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) हानियों** को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15 प्रतिशत तक कम करना। वित्त वर्ष 2024-25 तक **आपूर्ति की औसत लागत-औसत राजस्व प्राप्ति (ACS-ARR)** के अंतर को शून्य करना।	आधुनिक डिस्कॉम्स (DISCOMs) के लिए **संस्थागत क्षमताओं का विकास** करना।	वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्रक के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की **गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना।**

प्रमुख विशेषताएँ:

DISCOMs को परिणाम संबद्ध वित्तीय सहायता	इसका उद्देश्य **आपूर्ति अवसंरचना को सुदृढ़** करना है। यह सहायता, पूर्व-अहर्ता मानदंडों को पूरा करने के साथ-साथ वित्तीय सुधारों से जुड़ी पहले से सहमत मूल्यांकन रूपरेखा के आधार पर मूल्यांकन किए गए DISCOM द्वारा **बुनियादी न्यूनतम मानदंड की उपलब्धि,** पर आधारित होगी।
वर्तमान में जारी योजनाओं को सम्मिलित किया जाना	एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) की योजनाओं के तहत वर्तमान में स्वीकृत परियोजनाओं के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों के लिए प्रधान मंत्री विकास कार्यक्रम (PMDP) -2015 को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
कृषि-संबंधी फीडरों का सौरीकरण	इस योजना में किसानों के लिए विद्युत की आपूर्ति में सुधार करने और कृषि फीडरों के सौरीकरण के माध्यम से किसानों को दिन की अवधि के दौरान विद्युत उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
उपभोक्ता सशक्तीकरण	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) द्वारा **प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग** के माध्यम को लागू कर उपभोक्ता का सशक्तीकरण करना। इसके पहले चरण में दिसंबर, 2023 तक लगभग 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।

© Vision IAS

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का लाभ उठाना	इसका उपयोग सिस्टम मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर सहित **IT/OT उपकरणों के माध्यम से सृजित डेटा का विश्लेषण** कर प्रतिमाह सिस्टम द्वारा सृजित ऊर्जा की लेखा रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाएगा, ताकि डिस्कॉम को नुकसान में कमी करने और मांग संबंधी पूर्वानुमान पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।
सिस्टम मीटरिंग	PPP मोड में **संचार सुविधा के साथ फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (DT) स्तर पर सिस्टम मीटरिंग करने का भी प्रस्ताव है।**
विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए प्रावधान	प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए, 900 रुपये का अनुदान या पूरी परियोजना के लिए प्रति उपभोक्ता मीटर की लागत का 15%, जो भी कम हो, "विशेष श्रेणी के अलावा" राज्यों के लिए उपलब्ध होगा। "विशेष श्रेणी" वाले राज्यों के लिए, संबंधित अनुदान रु 1,350 या प्रति उपभोक्ता लागत का 22.5%, जो भी कम हो, होगा।
प्रमुख घटक:	
उपभोक्ता मीटर और सिस्टम मीटर:	• कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर। • 25 करोड़ उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के दायरे में लाया जाएगा। • प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए शहरी क्षेत्रों, संघ राज्यक्षेत्रों, अमृत योजना में शामिल शहरों और उच्च हानि वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए, वर्ष 2023 तक 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, शेष मीटरों को चरणों में लगाया जाएगा। • ऊर्जा लेखांकन को सक्षम करने के लिए सभी फीडरों और वितरण ट्रांसफार्मरों के लिए सूचनीय AMI मीटर प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे डिस्कॉम द्वारा हानि में कमी करने के लिए बेहतर योजना बनाई जा सके। • प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने से डिस्कॉम को उनकी परिचालन क्षमता में सुधार करने में सहायता मिलेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए DISCOMs को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
फीडर का वर्गीकरण	• यह योजना असंबद्ध फीडरों के लिए फीडर पृथक्करण के लिए वित्त पोषण पर भी ध्यान केंद्रित करती है, जो कुसुम (KUSUM) के तहत सौरीकरण को सक्षम करेगा। • फीडरों के सौरीकरण से सिंचाई के लिए किसानों को दिन की अवधि में सस्ती/निःशुल्क विद्युत प्राप्त होगी और **किसानों की अतिरिक्त आय होगी।**
शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण	• सभी शहरी क्षेत्रों में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA) • 100 शहरी केंद्रों में वितरण प्रबंधन प्रणाली (DMS)
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण	
नोट: पूर्वोत्तर राज्यों के सिक्किम और जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों सहित सभी विशेष श्रेणी के राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में माना जाएगा।	

28.1.2. विविध योजनाएं (Miscellaneous schemes)

मुख्य विशेषताएं	
ग्राम उजाला कार्यक्रम (GUP)	• कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) ने ग्राम उजाला कार्यक्रम (GUP) के तहत **50 लाख एलईडी बल्बों का वितरण** कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। ○ CESL **विद्युत मंत्रालय के अधीन राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड की सहायक कंपनी है।** • इस पहल के तहत, **उच्च गुणवत्ता वाले 7-वाट और 12-वाट एलईडी** बल्ब प्रदान किये जाते हैं। इन बल्बों को **प्रति बल्ब 10 रुपये की कीमत पर 3 वर्ष की गारंटी के साथ** प्रयुक्त तापदीप्त बल्बों के बदले उपलब्ध करवाया जाता है। ○ प्रत्येक परिवार **अधिकतम 5 बल्बों का आदान-प्रदान कर सकता है।**

	○ इसे **पांच राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक** में लागू किया जा रहा है।
प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (Perform, Achieve and Trade: PAT) योजना	• हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की एक रिपोर्ट में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि यह योजना वि-कार्बनीकरण के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं रही है। 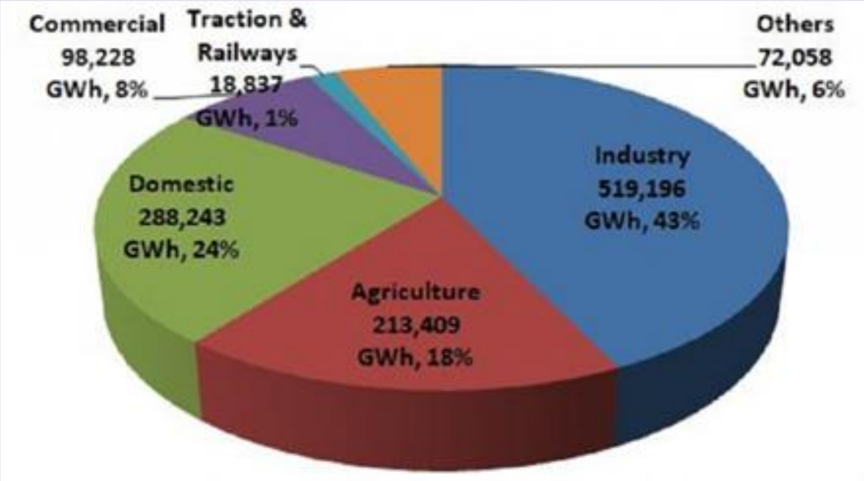 • इसे वर्ष 2008 में **'बढ़ी ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन' (National Mission for Enhanced Energy Efficiency: NMEEE)** के तहत आरंभ किया गया था। इसे भारतीय उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और इसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। • ज्ञातव्य है कि **NMEEE, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** के तहत एक योजना है। • इसके अंतर्गत तापीय विद्युत् संयंत्र, सीमेंट, एल्यूमीनियम, लोहा और इस्पात, लुगदी व कागज, उर्वरक, पेट्रोलियम रिफाइनरियों आदि सहित **13 ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।** • इसके तहत, **सरकार उद्योगों (नामित उपभोक्ताओं) को शॉर्टलिस्ट करती है और ऊर्जा की उस मात्रा को प्रतिबंधित/सीमित करती है, जिसका वे उपभोग कर सकते हैं।** साथ ही, तीन वर्ष की समय सीमा को परिभाषित किया जाता है, इसे एक PAT चक्र कहते हैं। इस समयावधि में प्रतिबंध को पूरा किया जाना चाहिए। • **जो उद्योग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, उन्हें ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र (ESCerts)** जारी किए जाते हैं। ये प्रमाण-पत्र उन उद्योगों के साथ व्यापार योग्य होते हैं, जिन्होंने अपने लक्ष्य हासिल नहीं किए हैं।
सौभाग्य- प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना	**'सौभाग्य- प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना' ने चार वर्ष पूर्ण कर लिए हैं** • सौभाग्य योजना **वर्ष 2017** में आरंभ की गई थी। ○ इसका उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करके **सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण** सुनिश्चित करना है। ○ **ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों** और **शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवारों तक** विद्युत की पहुंच प्रदान करना इसका लक्ष्य है। • **नोडल एजेंसी:** ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (RECL)। • **सौभाग्य (SAUBHAGYA) की मुख्य विशेषताएं** ○ इस योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर, तार और मीटर जैसे उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ○ **निजी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs/डिस्कॉम), राज्य विद्युत विभागों** और **नवीकरणीय ऊर्जा सहकारी समितियों** सहित सभी डिस्कॉम वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। ○ लाभार्थियों की पहचान **सामाजिक-आर्थिक जाति आधारित जनगणना (SECC) 2011** के आंकड़ों के माध्यम से की जाती है। ▪ SECC के दायरे में नहीं आने वाले गैर-विद्युतीकृत घरों को भी **500 रुपये के भुगतान के माध्यम से विद्युत कनेक्शन** मिल सकता है। इसे डिस्कॉम द्वारा 10 किश्तों में वसूल किया जाएगा। **नोट: एक विद्युतीकृत गांव** को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है: • अधिवासित क्षेत्र में **बुनियादी ढांचे** जैसे कि वितरण ट्रांसफार्मर्स और विद्युत-लाइनों का नेटवर्क हो, • **सार्वजनिक स्थानों** जैसे विद्यालयों, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों और सामुदायिक केंद्रों में **विद्युत की व्यवस्था** हो, तथा • गाँव के **कुल घरों में से कम से कम 10%** विद्युतीकृत हों।

© Vision IAS

बड़ी रुकावट की स्थिति में आवश्यक लोड को बनाए रखने हेतु विद्युत क्षेत्र के लिए आइलैंडिंग योजनाएं (Islanding Schemes for Power Sector for maintaining essential load in event of major outage)	• केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सूचित किया है कि **पहले से ही 26 मौजूदा/कार्यान्वयन अधीन योजनाओं के अतिरिक्त प्रमुख शहरों के लिए 17 नई आइलैंडिंग योजनाओं की कार्य योजना निर्मित** की गई है। ज्ञातव्य है कि यह भारत के विद्युत् ग्रिड्स की सुरक्षा हेतु किया जा रहा एक प्रयास है। • **आइलैंडिंग योजना:** आइलैंडिंग योजना विद्युत व्यवस्था के लिए एक रक्षा तंत्र है। इसमें प्रणाली के एक हिस्से को बाधित ग्रिड से पृथक किया जाता है, ताकि यह उपभाग बाकी ग्रिड से अलग रह सके और इस क्षेत्र में आवश्यक लोड की आपूर्ति में निरंतरता बनी रहे। ○ **महत्वपूर्ण अवसंरचना प्रणालियों, नेटवर्क और आस्तियों का निकाय है**, जो किसी राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी जनता के स्वास्थ्य एवं /या सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। (इन्फोग्राफिक देखें)

29. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)

29.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme)

29.1.1. विविध योजनाएं (Miscellaneous Scheme)

भारत गौरव योजना	• **भारतीय रेलवे (IR) ने पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने** और आकर्षित करने के लिए "भारत गौरव योजना" नामक एक नई योजना शुरू की है।
	• भारत गौरव योजना के तहत, **थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनें** या तो निजी या राज्य के स्वामित्व वाले ऑपरेटरों द्वारा चलाई जा सकती हैं।
	  ○ अब तक, भारतीय रेलवे में यात्री खंड और माल खंड थे। अब, इसमें पर्यटन के लिए एक तीसरा खंड भी होगा।
	  ○ लगभग 3,033 कोच या लगभग 150 ट्रेनों को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है।
	• इसके **अंतर्गत ऑपरेटर को रूट, किराया, थीम और सुविधाओं सहित कई सेवाओं को स्वयं से तय करने की स्वतंत्रता होगी।**
	• वे पर्यटकों को रेल यात्रा, होटल आवास, दर्शनीय स्थलों की व्यवस्था आदि सहित **सभी समावेशी पैकेज की पेशकश** करेंगे।

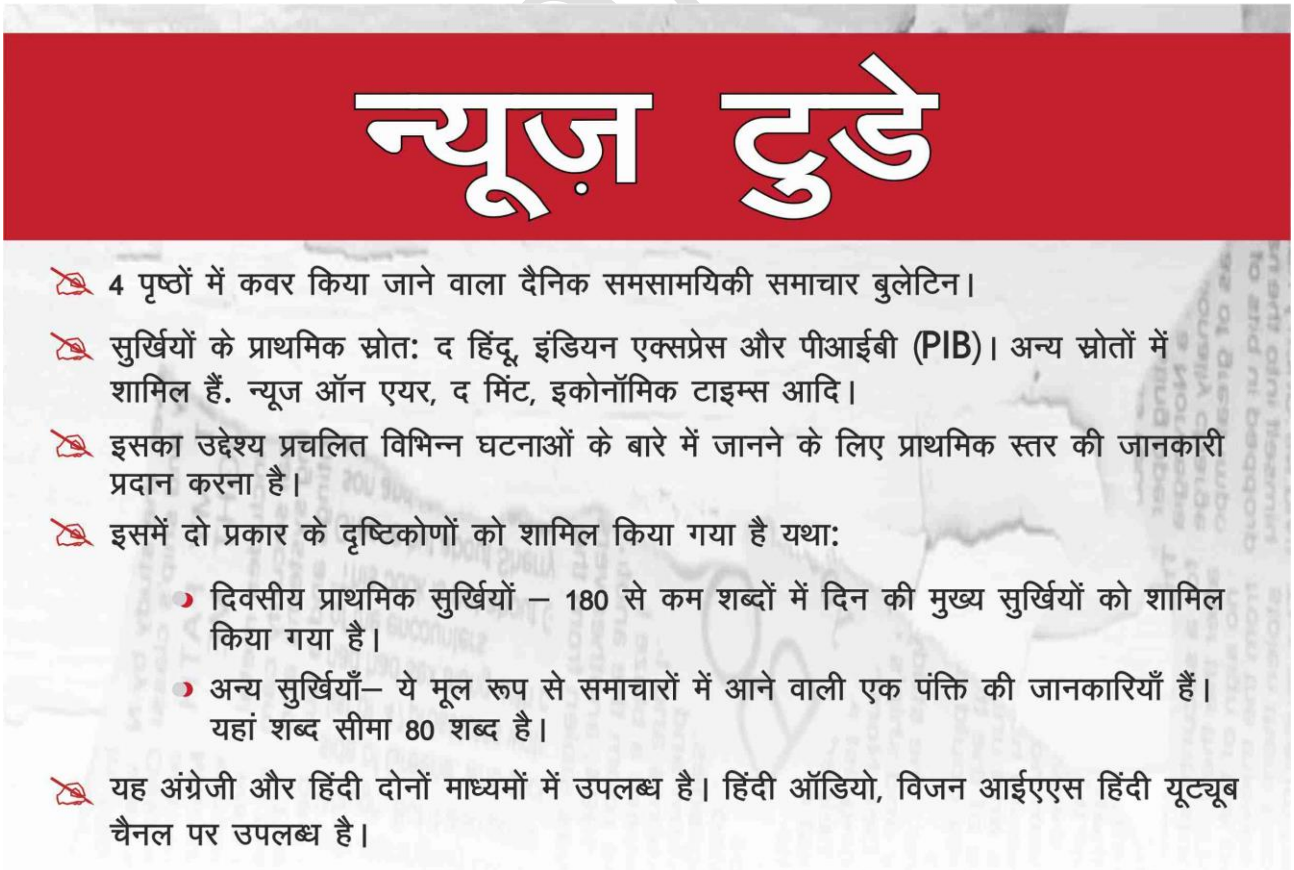

© Vision IAS

30. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)

30.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

30.1.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

गुड सेमेरिटन (नेक व्यक्ति) योजना	• कई राज्यों ने अभी तक **गुड सेमेरिटन योजना** लागू नहीं की है।
	• गुड सेमेरिटन योजना के तहत, कोई भी व्यक्ति जो **सड़क दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल** ले जाकर उसका जीवन बचाता है, उसे **₹5,000 का पुरस्कार** दिया जाएगा।
	  ○ गुड सेमेरिटन को **किसी भी नागरिक और आपराधिक कार्रवाई से सुरक्षा** प्रदान की गई है।
	  ○ गुड सेमेरिटन, अस्पताल या कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष **अपने नाम को प्रकट नहीं करने के लिए स्वतंत्र** है।
	• इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्यों को इसका पर्याप्त प्रचार करना चाहिए।

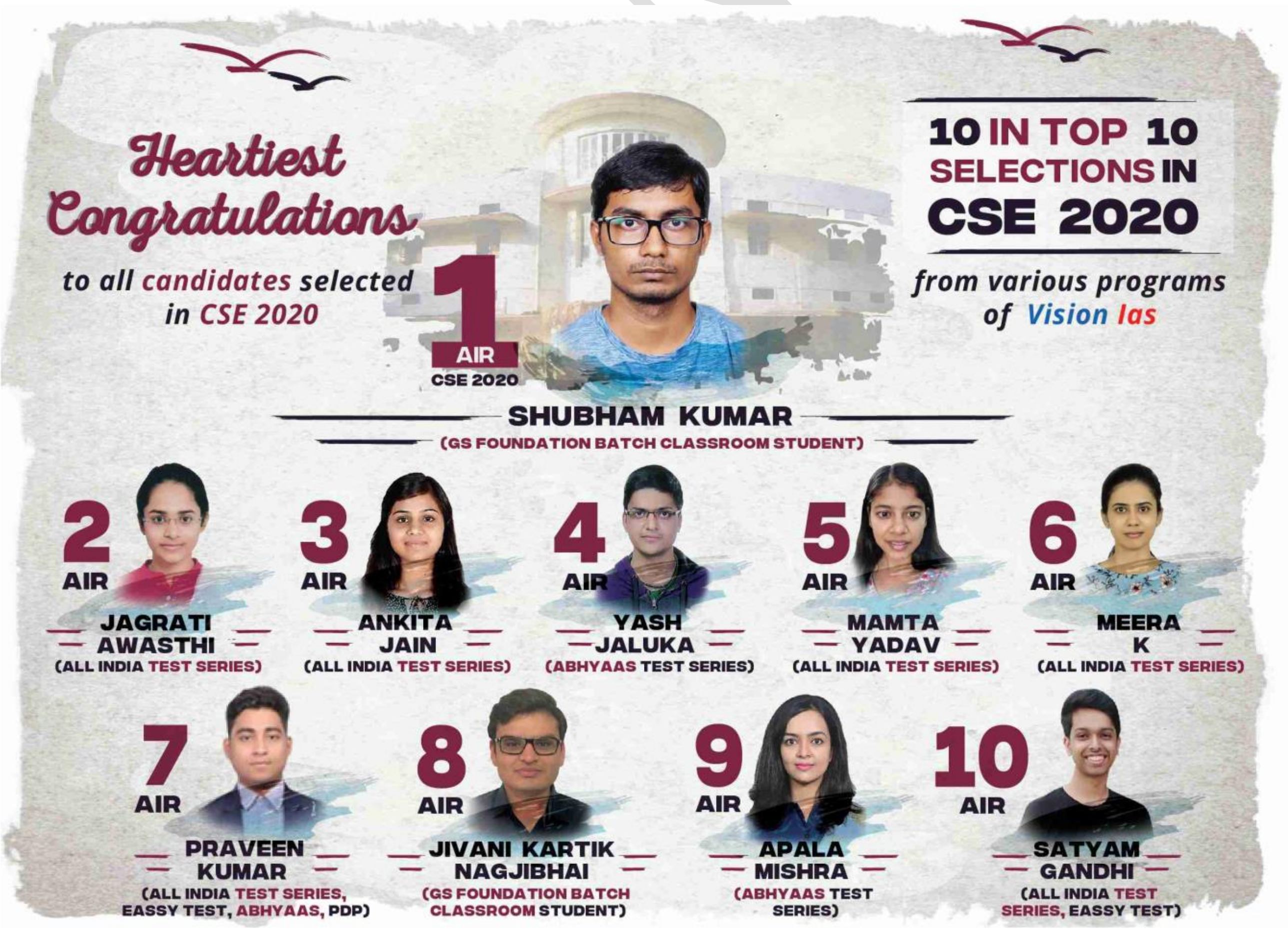

31. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)

31.1. संशोधित योजनाएं (Modified Schemes)

31.1.1. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) {Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin (PMAY-G)}#

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास
	प्रकार	केंद्र प्रायोजित योजना
	लाभार्थियों की पहचान	सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) 2011 के आधार पर, **13 सूत्रीय बहिष्करण मानदंड** के अधीन।
	लाभार्थियों का चयन	**तीन चरणीय सत्यापन** के माध्यम से; SECC 2011, ग्राम सभा और जियो टैगिंग।

उद्देश्य
वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास
वर्ष 2022 तक PMAY-G चरण- II के तहत 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी ग्रामीण बेघर परिवारों और कच्चे एवं जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वालों को वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके यह लक्ष्य पूरा किया जायेगा।

प्रमुख विशेषताएं	
नवीनतम संशोधन	मंत्रिमंडल ने **मार्च 2024** तक PMAY-G के विस्तार को मंजूरी दी है।
लाभार्थी	यह योजना मूल रूप से **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग** (EWS: वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं) और **निम्न आय वर्ग** (LIG: वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं) में लोगों को कवर करने के लिए प्रारंभ की गई थी, किंतु वर्तमान में इसके तहत **मध्य आय वर्ग (MIG)** को भी कवर किया गया है।
ग्राम सभा की भूमिका	लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाएगी। पूर्व में सहायता प्राप्त लाभान्वितों एवं अन्य कारणों से अयोग्य लोगों की पहचान करने के लिए सूची ग्राम सभा को दी जाएगी।
लाभार्थियों को वित्तीय सहायता	• प्रत्येक लाभार्थी को शत प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में 1.20 लाख रुपये (मैदानी क्षेत्रों में) और 1.30 लाख रुपये (पर्वतीय राज्यों/पूर्वोत्तर राज्यों/दुर्गम क्षेत्रों/संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख/एकीकृत कार्य योजना (IAP) जिलों/वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों) प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस अनुदान को केंद्र एवं राज्य 60:40 के अनुपात में वहन करेंगे। • इसके अतिरिक्त, लाभार्थी वित्तीय संस्थानों से 70,000 रुपये तक का ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। • PMAY-G के अंतर्गत निर्मित किये गए सभी आवासों के लिए धनराशि 4 किश्तों में प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में जियोटैग फोटोग्राफी के माध्यम से निर्माण के विभिन्न चरणों के सत्यापन के पश्चात प्रदान की जाती है।
लाभार्थियों को अकुशल श्रम मजदूरी के लिए सहायता	लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90/95 कार्य दिवसों की अकुशल श्रम मजदूरी प्रदान की जाती है। साथ ही, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण या किसी अन्य समर्पित स्रोत के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12000 रुपये की सहायता दी जाती है।
कौशल विकास	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में **राजगीरों के अखिल भारतीय प्रशिक्षण और प्रमाणन का एक कार्यक्रम शुरू** किया गया है।

स्थानीयकरण	यह स्थानीय सामग्रियों और घरों के **स्थानीय विशिष्टता आधारित डिजाइन** का उपयोग करके निर्माण की अनुमति प्रदान करता है।
प्रौद्योगिकी का उपयोग	भू-संदर्भित (geo referenced) तस्वीरों की जांच और उन्हें अपलोड एक मोबाइल ऐप द्वारा किया जाएगा।
अन्य योजनाओं के साथ तालमेल	इस योजना में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एल.पी.जी. कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित पेयजल तक पहुंच आदि के लिए **भारत सरकार तथा राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण का प्रावधान** किया गया है।
निगरानी	कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी समुदाय भागीदारी (सामाजिक लेखा परीक्षा), संसद सदस्य (DISHA समिति), केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों, राष्ट्रीय स्तरीय मॉनिटरिंग आदि के माध्यम से की जानी है।

31.2. सुर्ख़ियों में अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

31.2.1. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-III (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III: PMGSY-III)#

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक महत्वपूर्ण विकासक्रम में, **PMGSY-III के तहत स्वीकृत सड़कों का लगभग 25% पहले ही बनाया जा चुका है।**

स्मरणीय तथ्य	**प्रकार**	यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
	निधि आवंटन अनुपात	यह आठ पूर्वोत्तर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों व 2 संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख) केंद्र एवं राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में है, जबकि शेष सभी राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में है।
	निर्माण हेतु सड़कों की पहचान	**सेवित जनसंख्या, बाजार, शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाओं** आदि के मानकों के आधार पर किसी विशेष सड़क द्वारा प्राप्त अंकों के योग के आधार पर।
	संभावित लाभ	ग्रामीण कृषि बाजारों (GrAMs), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से तथा उनके लिए **आसान और तेज आवागमन की सुविधा।**

उद्देश्य
वर्तमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क का समेकन
PMGSY-III योजना के तहत राज्यों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को समेकित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना में मौजूदा मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क-मार्गों का उन्नयन करना तथा **वर्तमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क का समेकन करना शामिल हैं,** जो ग्रामीण अधिवासों को निम्नलिखित से जोड़ता है: ○ ग्रामीण कृषि बाजार (GrAMs), ○ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तथा ○ अस्पताल।

प्रमुख विशेषताएं	
योजनावधि	वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25
समझौता ज्ञापन (MoU)	राज्यों को संबंधित राज्य में PMGSY-III आरंभ करने से पहले एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा। यह 5 वर्ष की निर्माण रखरखाव अवधि के उपरांत PMGSY के तहत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने हेतु अनिवार्य होगा।

सेतुओं का निर्माण	मैदानी क्षेत्रों में 150 मीटर तक तथा हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों में 200 मीटर तक के सेतुओं के निर्माण का प्रस्ताव है, जबकि मैदानी क्षेत्रों एवं हिमालयी व पूर्वोत्तर राज्यों में क्रमशः 75 मीटर और 100 मीटर के मौजूदा प्रावधान हैं।
PMGSY के तहत प्रगति: योजना के तहत अप्रैल, 2019 तक कुल 5,99,090 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। इसमें PMGSY-I, PMGSY-II और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWEA) योजना भी शामिल हैं।	
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-I (PMGSY-I)	• PMGSY को वर्ष 2000 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्षेत्रों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नामित आबादी के आकार (जनगणना, 2001 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+ और उत्तर-पूर्व, पर्वतीय, जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250+) के पात्र असंबद्ध अधिवासों को एकल बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना था। • 97 प्रतिशत पात्र और व्यवहार्य अधिवासों को पहले ही बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा चुका है।
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-II (PMGSY-II)	• इसे वर्ष 2013 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। जबकि PMGSY- I जारी रहा। PMGSY के चरण II के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे में वृद्धि करने के लिए ग्रामों की कनेक्टिविटी हेतु पहले से ही निर्मित की गई सड़कों को उन्नत किया जाना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए PMGSY-II के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। • उन्नयन की लागत का 75% केंद्र द्वारा और 25 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन किया गया था। पर्वतीय राज्यों, मरुस्थलीय क्षेत्रों, अनुसूची-V में शामिल क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित जिलों के लिए लागत का 90% केंद्र द्वारा वहन किया गया था।
वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र के लिए सड़क संपर्क परियोजना (Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Area: RCPLWEA)	• इसे वर्ष 2016 में PMGSYके तहत एक पृथक परियोजना के रूप में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आरंभ किया गया था। इसे 44 जिलों (वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिले और इनके समीप स्थित 09 जिले) में आवश्यक पुलियों और क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं के साथ बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था, जो सुरक्षा एवं संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

31.2.2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA) (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र ने राज्यों से इस वित्तीय वर्ष से **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य के लिए** मनरेगा योजना के तहत **मजदूरी भुगतान को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित** करने के लिए कहा है।

स्मरणीय तथ्य	प्रकार	**केंद्र प्रायोजित योजना।**
	निधि आवंटन अनुपात	केंद्र सरकार **अकुशल श्रम की लागत का 100%, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों की लागत का 75%, सामग्री की लागत का 75% तथा प्रशासनिक लागत का 6% वहन** करती है।
	मांग आधारित योजना	किसी **ग्रामीण परिवार** द्वारा मांगे जाने पर **गारंटी युक्त रोजगार के रूप में कम से कम 100 दिनों का अकुशल कार्य** उपलब्ध कराना।
	बेरोजगारी भत्ता	मांग किए जाने के **15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना** चाहिए। इसमें विफल रहने पर **'बेरोजगारी भत्ता' दिया जाना** चाहिए।

उद्देश्य	
गारंटीशुदा रोजगार	**समावेशी विकास**
• मांग के अनुसार **ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को** वित्तीय वर्ष में एक गारंटीशुदा रोजगार के रूप में **कम से कम 100 दिनों का अकुशल मैन्युअल कार्य** उपलब्ध कराना, जिसके परिणामस्वरूप **निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व की उत्पादक संपत्तियों का निर्माण** हो;	• **गरीबों के आजीविका संसाधन आधार** को सुदृढ़ करना; • अग्रसक्रिय रूप से सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना; तथा • **पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़** बनाना।

प्रमुख विशेषताएं	

रोजगार का विवरण	• इसके तहत सूखे/प्राकृतिक आपदा वाले अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में अनिवार्य 100 दिनों के अतिरिक्त 50 दिनों के अकुशल मजदूरी संबंधी रोजगार का प्रावधान किया जा सकता है।
	  ○ मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य सरकारें इस अधिनियम के तहत प्रदत्त गारंटीकृत अवधि से अतिरिक्त अवधि (जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा) के लिए रोजगार का प्रावधान कर सकती हैं।
	  ○ रोजगार 5 किमी के दायरे में प्रदान किया जाएगा और यदि दूरी 5 किमी से अधिक है, तो अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
	• **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005** की धारा 6(1) के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, इसके लाभार्थियों के लिए मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकती है।

लक्ष्य	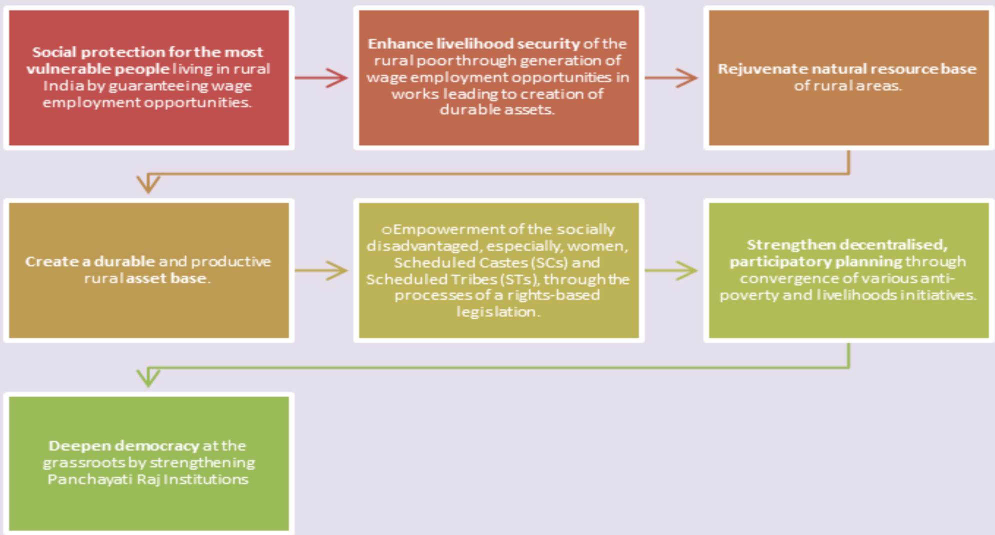
	
	• **प्रमुख लक्ष्य:**
	  ○ मजदूरी के माध्यम से रोजगार के अवसरों की गारंटी प्रदान कर **ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा।**
	  ○ स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण कार्य को बढ़ावा देकर रोजगार अवसरों के निर्माण के माध्यम से **ग्रामीण निर्धनों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि।**
	  ○ ग्रामीण क्षेत्रों के **प्राकृतिक संसाधन आधार का कायाकल्प।**
	  ○ **एक स्थायी और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्ति आधार** का निर्माण।
	  ○ अधिकार-आधारित कानूनों की प्रक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) का सशक्तीकरण।
	  ○ विभिन्न निर्धनता और आजीविका पहलों के अभिसरण के माध्यम से **विकेन्द्रीकृत, सहभागितापूर्ण आयोजन को सुदृढ़** करना।
	  ○ पंचायती राज संस्थानों को सशक्त कर जमीनी स्तर पर **लोकतंत्र को सुदृढ़ करना।**

बेरोजगारी भत्ता	यदि आवेदन करने या कार्य मांगे जाने के पंद्रह दिनों के अन्दर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो **आवेदनकर्ता बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी** होता है। बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

महिला सशक्तीकरण	**कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं** होंगी।
समुदाय की सहभागिता	• **ग्राम पंचायत जांच के बाद परिवारों (हाउसहोल्ड)** को पंजीकृत करती है, और जॉब कार्ड जारी करती है। • मनरेगा के कार्यों का **सामाजिक लेखापरीक्षा (Social Audit)** अनिवार्य है।
गुणवत्ता परिसंपत्ति निर्माण	• अब इस योजना का उद्देश्य **रोजगार सृजन के अतिरिक्त, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार** करना, **उद्यमशीलता के लिए श्रमिकों का कुशल विकास** और GIS मैपिंग तथा कार्य की ब्लॉक-स्तर निगरानी जैसे कार्यों हेतु युवाओं की नियुक्ति करना है।
सृजित परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग	• GeoMGNREGA मनरेगा के तहत निर्मित संपत्तियों की जियोटैगिंग के लिए **राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC)**, इसरो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से MoRD का एक अनूठा प्रयास है।

31.2.3. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission: DAY-NRLM)#

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **DAY-NRLM के तहत 13 राज्यों के 77 जिलों में 152 वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र (सक्षम केंद्र)** शुरू किए गए हैं।

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	**देश में ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिए विविध आजीविका को बढ़ावा देना।**
	प्रकार	**केंद्र प्रायोजित योजना।**
	लाभार्थियों की पहचान	गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की जगह **गरीबों की भागीदारी आधारित पहचान (PIP)**
	कार्यान्वयन	राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समर्पित कार्यान्वयन सहायता इकाई के साथ **विशेष प्रयोजन संस्था** (स्वायत्त सरकारी सोसाइटीज) द्वारा।

उद्देश्य		
ग्रामीण गरीबी को कम करना	**स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और सामुदायिक संस्थानों को मजबूत बनाना**	**संस्थागत क्षमता निर्माण**
निर्धन परिवारों की लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी के रोजगार अवसरों तक पहुंच को सक्षम बना कर ग्रामीण गरीबी को कम करना।	• 2024-25 तक 10-12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को समयबद्ध रूप से स्व-सहायता समूहों में संगठित करना। • **सशक्त समुदाय संस्थानों के निर्माण के माध्यम** से निर्धनों की आजीविका में सतत सुधार लाना।	ग्रामीण गरीबों के लिए **कुशल और प्रभावी संस्थागत प्लेटफॉर्म स्थापित** करना, जो उन्हें आजीविका में वृद्धि तथा वित्तीय और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं।

मुख्य विशेषताएं	
आजीविका	• **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP)** को निम्नलिखित उद्देश्यों से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की **उप-योजना** के रूप में डिजाइन किया गया है: ○ **अवधारणा के प्रमाण (प्रूफ ऑफ़ कॉन्सेप्ट)** हेतु, ○ केंद्र और राज्यों के **क्षमता-निर्माण** हेतु,

© Vision IAS

	○ सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** की शुरुआत को सुविधाजनक बनाने के लिए एक **सक्षम वातावरण बनाने** हेतु।
वित्तीय समावेशन	• **वित्तीय समावेशन:** मांग पक्ष के संदर्भ में, यह गरीबों के बीच **वित्तीय साक्षरता** को बढ़ावा देता है और स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों को **उत्प्रेरक पूंजी** प्रदान करता है। • आजीविका संवर्धन एवं वित्तीय सुविधा को बढ़ावा देने हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना अर्थात् **"राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (NRETP)"** को स्वीकृति प्रदान की गयी है।
कौशल विकास	• यह **आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम (ASDP)** को क्रियान्वित करता है। इस उद्देश्य के लिए NRLM कोष का 25% भाग निर्धारित है। ASDP ग्रामीण युवाओं के कौशल और अर्थव्यवस्था के बढ़ते क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्च वेतन रोजगार में नियुक्ति की सुविधा प्रदान करता है। • NRLM, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को **ग्रामीण विकास स्व-रोजगार संस्थान (RUDSETI) मॉडल** के आधार पर देश के सभी जिलों में **ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)** स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
संस्थागत क्षमता निर्माण	• यह **रिवॉल्विंग फंड (RF)** और **सामुदायिक निवेश कोष (CIF)** के माध्यम से संसाधन प्रदान करता है, जिससे उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत किया जा सके तथा मुख्यधारा के बैंक वित्त को आकर्षित करने के लिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड निर्मित कर सकें। • **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना** को NRLM के उप-समुच्चय (सब-सेट) के रूप में डिजाइन किया गया है। इससे **'अवधारणा का प्रमाण' (प्रूफ ऑफ़ कॉन्सेप्ट)** बनाया जा सकेगा, केंद्र और राज्यों की क्षमताओं का निर्माण किया जा सकेगा तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को NRLM में स्थानांतरित (transit) करने हेतु एक सक्षम वातावरण बनाया जा सकेगा। NRLM को देश में लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों के लिए 13 उच्च निर्धनता वाले राज्यों में लागू किया जाएगा।
DAY-NRLM का विशेष प्रस्ताव	इस मिशन में स्वयं सहायता की भावना से सामुदायिक पेशेवरों के माध्यम से **सामुदायिक संस्थानों के साथ कार्य करना** शामिल है।
यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन	प्रत्येक चिह्नित **निर्धन ग्रामीण परिवार में से कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क** के अंतर्गत लाया जाना है। सुभेद्य समुदायों पर विशेष बल दिया जाता है।
सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण (Participatory Identification of Poor: PIP)	PIP एक **समुदाय संचालित प्रक्रिया** है, जहां CBOs स्वयं सहभागितापूर्ण ढंग से गांव में गरीबों को चिह्नित करते हैं। CBOs द्वारा पहचाने गए गरीबों की सूची का निरीक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाता है।
संबंधित पहल	
सक्षम केंद्र	• इस केंद्र का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण गरीबों को **वित्तीय साक्षरता प्रदान करना एवं वित्तीय सेवाओं** (बचत, ऋण, बीमा, पेंशन आदि) के वितरण की सुविधा उपलब्ध करवाना है। • ग्रामीण विकास मंत्रालय ने **"सक्षम" नामक मोबाइल और वेब-आधारित एप्लिकेशन** भी विकसित किया है। इसका उपयोग अलग-अलग **वित्तीय सेवाओं के प्रवेश में सहायता के लिए** 'सामुदायिक संसाधन व्यक्ति' द्वारा किया जाएगा।
आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (Aajeevika Grameen Express Yojana: AGEY)	• इसे वर्ष 2017 में **DAY-NRLM को सुसाध्य बनाने हेतु इसके तहत एक उप-योजना के रूप में** प्रारंभ किया गया था। • AGEY का उद्देश्य **स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों द्वारा संचालित वाहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को संपर्कता प्रदान करना** है।

	• DAY–NRLM के तहत समुदाय आधारित संगठनों (Community Based Organisations: CBOs) के परामर्श से **राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihoods Missions: SRLMs)** उन मार्गों की पहचान करते हैं, जहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, परन्तु परिवहन सेवाएं निम्नस्तरीय हैं। • SHG सदस्यों को वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर पहचाने गए मार्गों पर **वाहनों के संचालन के लिए CBOs द्वारा ब्याज मुक्त ऋण** प्रदान किया जाता है। • AGEY हेतु **पृथक रूप से कोई बजटीय आवंटन नहीं** किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, DAY-NRLM के मौजूदा प्रावधानों के तहत CBOs को प्रदान किए गए सामुदायिक निवेश कोष (Community Investment Fund: CIF) का उपयोग SHG सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है।

31.2.4. सांसद आदर्श ग्राम योजना {Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कोविड की वजह से पिछड़ गई है।

स्मरणीय तथ्य	लक्ष्य	मार्च 2019 में **तीन ग्राम आदर्श** ग्रामों का विकास (2016 तक 1 ग्राम) करना। इसके पश्चात **वर्ष 2024 तक पांच ऐसे आदर्श ग्रामों का चयन और विकास** (प्रत्येक वर्ष एक गांव)।
	ग्राम पंचायतों का चयन	आदर्श ग्राम के विकास के लिए **सांसद किसी ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं परन्तु स्वयं या अपने जीवनसाथी के ग्राम पंचायत का नहीं।**
	वित्त पोषण	इस योजना के लिए **कोई नयी निधि आवंटित नहीं** की गयी है
	एकीकरण	सांसद आदर्श ग्राम योजना **अलग-अलग विकास योजनाओं के तालमेल एवं समन्वय पर आधारित** है।

उद्देश्य	
पहचानी गई ग्राम पंचायतों का विकास	**जीवन स्तर में सुधार**

• उन प्रक्रियाओं में तेजी लाना जो चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास को बढ़ावा देती हैं।
• स्थानीय स्तर के विकास और प्रभावी स्थानीय शासन के मॉडल को विकसित करना जो निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को सीखने और उन उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें।
	• निम्नलिखित उपायों के माध्यम से जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार:
	  ○ उन्नत बुनियादी सुविधाएं
	  ○ उच्चतर उत्पादकता
	  ○ संवर्धित मानव विकास
	  ○ बेहतर आजीविका के अवसर
	  ○ असमानता में कमी
	  ○ अधिकारों और दावों तक पहुंच
	  ○ व्यापक सामाजिक गतिशीलता
	  ○ समृद्ध सामाजिक पूंजी

प्रमुख विशेषताएं	
ग्राम पंचायत स्तर पर विकास	विकास के लिए ग्राम पंचायत आधारभूत इकाई होगी। इसकी आबादी मैदानी क्षेत्रों में 3000-5000 और पहाड़ी, आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में 1000-3000 होगी।
ग्राम पंचायत की पहचान	इसके तहत **संसद के प्रत्येक सांसद एक ग्राम पंचायत को तत्काल** चुनेंगे तथा दो अन्य को कुछ समय पश्चात् चुना जाएगा।

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>कौन</th><th>ग्राम पंचायत का चयन</th></tr>
<tr><td>लोक सभा सांसद</td><td>अपने निर्वाचन क्षेत्र से</td></tr>
<tr><td>राज्य सभा सांसद</td><td>जहां से वह चुना गया है वहां अपनी पसंद के जिले के ग्रामीण अंचल से</td></tr>
<tr><td>नामनिर्दिष्ट सांसद</td><td>देश में किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र से</td></tr>
<tr><td colspan="2">• शहरी निर्वाचन क्षेत्रों (जहां ग्राम पंचायत नहीं हैं) के मामले में, सांसद निकट के ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत की पहचान करेंगे।
• सांसद इस योजना के तहत जीवनसाथी के ग्राम या अपने ग्राम का चयन नहीं कर सकते हैं।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>मांग संचालित विकास</td><td>विकास रणनीति का मॉडल आपूर्ति-संचालित न होकर मांग-संचालित होगा।</td></tr>
<tr><td>वित्त के स्रोत</td><td>SAGY वित्तपोषण:
• संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)
• केंद्रीय क्षेत्र की, केंद्र प्रायोजित तथा राज्य योजनाओं के अभिसरण द्वारा मौजूदा योजनाओं की संबंधित निधियां
• ग्राम पंचायतों के स्वयं के राजस्व
• निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व
• केंद्र और राज्य वित्त आयोग अनुदान</td></tr>
<tr><td>कुछ मूल्यों को स्थापित करना, जैसे:</td><td>सामाजिक न्याय, समुदाय की भावना, स्वच्छता, जवाबदेही, स्थानीय स्वशासन, शांति और सौहार्द, पर्यावरण हितकामना, लोगों की भागीदारी, लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा, अंत्योदय</td></tr>
<tr><td>कार्यान्वयन</td><td>इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम विकास योजना के माध्यम से किया जाएगा जो प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत के लिए तैयार किया जाएगा।</td></tr>
</table>

32. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology)

32.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme)

32.1.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान (साथी/SATHI) योजना {Sophisticated Analytical & Technical Help Institutes (SATHI) scheme}	• **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** ने **साथी** नामक एक योजना शुरू की है। • DST अगले चार वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष पांच साथी केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। वर्तमान में ऐसे 3 केंद्र, यथा - **IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली** और **बी.एच.यू. वाराणसी** में पहले से मौजूद हैं। • वे **उच्च दर्जे के विश्लेषणात्मक** परीक्षण की सामान्य सेवाएं प्रदान करेंगे, इस प्रकार **दोहराव और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम** करेंगे। • इसका उद्देश्य उच्चतम स्तर की दक्षता, पहुंच और पारदर्शिता के साथ **पेशेवर रूप से प्रबंधित सेवाएं प्रदान करना** है।

32.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes In News)

32.2.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र (I-STEM)	I-STEM योजना हाल ही में दुसरे चरण में प्रवेश कर गया है। • I-STEM **अनुसंधान एवं विकास (R&D) सुविधाओं को साझा** करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। ○ इसे भारत के **प्रधान मंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद मिशन** के तत्वावधान में **वर्ष 2020 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक पहल के रूप में** लॉन्च किया गया था। • **इसका लक्ष्य** शोधकर्ताओं को संसाधनों से जोड़कर और मौजूदा सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं तक पहुंच को सक्षम करके **अनुसंधान व विकास का पारितंत्र विकसित करना है।** • दूसरे चरण के तहत, पोर्टल **स्वदेशी प्रौद्योगिकी उत्पादों की** मेजबानी करेगा **और सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर्स के लिए मंच भी प्रदान करेगा।**
विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड-फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट (SERB-FIRE) {Science and Engineering Research Board- Fund for Industrial Research Engagement (SERB-FIRE)}	• यह **इंटेल इंडिया** के सहयोग से **SERB** (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय) **द्वारा आरंभ की गई एक शोध पहल है।** • FIRE भारत में प्रमुख अनुसंधान और विकास (R&D) संगठनों के सहयोग से **नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने तथा शैक्षिक अनुसंधान को मजबूत करने के लिए** एक सह-वित्तपोषण तंत्र के साथ सरकार एवं उद्योग की एक संयुक्त पहल है। • नई पहल का उद्देश्य **व्यापक स्तर पर समाज के लाभ के लिए उद्योग-विशिष्ट समस्याओं को हल करने हेतु** शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करना है।

© Vision IAS

33. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment)

33.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

33.1.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

स्माइल- वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता योजना {SMILE- Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise Scheme}	• **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक छत्र योजना 'स्माइल' को लांच किया है।** • इस योजना में **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपायों** सहित विभिन्न व्यापक उपाय शामिल हैं। साथ ही इस योजना में **पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास,आर्थिक संबंधों/गठजोड़ आदि** पर व्यापक रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। • **'स्माइल' में दो उप-योजनाएं शामिल हैं:** ○ **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास** के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। ○ **भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास** के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना।
श्रेष्ठ योजना	• डॉ. भीम राव अम्बेडकर **की 66वीं पुण्यतिथि (महापरिनिर्वाण दिवस) के अवसर पर** "श्रेष्ठ योजना" को शुरू किया गया है। ○ इसे **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा** कार्यान्वित किया जा रहा है। • इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके **अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास में सहायता करना है।**
विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना (Scheme for Economic Empowerment of DNTs: SEED/सीड)	• केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना (SEED)[29] शुरू की है। • सीड योजना **विमुक्त (Denotified Tribes: DNTs), घुमंतू (Nomadic Tribes: NTs) और अर्ध-घुमंतू (Semi Nomadic Tribes: SNTs) जनजातीय समुदायों के सशक्तीकरण के लिए एक छत्र योजना** है। • **इस योजना के चार घटक हैं:** ○ **शैक्षिक सशक्तीकरण-** इन समुदायों के छात्रों को सिविल सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एम.बी.ए. आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। ○ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के माध्यम से **स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा।** ○ **आय सृजन में सहायता के लिए आजीविका के विकल्प प्रदान किए जाएंगे** और ○ प्रधानमंत्री आवास योजना/ इंदिरा आवास योजना के माध्यम से **आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।** • इस योजना के लिए **200 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।** योजना की समयावधि **वर्ष 2021-22 से शुरू होकर पांच वर्ष** की है। • **विकास और कल्याण बोर्ड को DNTs, SNTs एवं NTs के लिए** योजना के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। • विमुक्त जनजातियों से तात्पर्य उन समुदायों से है, जिन्हें औपनिवेशिक युग के **आपराधिक जनजाति अधिनियम (CTA) 1871** के तहत **'जन्मजात अपराधी'** के रूप में अधिसूचित

[29] Scheme for Economic Empowerment of DNTs

	किया गया था। ○ स्वतंत्रता के बाद, आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त कर दिया गया और इन समुदायों को "विमुक्त" घोषित कर दिया गया। ○ बाद में इसके स्थान पर **'आदतन अपराधी अधिनियम, 1952'** पारित किया गया था।

33.2. सुर्ख़ियों में अन्य योजनाएं (Other Schemes In News)

33.2.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

वयो नमन कार्यक्रम (VAYO NAMAN Programme)	• इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (1 अक्टूबर) के अवसर पर **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** ने किया था। • इस अवसर पर **निम्नलिखित पहलें आरंभ की गईं हैं:** ○ वृद्धजनों की सहायता के लिए **14567** नामक एक विशेष **हेल्पलाइन नंबर।** ○ वृद्धजनों की देखभाल के क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पोर्टल।** ○ वरिष्ठ नागरिकों को निजी क्षेत्र में नौकरी प्रदाताओं से जोड़ने हेतु **सक्षम वरिष्ठ नागरिक को आत्म-सम्मान के साथ पुन: रोजगार प्रदान करने के लिए पोर्टल** (SACRED)।
सक्षम वरिष्ठ नागरिक को आत्म-सम्मान के साथ पुन: रोजगार प्रदान करने के लिए पोर्टल {Senior Able Citizens for Re Employment in Dignity (SACRED) Portal}	• **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत, यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी तरह का प्रथम समर्पित रोजगार कार्यालय पोर्टल है।** ○ यह रोजगार की इच्छा रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों और रोजगार प्रदाताओं को एक साथ लाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ○ **लान्जिटूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (LASI) रिपोर्ट 2020** के अनुसार, **50% से अधिक वरिष्ठ नागरिक** सक्रिय पाए गए हैं। • महत्व- यह **वरिष्ठ नागरिकों के स्वस्थ, सुखी, सशक्त, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन** को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। • **इसके तहत प्लेटफॉर्म के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि** के साथ-साथ रखरखाव अनुदान के रूप में पांच वर्ष हेतु प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना {Pradhan Mantri Dakshata Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM-DAKSH)}	• हाल ही में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने **'पीएम-दक्ष'** पोर्टल और **'पीएम-दक्ष'** मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इन्हें **राष्ट्रीय ई-अभिशासन प्रभाग** (NeGD) के सहयोग से विकसित किया गया है। इनका उद्देश्य लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाना है। • **पीएम-दक्ष** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक कौशल विकास योजना है। • वर्ष 2020-21 में आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारियों आदि 2.71 लाख व्यक्तियों को **निम्नलिखित हस्तक्षेपों के माध्यम से नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है:** ○ कौशल-उन्नयन/ पुनः कौशल प्रशिक्षण (Up-skilling/Reskilling), ○ अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्वरोजगार पर विशेष ध्यान), ○ दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (वैश्विक स्तर के कौशल के लिए) और ○ उद्यमिता विकास कार्यक्रम।

VISION IAS

34. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation)

34.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

34.1.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मंत्रिमंडल ने **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) को पुनः शुरु करने** और जारी रखने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने **इसे वित्त वर्ष 2021-22 के शेष महीनों और 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ-साथ वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने** की स्वीकृति प्रदान की है।

स्मरणीय तथ्य	योजना का प्रकार	**केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।**
	वित्तपोषण	प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र में **वार्षिक MPLADS अव्यपगत निधि पात्रता 5 करोड़ रुपये है।**
	अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण	MPLADS योजना को केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की निजी/ स्टैंड अलोन परियोजनाओं के साथ मिश्रित किया जा सकता है बशर्ते कि इन योजनाओं के तहत कार्य MPLADS के तहत पात्र हों।
	कार्यान्वयन एजेंसी	**जिला प्राधिकरण एक उपयुक्त कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण का चयन करेगा:** इसके माध्यम से एक सांसद द्वारा अनुशंसित एक विशेष कार्य निष्पादित किया जाएगा।

उद्देश्य
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का विकास
राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कि पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों इत्यादि के क्षेत्र में **स्थानीय स्तर पर अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण कार्यों** हेतु सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों को सक्षम बनाना।

प्रमुख विशेषताएं	
जिलों के लिए सहायक	अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर **निधि की राशि सीधे जिला अधिकारियों को अनुदान सहायता** के रूप में जारी की जाती है।
अनुशंसाएं	

सांसद	सिफारिश कर सकते हैं
लोक सभा सदस्य	अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर
राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य	अपने निर्वाचन राज्य (कुछ अपवादों के अतिरिक्त) के भीतर
संसद के किसी निर्वाचित सदस्य को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बाहर या राज्य के भीतर परन्तु उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर या दोनों में ही MPLADS निधि का योगदान करने की आवश्यकता अनुभव होती है, तो वह अधिकतम 25 लाख रुपये तक के उपर्युक्त कार्यों की संस्तुति कर सकता है।	

	लोक सभा एवं राज्य सभा के नामनिर्देशित सदस्य — देश के किसी भी क्षेत्र में
अनुसूचित जातियों (SCs)/अनुसूचित जनजातियों (STs) के संबंध में विशेष प्रावधान	• सांसदों को प्रत्येक वर्ष **अधिकृत MPLADS** राशि का **कम से कम 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति द्वारा अधिवासित क्षेत्रों में और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (ST) द्वारा अधिवासित क्षेत्रों के लिए** व्यय करने की संस्तुति करनी होती है। • यदि **लोकसभा सदस्य के क्षेत्र में अपर्याप्त जनजातीय आबादी है,** तो वे अपने **निर्वाचन क्षेत्र के बाहर जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों** के निर्माण के लिए इस राशि की संस्तुति कर सकते हैं, लेकिन अपने निर्वाचन राज्य के भीतर। • किसी राज्य में **अनुसूचित जनजाति (ST) अधिवासित क्षेत्र नहीं होने पर** इस राशि का उपयोग अनुसूचित जाति अधिवासित क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसी प्रकार, किसी राज्य में अनुसूचित जाति (SC) अधिवासित क्षेत्र नहीं होने पर इस राशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति अधिवासित क्षेत्रों में किया जा सकता है।
प्राकृतिक आपदा	देश के किसी भी हिस्से में **"गंभीर प्राकृतिक आपदा"** की स्थिति में, • सांसद प्रभावित जिले के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों की संस्तुति कर सकता है। आपदा गंभीर प्रकृति की है या नहीं, इसका निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
एक सांसद - एक विचार (One MP - One Idea)	विकासात्मक परियोजनाओं के संबंध में स्थानीय लोगों से प्राप्त नवीन विचारों के आधार पर, **प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में वार्षिक रूप से एक 'एक सांसद-एक विचार' प्रतियोगिता** आयोजित की जा सकती है। इसमें नकद पुरस्कारों के लिए तीन सर्वश्रेष्ठ नवाचारों का और प्रशंसा प्रमाण-पत्र के लिए अगले पांच सर्वोत्तम नवाचारों का चयन किया जा सकता है।
प्रक्रिया	• **सांसद द्वारा नोडल जिला प्राधिकरण के समक्ष कार्य की अनुशंसा की जाती है।** • **तत्पश्चात संबंधित नोडल जिला, अनुशंसित योग्य कार्यों को कार्यान्वित करने तथा निष्पादित कार्यों और व्यय की गई राशि के विवरण को बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होता है।**

नोट: वर्ष 2020 में, मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान MPLADS को संचालित नहीं करने तथा कोविड-19 महामारी के प्रभावों से **निपटने** के लिए इस राशि को **वित्त मंत्रालय के अधीन रखने** का निर्णय लिया था।

35. इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel)

35.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Schemes)

35.1.1. विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Specialty Steel}

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	कंपनियों को **अपने घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने** के लिए प्रोत्साहित करना।
	5 लक्ष्य खंड	• कोटेड/प्लेटेड इस्पात उत्पाद, • हाई स्ट्रेंथ/ वियर रेजिस्टेंट स्टील, • स्पेशियलिटी रेल, • अलॉय स्टील उत्पाद और स्टील वायर तथा • इलेक्ट्रिकल स्टील।
	आवेदक/ पात्र	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में पंजीकृत कंपनी, जिसमें संयुक्त उद्यम भी शामिल हैं।
	योजना अवधि	**वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक पांच वर्ष**

उद्देश्य:
देश के भीतर विशेष इस्पात श्रेणी के निर्माण को बढ़ावा देना। साथ ही, भारतीय इस्पात उद्योग को प्रौद्योगिकी के मामले में परिपक्व होने के साथ-साथ उसे मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ाने में मदद करना।

मुख्य विशेषताएं:	
विशेष इस्पात	• **विशेष इस्पात** मूल्य वर्धित इस्पात है। इसमें सामान्य तौर पर निर्मित इस्पात पर कोटिंग, प्लेटिंग, उष्मीय उपचार आदि के माध्यम से गुण संवर्धन किया जाता है, ताकि इसे **उच्च मूल्य वर्धित इस्पात में परिवर्तित** किया जा सके। विशेष इस्पात का **रक्षा, अंतरिक्ष आदि जैसे विभिन्न रणनीतिक अनुप्रयोगों** में उपयोग किया जा सकता है। • भारत ऐसे इस्पात की घरेलू आवश्यकता को आयात के माध्यम से पूरी करता है। इस पर लगभग 30,000 करोड़ रुपये का वार्षिक विदेशी मुद्रा व्यय होता है। • ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, रक्षा और पाइप जैसे उद्योग इस्पात की इस श्रेणी के उपभोक्ता हैं और भारत इसक आयात कर रहा है।
देश के भीतर ही विनिर्माण का प्रत्येक चरण पूरा करना	विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना से यह सुनिश्चित होगा कि प्रयुक्त मूल इस्पात को देश के भीतर ही 'पिघलाया और ढाला' जाए। इसका अर्थ है कि विशेष इस्पात का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त कच्चा माल (तैयार इस्पात) भारत में ही बनाया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना से देश के भीतर एंड-टू-एंड विनिर्माण को बढ़ावा मिले।
प्रोत्साहन	PLI प्रोत्साहन के 3 स्लैब हैं। सबसे कम 4% और उच्चतम 12% है, जिसका इलेक्ट्रिकल स्टील (CRGO) के लिए प्रावधान किया गया है। **आधार वर्ष: वर्ष 2019-2020**
कंपनियों का चयन	पात्र कंपनी का चयन करने के लिए एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। "योजना अवधि के दौरान अपने निवेश को शुरुआत में पूर्णतः आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध" पात्र कंपनियों को वरीयता दी जाएगी।

प्रतिबद्ध निवेश	प्रत्येक आवेदक PLI योजना अवधि के दौरान प्रत्येक **उत्पाद उप-श्रेणी** के लिए निवेश करेगा। यह प्रतिबद्ध निवेश, दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट न्यूनतम इकाई निवेश के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।
योजना के लिए उपलब्ध वित्त सीमित है	• अधिक उपलब्धि के मामले में भी प्रोत्साहनों का कुल भुगतान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राशि तक ही सीमित होगा। • देय वार्षिक प्रोत्साहन राशि 200 करोड़ रुपये प्रति पात्र कंपनी होगी। इसमें सभी उत्पाद श्रेणियों में कंपनियों के समूह या संयुक्त उद्यम शामिल हैं।
निगरानी	**मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (EGoS)** PLI योजना की निगरानी करेगा।

36. वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textiles)

36.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

36.1.1. वस्त्रों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles}

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	**MMF वस्त्र की 14 श्रेणियों, तकनीकी वस्त्रों की 10 श्रेणियों और MMF परिधानों** के उत्पादन को प्रोत्साहित करना
	आवेदक/पात्र	भारत में **निगमित कंपनी/ फर्म/ सीमित देयता भागीदारी (LLP)/ ट्रस्ट सहित कोई भी व्यक्ति,** जो योजना के तहत परिचालन में रुचि रखता है।
	योजना अवधि	**24.09.2021 से 31 मार्च 2030** तक और योजना के तहत प्रोत्साहन केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।
	क्रियान्वयन	वस्त्र मंत्रालय द्वारा नियुक्त **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)** द्वारा।

उद्देश्य

- देश में **उच्च मूल्य के मानव निर्मित रेशों (Man-Made Fibre: MMF) के परिधान, MMF वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन** को प्रोत्साहन प्रदान करना।

देश में **मानव निर्मित फाइबर (MMF)** परिधान और वस्त्र तथा तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना। इससे वस्त्र उद्योग को आकार और विस्तार हासिल करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। साथ ही, यह **विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा और लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजनकर्ता भी बनेगा।** यह योजना एक **व्यवहार्य उद्यम और प्रतिस्पर्धी वस्त्र उद्योग** के निर्माण का समर्थन करती है।

प्रमुख विशेषताएं

आवेदक	भारत में निगमित कंपनी/ फर्म/ सीमित देयता भागीदारी (LLP)/ ट्रस्ट सहित कोई भी व्यक्ति, जो योजना के तहत परिचालन में रुचि रखता है। **योजना के तहत एक बार चुने गए आवेदक को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक नई/ अलग कंपनी बनाने की आवश्यकता होगी।** इस नई इकाई को प्रतिभागी के रूप में जाना जाएगा।
पात्रता	वह कंपनी/ फर्म/ LLP/ ट्रस्ट सहित कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक अलग विनिर्माण कंपनी बनाने और न्यूनतम निवेश मानदंड को पूरा करने का इच्छुक है।
प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होने की सीमा	**सीमा विवरण** • न्यूनतम निवेश (भूमि और प्रशासनिक भवन लागत को हटाकर) - योजना भाग-1 (300 करोड़ रुपये), योजना भाग-2 (100 करोड़ रुपये) • प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम टर्नओवर- योजना भाग-1 (600 करोड़ रुपये), योजना भाग-2 (200 करोड़ रुपये)

Threshold description	Scheme Part-1	Scheme Part 2
Minimum investment (excluding land and administrative building cost)	**₹300 Crore**	**₹100 Cr**
Minimum turnover for being eligible to get incentive	**₹600 Crore**	**₹200 Crore**

प्रोत्साहन पर अधिकतम सीमा	• दूसरे वर्ष से प्रोत्साहनों की गणना के प्रयोजन के लिए निर्धारित न्यूनतम वृद्धिशील कारोबार में **25% की वृद्धि के ऊपर 10% की सीमा** का प्रावधान होगा। उस सीमा से अधिक प्राप्त टर्नओवर को प्रोत्साहन की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। • हालांकि, पहले वर्ष के लिए वर्ष 2024-25 तक योजना के तहत किए गए निवेश के दो गुना कारोबार के ऊपर **10% की सीमा** लागू होगी। • निवेश के दो गुना से अधिक प्राप्त टर्नओवर + 10% को पहले वर्ष में प्रोत्साहन की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। यह दोनों योजनाओं भाग 1 और 2 पर लागू होगा।
अपात्र निवेश	भूमि और प्रशासनिक भवन में निवेश, उदाहरण- कार्यालय और अतिथि गृह भवन, इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।
निगरानी	**मंत्रिमंडल सचिव** की अध्यक्षता में **सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) PLI योजना** की निगरानी करेगा।

36.1.2. प्रधान मंत्री – मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क (पीएम मित्र) योजना {Pradhan Mantri - Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks Scheme (PM MITRA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 व्यापक एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) (MITRA)[30] पार्क्स की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है।

स्मरणीय तथ्य	**उद्देश्य**	निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और वैश्विक वस्त्र बाजार में स्वयं को मजबूती से स्थापित करना।
	5 F-आधारित विज़न	खेत (Farm) से रेशे (Fibre) से कारखाने (Factory) से फैशन (Fashion) से विदेशी (Foreign) तक
	पात्र साइट्स	विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड/ ब्राउनफील्ड साइट्स।
	योजनावधि	वर्ष 2027-28 तक 7 वर्ष के लिए

उद्देश्य		
संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG-9)	**रसद लागत कम करना और प्रतिस्पर्धा में सुधार करना**	**अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभों का विस्तार करना**
संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG)-9 ("लचीली अवसंरचना का निर्माण, सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा देना तथा नवाचार को प्रोत्साहन देना") को प्राप्त करने में भारत की मदद करना।	कपड़ा उद्योग की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला (value-chain) के लिए एकीकृत, बड़े पैमाने की और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा का विकास करना। यह **संचालन या लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करेगा तथा** भारतीय वस्त्रों की **प्रतिस्पर्धात्मकता को बढाएगा।**	यह योजना निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और वैश्विक कपड़ा बाजार में खुद को मजबूती से स्थापित करने में भारत की मदद करेगी। इन पार्कों को ऐसे स्थानों पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिनमें वस्त्र उद्योग के फलने-फूलने के लिए अंतर्निहित क्षमता और सफल होने के लिए आवश्यक लिंकेज हैं।

प्रमुख विशेषताएं:	
एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला	उद्योग की लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए एक स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण/ रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला स्थापित करने का अवसर प्रदान करना।
भूमि की आवश्यकता	पात्र होने के लिए इच्छुक राज्य सरकारों के पास 1000+ एकड़ संस्पर्शी और बाधा -मुक्त भू-खंडों की उपलब्धता

[30] Mega Integrated Textile Region and Apparel

	होनी चाहिए।
स्थानों के चयन के लिए चुनौती (चैलेंज) विधि	स्थानों का चयन चुनौती (चैलेंज) पद्धति के माध्यम से होगा। इसमें विभिन्न मापदंडों के भारांश को शामिल किया जाएगा। **उदाहरण के लिए कनेक्टिविटी, विद्युत अवसंरचना, जल और अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली, उद्योग के अनुकूल श्रम कानून, एकल खिड़की मंजूरी, राज्य की स्थिर और अनुकूल औद्योगिक/ वस्त्र नीति।**
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड	• पी.एम.मित्र पार्क को **डिजाइन-निर्माण-वित्त-संचालन-हस्तांतरण (DBFOT)** प्रारूप पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) आधारित मास्टर डेवलपर (MD) मॉडल में विकसित किया जाएगा। • हालांकि, असाधारण स्थिति में अन्य मॉडल जैसे सरकारी विशेष प्रयोज्य वाहन (SPV) के नेतृत्व वाले मॉडल या निजी डेवलपर की सीमित भागीदारी के साथ हाइब्रिड मॉडल को भी भारत सरकार के अनुमोदन से स्वीकार किया जा सकता है।
पार्क में सुविधाएं	• **मूलभूत अवसंरचना:** इन्क्यूबेशन केंद्र और प्लग एंड प्ले सुविधा, विकसित फैक्ट्री स्थल, सड़क, विद्युत, जल तथा अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली आदि। • **सहायक अवसंरचना:** कर्मचारी हॉस्टल और आवास, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग आदि।
मूलभूत अवसंरचना के निर्माण के लिए विकास पूंजी सहायता (DCS)	• **ग्रीनफील्ड पार्क** के लिए **परियोजना लागत का 30% सहयोग** प्रदान किया जाएगा। हालांकि, इस सहयोग की अधिकतम सीमा 500 करोड़ रुपये होगी। • **ब्राउनफील्ड स्थलों के लिए यह सहयोग,** शेष बुनियादी ढांचे और अन्य सहायक सुविधाओं की **परियोजना लागत का 30% होगा।** इसकी अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
प्रमुख अवसंरचना	• विकसित फैक्ट्री स्थल, प्लग एंड प्ले सुविधा, इन्क्यूबेशन सेंटर, सड़कें, बिजली, पानी और अपशिष्ट जल प्रणाली तथा सहायक बुनियादी ढांचे जैसे- कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र (CETP), वर्कर्स हॉस्टल और हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग, चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास सुविधाएं। • **वाणिज्यिक विकास के लिए पार्क के क्षेत्र का 10% उपयोग करने का प्रावधान है।** उदाहरण के लिए दुकानें और कार्यालय, शॉपिंग मॉल, होटल एवं कन्वेंशन सेंटर।
प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (Competitive Incentive Support: CIS)	• वस्त्र निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिए प्रत्येक पार्क को 300 करोड़ रुपये की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें विनिर्माण इकाइयों को **पहले आओ - पहले पाओ** के आधार पर कुल बिक्री कारोबार का 3% तक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है। • यह केवल उन निर्माण कंपनियों के लिए उपलब्ध है, जो वस्त्र PLI योजना का लाभ नहीं उठा रही हैं और यह तब तक उपलब्ध रहेगी, जब तक कि पीएम मित्र पार्क के लिए प्रदान की गई धनराशि समाप्त नहीं हो जाती।
परियोजना प्रबंधन एजेंसी (Project Management Agency-PMA)	तकनीकी सहायता शाखा के रूप में कार्य करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) का चयन किया जाएगा, इसका चयन निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

36.2. अन्य पहलें (Miscellaneous Initiative)

व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS)	• **वस्त्र मंत्रालय ने CHCDS को जारी रखने की** स्वीकृति प्रदान की है। • CHCDS का उद्देश्य एक ऐसा **विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार** करना है, जो **उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के क्रम में स्थानीय कारीगरों व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा** करता हो। • इसके तहत **कारीगरों और उद्यमियों** को सहायता प्रदान करने हेतु क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। इन क्लस्टरों के माध्यम से **आधुनिक बुनियादी ढांचे, नवीनतम प्रौद्योगिकी व पर्याप्त प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास इनपुट, मार्केट लिंकेज तथा उत्पादन** संबंधी विविधीकरण के साथ संबंधित विश्वस्तरीय इकाइयों को स्थापित किया जाएगा।

37. जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs: MoTA)

37.1. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives)

गोइंग ऑनलाइन ऐज़ लीडर्स (Going Online as Leaders: GOAL)	• हाल ही में, **पंडवानी लोक गायिका** और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता, **डॉ. तीजन बाई ने GOAL कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया है।** • GOAL कार्यक्रम वर्ष 2020 में **जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) और फेसबुक** द्वारा आरंभ किया गया था। यह **पांच वर्ष की अवधि** हेतु शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य **जनजातीय समुदायों के 5000 युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करना तथा उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।** • इसका लक्ष्य संपूर्ण भारत में जनजातीय युवाओं को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करना तथा **उद्योग से जुड़े 2500 प्रसिद्ध व्यक्तियों (संबंधित कार्य क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के लिए ख्याति प्राप्त करने वाले) की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है।** • एक नौ माह का कार्यक्रम **डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल, नेतृत्व और उद्यमशीलता तथा क्षेत्र-विशिष्ट कौशल** के मुख्य क्षेत्रों को लक्षित करेगा।
संकल्प से सिद्धि योजना (Attainment through Resolve scheme)	• यह एक **पंचवर्षीय योजना** है। इसके अंतर्गत **वर्ष 2017-2022 तक एक 'नए भारत के निर्माण हेतु' विभिन्न प्रयास किए जाएंगे।** ○ यह योजना **भारत को निर्धनता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद और अस्वच्छता से मुक्त करने की परिकल्पना करती है।** साथ ही, सुशासन को अपनाकर तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संपूर्ण देश को एकजुट करती है। • हाल ही में, जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने **जनजातीय आजीविका पहल 'संकल्प से सिद्धि- मिशन वन धन' आरंभ की है।** इसके तहत सात नए "ट्राइब्स इंडिया" नामक स्टोर्स का उद्घाटन किया जाएगा। • यह जनजातियों को **अपने उत्पादों का विक्रय करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करेगा।** इससे उनकी आय में वृद्धि होगी तथा उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	• जनजातीय कार्य मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS) और आश्रम विद्यालयों के **डिजिटल रूपांतरण** में सहायता करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
	• **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRS) के बारे में**
	  ○ EMRS की शुरुआत **वर्ष 1997-98** में दूरदराज के क्षेत्रों में **अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** प्रदान करने एवं उच्चतर शिक्षा तथा रोजगार में अवसरों का लाभ उठाने में सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।
	  ○ इसके साथ ही, **50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक EMRS के निर्माण** की योजना है।

VISION IAS

© Vision IAS

38. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development)

38.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme)

38.1.1. पी.एम. केयर्स-फॉर चिल्ड्रन योजना (PM CARES for Children Scheme)

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	**कोविड 19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों से वंचित होने वाले बच्चों** के लिए व्यापक समर्थन।
	वित्तीय सहायता	**23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख की एकमुश्त राशि।**
	लाभ	शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अंतराल वित्तपोषण, 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा, और 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि।
	योजनावधि	**नामांकन 29.05.2021 से शुरू होगा।** यह योजना उस वर्ष तक जारी रहने की उम्मीद है जब तक कि प्रत्येक चिन्हित लाभार्थी 23 वर्ष की आयु का न हो जाए।

उद्देश्य
उन बच्चों की देखभाल और सुरक्षा, जो कोविड महामारी के कारण अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों से वंचित हो गए थे।
• कोविड महामारी के कारण अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों से वंचित हो जाने वाले बच्चों की एक सतत रीति से देखभाल व सुरक्षा सुनिश्चित करना। साथ ही, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनका कल्याण करना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त करना तथा 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें सक्षम बनाना।

प्रमुख विशेषताएं	
पात्रता मानदंड	• **पात्रता:** वे बच्चे जिनके माता-पिता (दोनों) या उत्तरजीवी माता-पिता या कानूनी अभिभावक / दत्तकग्राही माता-पिता / एकल दत्तकग्राही अभिभावक की 11.03.2020 से शुरू होने वाले कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस तारीख को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था और 31.12.2021 तक इसे वैश्विक महामारी माना गया था।
योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभों में शामिल हैं:	
बालक के नाम पर सावधि जमा	• पीएम केयर्स/PM CARES ('आपात स्थितियों में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष) एक विशेष रूप से अभिकल्पित योजना के माध्यम से **प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपये का कोष तैयार** करेगा। • यह 18 वर्ष की आयु से **मासिक वित्तीय सहायता / वजीफा प्रदान** करेगा और 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, उसे **कोष की राशि मिल** जाएगी।
विद्यालयी शिक्षा: 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए	• **नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय/निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश** सुनिश्चित करना। • **पीएम केयर्स** से वर्दी, पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक के लिए व्यय का भुगतान किया जाएगा।

विद्यालयी शिक्षा: 11-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए	• बच्चे को **केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय** जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिया जाएगा। • यदि बच्चे की देखरेख अभिभावक/दादा-दादी/विस्तारित परिवार द्वारा जारी रखी जाती है, तो उसे **निकटतम केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश** दिलाया जाएगा।
उच्च शिक्षा के लिए सहायता	• मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में **व्यावसायिक पाठ्यक्रमों / उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की सहायता** की जाएगी। इस **ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स** द्वारा किया जाएगा। • एक विकल्प के रूप में, **केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं** के तहत सरकार के मानकों के अनुरूप ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
स्वास्थ्य बीमा	• **सभी बालकों को आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा। इसमें 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर शामिल होगा।**

38.2. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

38.2.1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Padhao Beti Bachao: BBBP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक संसदीय समिति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में निधि के अपर्याप्त उपयोग को चिह्नित किया है।

स्मरणीय तथ्य	उद्देश्य	**गिरते बाल लिंगानुपात (CSR) और जीवन-चक्र निरंतरता पर महिला सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों** को संबोधित करना।
	तीन मंत्रालयों का प्रयास	महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय।
	योजना के प्रमुख तत्व	गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम (PC & PNDT Act) का प्रवर्तन, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और समर्थन अभियान तथा पहले चरण (2014.15) में चुनिंदा 100 जिलों (CSR में निम्न) में बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई।
	व्यावहारिक परिवर्तन	प्रशिक्षण, संवेदीकरण, जागरूकता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सामुदायिक लामबंदी के माध्यम से मानसिकता में बदलाव पर बल दिया जा रहा है।

उद्देश्य		
जन्म	उत्तरजीविता	सशक्तीकरण
पक्षपातपूर्ण लिंग चयन की प्रक्रिया का उन्मूलन करना।	बालिकाओं का **अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित** करना।	बालिकाओं की **शिक्षा एवं भागीदारी** को सुनिश्चित करना।

मुख्य विशेषताएं	
कोई नकद प्रोत्साहन नहीं	BBBP योजना में व्यक्तिगत स्तर पर नकद प्रोत्साहन/नकद अंतरण संबंधी घटक के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना नहीं है।
विभिन्न पहलों का अभिसरण	महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में जिला/ब्लॉक/जमीनी स्तर पर अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-संस्थागत अभिसरण को संभव बनाना।

© Vision IAS

दो घटक	• BBBP के संबंध में **समर्थन जुटाना और मीडिया के माध्यम से अभियान चलाना।** • **बाल लिंगानुपात के संबंध में बदतर स्थिति वाले** लैंगिक रूप से संवेदनशील चयनित जिलों में बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप करना।
लक्षित समूह	**प्राथमिक:** युवा और नवविवाहित दंपत्ति; गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा माता-पिता। **द्वितीयक:** युवा, किशोर (लड़कियां और लड़के), ससुराल पक्ष, चिकित्सक/चिकित्सा पेशेवर, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और नैदानिक केंद्र। **तृतीयक:** अधिकारी, पंचायती राज संस्थान; अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, महिला स्वयं सहायता समूह/सामूहिक समूह, धार्मिक नेता, स्वयंसेवी संगठन, मीडिया, चिकित्सा संघ, उद्योग संघ तथा सामान्य जन।
डिजिटल गुड्डी-गुड्डा बोर्ड	यह बोर्ड BBBP से संबंधित **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सामग्री के प्रसार हेतु एक मंच है।** इस मंच पर बच्चों के जन्म से संबंधित मासिक डेटा को अपडेट किया जाता है। इसे **केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना के तहत सर्वोत्तम पद्धति के रूप में अपनाया है।
निगरानी योग्य घटक	
निगरानी	• राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर BBBP योजना की निगरानी करना।

38.2.2. पोषण अभियान (समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना) {POSHAN ABHIYAN (Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition)}#

सुर्ख़ियों में क्यों?

शिक्षा, महिला, बाल, युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में पोषण अभियान (समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना) की कुल निधियों के कम उपयोग एवं जमीनी परिणामों के आधार पर अप्रभावी होने के मुद्दे पर प्रकाश डाला है।

स्मरणीय तथ्य	लक्ष्य	जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से देश में **वर्ष 2022 तक चरणबद्ध तरीके से कुपोषण को कम करना।**
	प्रकार	**केंद्र प्रायोजित योजना है।**
	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता	लागत का **50% विश्व बैंक या अन्य बहुपक्षीय विकास एजेंसियों द्वारा वहन किया जा रहा है। शेष 50% केंद्र और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बांटा** गया है।
	प्राथमिक लाभार्थी	बच्चे, किशोर, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं।

उद्देश्य	
ठिगनेपन के मामलों को कम करना	**अभिसरण और समन्वय**
प्रमुख आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग में सुधार और आंगनवाड़ी सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता में सुधार करके कुपोषण के उच्चतम बोझ वाले जिलों में ठिगनेपन के मामलों को कम करना।	पोषण अभियान स्पष्ट रूप से अभिसरण और समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ एक बच्चे के जीवन के शुरुआती 1000 दिनों में महिलाओं और बच्चों तक पहुंच सकेगा।

<table>
<tr><th colspan="2">प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr><td>पृष्ठभूमि</td><td>सितंबर 2017 में नीति आयोग ने राष्ट्रीय पोषण रणनीति (NNS) जारी की थी। इस रणनीति ने पोषण क्षेत्र में मौजूद समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया था। साथ ही, कोर्स सुधार के लिए एक गहन रणनीति तैयार की थी। रणनीति दस्तावेज में प्रस्तुत अधिकांश सिफारिशों को पोषण अभियान में शामिल किया गया है।</td></tr>
<tr><td>लक्ष्य</td><td>
<table>
<tr><td>0-6 वर्ष के बच्चों में ठिगनेपन से बचाव करना।</td><td>लक्ष्य: इसमें कुल 6 प्रतिशत,प्रति वर्ष 2%की दर से कमी लाना।</td></tr>
<tr><td>0 से 6 वर्ष के बच्चों का कम वजन से बचाव करना।</td><td>लक्ष्य: इसमें कुल 9 प्रतिशत, प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना।</td></tr>
<tr><td>6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया के प्रसार में कमी करना।</td><td>लक्ष्य: इसमें कुल 9 प्रतिशत, प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना।</td></tr>
<tr><td>15 से 49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार में कमी करना।</td><td>लक्ष्य: इसमें कुल 9 प्रतिशत, प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना।</td></tr>
<tr><td>कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को कम करना।</td><td>लक्ष्य: इसमें कुल 6 प्रतिशत, प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>जन आंदोलन</td><td>इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर स्थानीय निकायों, राज्य के सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की समावेशी भागीदारी शामिल है।</td></tr>
<tr><td>अभिसरण</td><td>18 मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत उच्च प्रभाव वाले हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार की गई है। यह विशेष रूप से गर्भधारण के बाद से बाल्यकाल के शुरुआती 1000 दिनों पर केंद्रित है। अभिसरण में शामिल प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग पोषण से संबंधित एक कार्य योजना तैयार करता है और इसे अपनी गतिविधियों के साथ एकीकृत करता है।</td></tr>
<tr><td>7 स्तंभ</td><td>पोषण अभियान प्रोत्साहन के मुख्य स्तंभ
• अभिसरण
• व्यवहार संबंधी परिवर्तन, सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) समर्थन
• प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</td></tr>
</table>

© Vision IAS

	• शिकायत निवारण • प्रोत्साहन • नवाचार • ICDS-CAS (समेकित बाल विकास योजना-साझा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर)
नीति आयोग की भूमिका	**नीति आयोग को निम्नलिखित का कार्य सौंपे गए हैं:** • विभिन्न मंत्रालयों के साथ-साथ राज्यों के बीच **अभिसरण** और भूमिका संबंधी स्पष्टता लाना। • मिशन को कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है, इसकी निगरानी और **मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षण** प्रदान करना। • **तकनीकी सहायता** प्रदान करना। • पोषण अभियान को एक जन आंदोलन बनाने के लिए परोपकार करने वाले और अन्य लोगों को एकजुट करना।
संबंधित पहल	
पोषण माह	**सामुदायिक एकजुटता सुनिश्चित करने और लोगों की भागीदारी को बढ़ाने** के लिए, प्रति वर्ष सितंबर का महीना पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है।

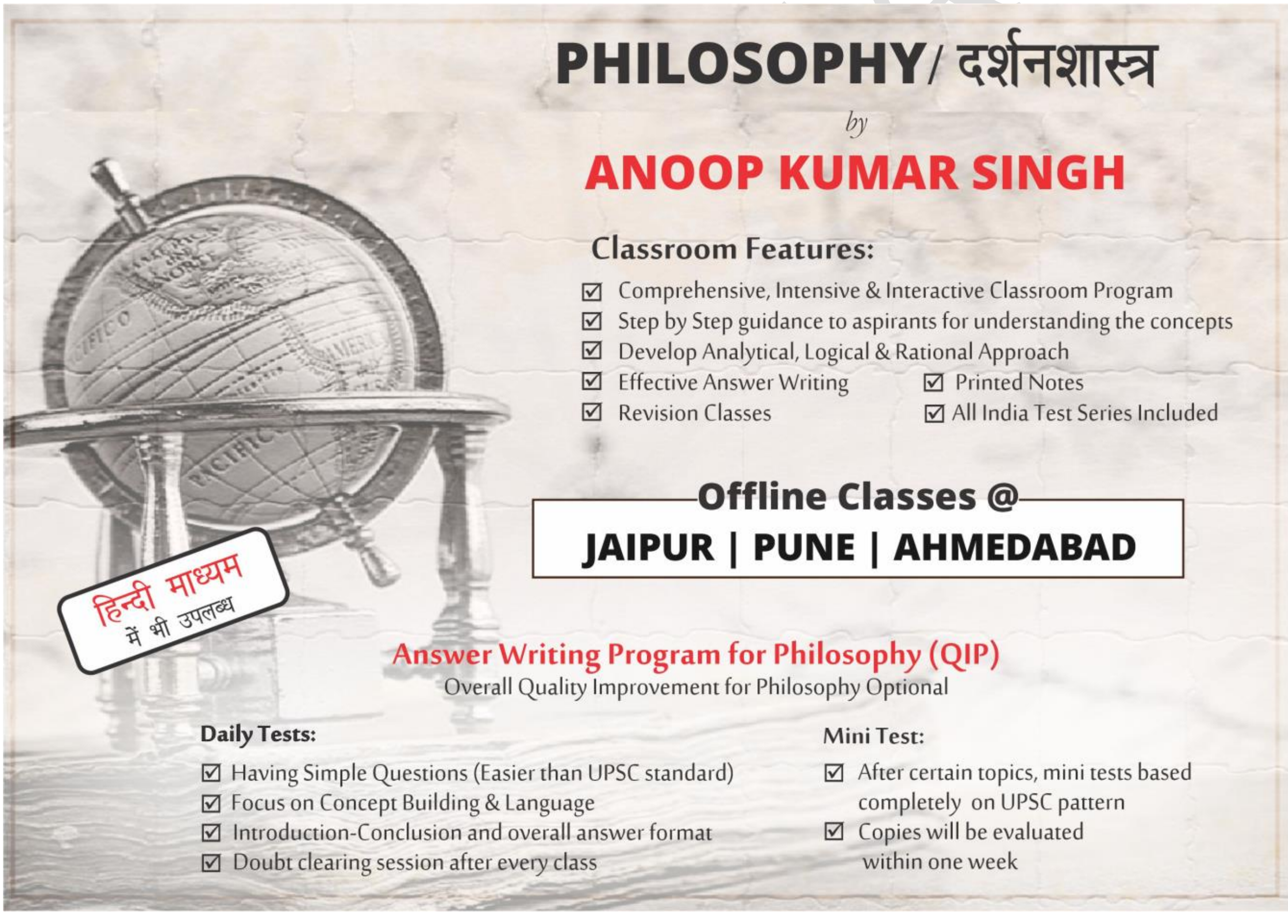

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020
1 AIR
SHUBHAM KUMAR
GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT
2 AIR
JAGRATI AWASTHI
3 AIR
ANKITA JAIN
4 AIR
YASH JALUKA
5 AIR
MAMTA YADAV
6 AIR
MEERA K
7 AIR
PRAVEEN KUMAR
8 AIR
JIVANI KARTIK NAGJIBHAI
GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT
9 AIR
APALA MISHRA
10 AIR
SATYAM GANDHI
DELHI
LUCKNOW
JAIPUR
HYDERABAD
PUNE
AHMEDABAD
CHANDIGARH
GUWAHATI
FOR DETAILED ENQUIRY, PLEASE CALL: +91 8468022022, +91 9019066066
ENQUIRY@VISIONIAS.IN
/C/VISIIONIASDELHI
/VISION_IAS
VISION_IAS
WWW.VISIONIAS.IN
/VISIONIAS_UPSC